राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतांत

अङ्क ७] तृतीय विधान सभा के सप्तम् सत्र, १९६५ का द्वितीय दिवस [संख्या २

गुरुवार, दिनांक, २५ फरवरी, १९६५,

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.१ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, सिंचाई, स्वास्थ्य, गृह, अकाल सहायता, स्वायत्त शासन एवं कृषि-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल।

तहसील सिकराय में पटवारियों के क्वार्टर्स

१. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

तहसील सिकराय में पटवारियों के कितने क्वार्टर्स बन चुके हैं और कितने बनने बाकी हैं ? सरकार कब तक पूरे क्वार्टर्स बना देने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : तहसील सिकराय में पटवारियों के २ क्वार्टर्स बन चुके हैं। एक का निर्माण हो रहा है। ३० क्वार्टर्स बनने शेष हैं। सरकार का विचार तो दस वर्ष के अन्दर कुल पटवारखाने बनाने का है परन्तु यह भविष्य में वित्तीय साधनों पर निर्भर है।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : इसमें ऐसा है कि बन रहे हैं। वे घर घर घूमते रहते हैं। पहले पटेल रकम संभालते थे, मगर अब पटवारी संभालते हैं इसलिये उनके लिये बहुत बड़ी गंभीर समस्या होती है तो क्यों नहीं उनको क्वार्टर बना कर रखा जावे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पटवारखाने को बनाने की आवश्यकता है इसलिये बनाये जा रहे हैं। वित्तीय साधनों और योजना के आधार पर बनेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या ये क्वार्टर्स योजनानुसार बन चुके हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह जनरल प्रश्न है। इसमें सिकराय तहसील का ही प्रश्न है जिसकी मैंने स्थिति बता दी है।

प्रश्न संख्या २

श्री अध्यक्ष : श्री सांवलियाराम।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट। श्री विजयपाल कटारा।

डूंगरपुर का टी० बी० अस्पताल

३. **श्री विजयपाल कटारा** (डूंगरपुर सु०) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि डूंगरपुर में जनरल अस्पताल के पास में ही टी. बी. अस्पताल है? यदि हां, तो क्या उसे दूर खुली हवा में बनाने का सरकार विचार रखती है?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त अस्पताल में कमरों की व बेड्स की कमी है? यदि हां, तो क्या इन कठिनाइयों को दूर करने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उप मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी नहीं। डूंगरपुर में टी. बी. का कोई भी अस्पताल नहीं है वहां पर केवल एक २० शैया वाला टी. बी. वार्ड है जो जनरल अस्पताल का एक अंग है, आधुनिक इलाज के तरीकों के कारण यह आवश्यक समझा जाता है कि ऐसे वार्ड अस्पताल या टी. बी. क्लिनिक जहां क्षय रोग का इलाज किया जाता है जनरल अस्पताल का एक अभिन्न अंग रखा जावे।

(२) जी नहीं।

श्री विजयपाल कटारा : क्या टी. बी. अस्पताल डूंगरपुर में बनाने का कोई प्रावधान है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी नहीं।

श्री विजयपाल कटारा : क्या सरकार को यह मालूम है कि वहां पर लोग वरन्डा में पड़े रहते हैं? क्या सरकार उनका इलाज कराने के लिये तैयार है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अब सरकार की यह नीति है कि ज्यादा से ज्यादा घर पर ही इलाज किया जावे और जिनकी हालत ज्यादा खराब हो उनको ही हॉस्पिटल में लाया जावे।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या सरकार यह विचार रखती है कि जिनके कोई देखरेख करनेवाला नहीं हो उनको उदयपुर अपने खर्चे से पहुंचाने का प्रबन्ध करेगी?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : वहां जो रोगी शैया हैं वे वहां पर जो मरीज हैं उनके अनुकूल ही हैं। जहां पर टी. बी. के हॉस्पिटल नहीं है वहां पर लोगों का घर पर ही इलाज करने की व्यवस्था की गई है।

श्री अब्दुलजब्बार : आप उनको उदयपुर टी. बी. हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहते हैं क्या जिनके कोई रिश्तेदार नहीं हैं?

Page No 3

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : अब आधुनिक तारीकों में काफी परिवर्तन आ गया है और अब घर बैठे इलाज किया जा सकता है बनिस्पत हॉस्पिटल में भर्ती करने के।

श्री विजयसिंह भाला (नाथद्वारा) : गवर्नमेंट की तरफ से आज तक क्या किया गया है ?

श्री बरकतुल्लाखां : बराबर घर से पेशेन्ट आकर हॉस्पिटल से दवाई ले जाते हैं। और वे नहीं आते तो उनके रिश्तेदार आकर ले जाते है; घर पर पेशेन्ट दवाई लेता रहे।

श्री विजयसिंह भाला : सब बीमारों के रिश्तेदार अस्पताल में आकर दवाई ले जा सकते हैं और ले जाते हैं। सरकार ने बताया कि घर बैठ कर ही इलाज करावे, इसके लिये सरकार ने क्या कोई कार्यक्रम बनाया है ? क्या आपने जिलेवाइज़ इसके लिये डॉक्टर मुकर्रर किये हैं। संबंधी रोगी के रिश्तेदार आकर दवाई ले जावें, यह तो पहले भी होता था।

श्री बरकतुल्लाखां : ऐसा है कि जहां टी. बी. सेनिटोरियम या क्लिनिक नहीं हैं वहां पर तो मेन हॉस्पिटल में टी. बी. का इलाज हो रहा है...

श्री विजयसिंह भाला : सुना नहीं जा रहा है।

श्री बरकतुल्लाखां : ऐसा है कि जहां पर टी. बी. सेनिटोरियम या टी. बी. क्लिनिक नहीं हैं वहां बड़े हॉस्पिटल में टी. बी. वार्ड होता है और वहां पर उनकी देखभाल होती है। जहां तक डूंगरपुर का सवाल है वहां पर टी. बी. वार्ड है। जहां तक टी. बी. ट्रीटमेंट का प्रश्न है वह वहां पर जाकर दिखा सकता है और ट्रीटमेंट ले सकता है। इसके अलावा जहां पर टी. बी. सेनिटोरियम या क्लिनिक हैं वहां पर उनको दिखाया जाता है और जब यह साबित हो जाता है कि यह टी. बी. का मरीज है और उसके लिये यह एडवाइस होती हो कि इसको टी. बी. हॉस्पिटल में रखा जावे तो उसको रखा जाता है। इसके अलावा जिसकी ऐसी एडवाइस नहीं होती है उसको घर बैठे दवाई देते हैं। टी. बी. क्लिनिक जोधपुर, उदयपुर, जयपुर में खुले हैं। वहां पर जो टी. बी. के मरीज होते हैं उनको भी एक एक सप्ताह की दवाई एक साथ दे दी जाती है। वे घर पर उस दवाई का प्रयोग करते रहते हैं।

श्री विजयपाल कटारा : क्या आप बता सकेंगे कि डूंगरपुर में कितने डाक्टर हैं ?

श्री बरकतुल्लाखां : यह अलग से प्रश्न है।

श्री विजयपाल कटारा : आज वहां पर ३ डाक्टर हैं। जहां पर १५ के बजाय काम कर रहे हैं। आखिर इसका भी असर पड़ता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): आपने बताया कि टी. बी. के पेशेन्ट के घर पर दवाई दी जाती है और उसको घर पर ही रखा जाता है। घर पर उनकी बीमारी, जो छूत की बीमारी होती है, उसका प्रश्न क्या नहीं रहता है ?

श्री बरकतुल्ला खां : टी. बी. का मरीज होता है अगर वह एक चूने के बर्तन में चूना डाल कर थूके तो उससे छूत नहीं होता है और आजकल जो इसके मेजर्स शुरू हुए हैं उनको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉलिसी अडोप्ट की है कि जितनी इसको पहले छूत की बीमारी सोचते थे उतनी छूत की बीमारी यह नहीं है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न यह रहता है कि जब उस मरीज को अलग एक दफा रख देते हैं तो वह सोसाइटी से अलग हो जाता है। इसलिये उसको सोसाइटी से अलग नहीं रखा जावे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भानुप्रसाद कराड़िया।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना है।

(उप-मंत्री, राजस्व, श्री रामप्रसाद लड्ढा) आगे प्रश्न का उत्तर देने लगे)

श्री अध्यक्ष : दूसरे प्रश्नों में काफी समय लग जावेगा।

भूमि अलॉटमेंट कमेटी के सदस्य

४. श्री भानुप्रसाद कराड़िया (चौमू): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भूमि अलॉटमेंट कमेटी में तहसील के कौन कौन सदस्य होते हैं ?

(२) क्या उनकी अनुपस्थिति में भी एलॉटमेंट किया जाता है ? यदि हां, तो किस परिस्थिति में ?

(३) क्या सरकार ऐसे अलॉटमेंट भविष्य में रोकने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) अलॉटमेंट कमेटी में निम्न सदस्य होते हैं :

(१) क्षेत्र के विधान सभाई सदस्य।

(२) क्षेत्रीय पंचायत समिति के प्रधान।

(३) संबन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच।

(४) क्षेत्रीय पंचायत समिति के विकास अधिकारी।

(५) तहसीलदार।

(२) तहसीलदार तारीख निश्चित कर उसकी सूचना सदस्यों को देते हैं। यदि भूमि आंवटन सलाहकार समिति का कोई सदस्य निश्चित तिथि पर उपस्थित होने में असफल रहे तो तहसीलदार उन सदस्यों की सलाह से जो उपस्थित हों भूमि का आवंट कार्य-सम्पन्न करते हैं।

(३) जी नहीं।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा देखा गया है कि तहसील आमेर में समय समय पर सूचना नहीं दी जाती है और विधान सभा के सदस्य की अनुपस्थिति में अलॉटमेंट कर दिया जाता है। भूमि आवंटन का एक प्रोग्राम तहसीलदारजी ने बनाया; मुझे सूचना दी, मैं वहां पर गया, उस दिन तहसीलदारजी नहीं आये

Page No 5

(श्री भानुप्रसाद कराड़िया)

और फिर अलग से दूसरा प्रोग्राम बनाया। मुझे अलॉटमेंट प्रोग्राम की सूचना समय पर नहीं दी। पहले प्रोग्राम पर तो तहसीलदार-जी नहीं पहुंचे और दूसरे प्रोग्राम में बाला-बाला ही अलॉटमेंट कर दिया। सामोद, म्हार, कालाडेरा, नांगल कोजू और निवाणां में बाला-बाला अलॉटमेंट कर दिये गये। निवाणां में पहुंचे और मेरे को बगैर सूचना दिये ही मनमाने ढंग से, अपनी मर्जी से ही अलॉटमेंट कर दिया। इसी प्रकार पहले की सवाई चक भूमि पड़ी थी उसमें भी नामांतरण बाला-बाला भरवा कर खातेदारी में दी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है कि किन परिस्थितियों में अलॉटमेंट किस किस की उपस्थिति में किया जा सकता है, इसकी जानकारी मैंने दे दी। जो स्पेसिफिक क्वेश्चन इनके दिमाग में है उसकी जानकारी मुझे देते तो मैं जानकारी करके सूचना दे सकता था। मेरी जानकारी में नहीं है कि किसका प्रश्न आप पूछ रहे हैं।

श्री विजयसिंह झाला : तहसीलदार को कितने दिन पहले सूचना देने का प्रावधान है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मैंने इस प्रश्न के उत्तर में बता दिया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : विधान सभा के सदस्य विधान सभा के सत्र में होते हैं अक्सर उस समय अलॉटमेंट कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं, यह अमूमन हमने देखा है; तो मन्त्री महोदय कम से कम यह हिदायत दे सकते हैं कि जितने समय विधान सभा चले उतने समय तक अलॉटमेंट कमेटी की मीटिंग नहीं बुलायें ताकि विधान सभाई उस मीटिंग में भाग ले सकें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लगभग दो-ढ़ाई महीने विधान सभा का सत्र चलता है और आज-कल सरकार की नीति है कि भूमि का आवंटन जल्दी से जल्दी हो सके ताकि समय पर किसान जमीन बो सकें। ऐसी हालत में यदि इस प्रकार का रूल बनाते हैं तो जो अधिक अन्न उपजाने की योजना है और जो भूमि आवंटन की योजना है उसमें देरी हो सकती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : क्या राजस्थान में एक भी ऐसा केस है....

श्री अध्यक्ष : श्री बाढ़दार।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : क्या कोरम के लिये सदस्यों की संख्या निश्चित है कि इतनी संख्या सदस्यों की अवश्य होनी चाहिये ? क्या सदस्यों के आने पर अकेला तहसीलदार अलॉटमेंट कर सकता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य तो स्वयम् वकील हैं, उन्होंने नियम पढ़े होंगे और उनको जानकारी होगी। इतना बता देना चाहता हूं कि तहसीलदार अकेला अलॉटमेंट नहीं करता, सरपंच आम तौर से हाजिर रहते हैं और दूसरे सदस्य भी हाजिर

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

रहते हैं । अगर इत्तला मिल जाने के बाद भी कोई नहीं आते हैं तो नियमों के अनुसार अलॉटमेंट करते हैं ।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : नियमों का तो पता है, वे किताबों में रखे हैं, पर मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनको क्रियान्वित किया जाता है ? अकेले तहसीलदार ने अलॉटमेंट किये हैं, आपके पास इस तरह के मामले अक्सर रिवीज़न के लिये आते हैं और आप कह देते हैं कि हम तो इस तरह के मामलों में जस्टिस देखते हैं, इल्लिगेलिटी या इर्रेगुलेरिटी को हम नहीं देखते । जहां हम जस्टिस की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि किताबों में ऐसा नियम हैं और कानून की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि हम तो कॉमन जस्टिस को देखते हैं । यदि आपके ध्यान में ऐसी बातें आती हैं तो क्या इनके निराकरण की चेष्टा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय इस बात पर विचारें कि अब ज्यादा भूमि तो अलॉटमेंट के लिये है नहीं इसलिये बार बार इस तरह थोड़ी थोड़ी भूमि अलॉट करने के बजाय एक दम ड्राइव अलॉटमेंट कर दिया जाय ताकि बारबार इस तरह अलॉटमेंट न करना पड़े ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लेटेस्ट पोजिशन यह है कि हर साल अलॉटमेंट की स्थिति नहीं आये इसके लिये जितनी भूमि का अलॉटमेंट करना है, वह जैसा कि माननीय अध्यक्ष ने फरमाया, एक केम्पेन बेसिस की तरह कि अमुक तिथि तक अलॉटमेंट का कार्य समाप्त कर दिया जाय, इस तरह के आदेश दिये हैं । जैसे कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने विचार व्यक्त किये हैं उनका पालन इस आदेश से होता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल !

फुट ब्रिज का निर्माण

५. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सिंचाई मंत्री उत्तर देने का कष्ट करेंगे :–

(१) क्या यह सत्य है कि सन् ६३ की बरसात के पूर्व चीफ इन्जीनियर ने कोटा डेम पर नदी को पार करने के लिये फुट ब्रिज बनाने का आदेश दिया ? अगर हां, तो कब ?

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त ब्रिज में एस्टीमेट की अपेक्षा वास्तविक व्यय दुगुना हुआ ? अगर हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सत्य है कि उक्त ब्रिज को ध्वंस करने के लिये चीफ इन्जीनियर ने आदेश दिये ? अगर हां, तो कब व क्यों ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां, एक अस्थाई ब्रिज बनाने के आदेश दिसम्बर, १९६२ में दिये गये थे ।

(२) उक्त अस्थाई ब्रिज के बनाने में एस्टीमेट से ज्यादा खर्च नहीं हुआ ।

(२) अधीक्षण अभियन्ता राणा प्रताप सागर ने ब्रिज को तोड़ने के आदेश दिये थे । यह आदेश इसलिये दिये गये थे कि बरसात में नदी की बाढ़ से ब्रिज में लगा लोहा व

(श्री दौलतराम सारण)

लकड़ी का सामान, जो दोबारा काम में लिया जा सकता था बह न जाय। यह आदेश माह जून सन् १९६३ के मध्य में दिये गये थे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह अस्थाई ब्रिज बनाया, इसके आदेश कब दिये थे; कब तैयार हुआ

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि दिसम्बर, ६२ में आदेश दिये थे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कब कम्प्लीट हुआ ?

श्री दौलतराम सारण : यह उसी मौसम में कम्प्लीट हो गया था बरसात से पूर्व। बरसात में कीमती सामान बह जाने के भय से बचने के लिये इसको तोड़ा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही कि बरसात के १५ दिन पूर्व ही यह ब्रिज बन कर तैयार हुआ था ?

श्री दौलतराम सारण : आवागमन के लिये यह ब्रिज तैयार हो गया था, फिर काम में लिया गया। बरसात शुरू होने से पूर्व जैसा कि मैंने निवेदन किया, इसको फिर तोड़ा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सत्य है कि आवागमन के कार्य में यह ब्रिज एक दिन भी नहीं आया ?

श्री दौलतराम सारण : यह ब्रिज साइट इन्स्पेक्शन के लिए बनाया गया था; जब तक तोड़ा नहीं गया तब तक काम में लिया गया। बाढ़ में कीमती सामान को बहने से रोकने के लिए इसे तोड़ा गया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि बाईं तरफ काम करने वाले मजदूरों को दाईं तरफ जाने के लिए कोटा होकर रास्ता जाता है और यह ब्रिज केवल साइट इंस्पेक्शन के लिए बनाया गया ?

सिंचाई मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कोटा होकर रास्ता जाता है तो ४० मील के डिस्टेन्स कोकवर करने के लिए, लेबरर्स और मजदूरों को सामान लाने ले जाने के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट जहां बनता है, वहां इस तरह का फुट ब्रिज बनाना आवश्यक हो जाता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सत्य है कि दायें किनारे पर इसी विभाग के द्वारा एक नाव व मल्लाह लगाये हुए हैं जिसके द्वारा एक किनारे से दूसरे किनारे आया व जाया जा सकता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नाव और मल्लाह भी जरूरी हैं और ब्रिज भी जरूरी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह ७० हजार रुपया अपनी विम्स में आकर खर्च कर दिया गया, सब मजदूर बायें किनारे पर काम करते थे उनके लिये रास्ता मौजूद है, नाव मल्लाह मौजूद हैं। केवल अपनी विम् से चीफ इंजीनियर और वहां पर जो मौजूद हैं, उन इन्जीनियरों ने बिना टेन्डर कॉल किये यह ब्रिज बनाया

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

और सरकार का लगभग ७० हजार रुपया अपनी मर्जी से व्यर्थ खर्च कर दिया और मन्त्रीजी उन्हें संरक्षण दे रहे हैं कि इसको काम में लिया गया। यह ७० हजार रुपया बेकार गया, इसकी जांच करके उचित कार्यवाही की जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सदस्य ने जो सूचना अपने भाषण के जरिये देने की कोशिश की है, वह तथ्यहीन है, उसमें कोई सारांश नहीं है। क्योंकि आपका कहना है कि ७० हजार रुपया फालतू खर्च किया गया........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सप्लीमेंटरी नम्बर दो का जवाब मन्त्री महोदय ने नहीं दिया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जरा सब्र तो रखिये, मैं यह कह रहा था कि इसका टोटल एस्टीमेट ३२ हजार रुपया का था, पहली बार बनाने में २५ हजार का खर्चा हुआ। डिस्मेंटल करने में १२६२ रु० का खर्चा आया। उसे फिर वापिस लगाने के लिए ६५०० का खर्चा आया। तो यह कहना कि ७० हजार रुपया विम्स के ऊपर खर्च किया गया, यह उचित नहीं। यह एक आपका ख्याल हो सकता है। एक बेंक पर काम करते हैं। एक बेंक से दूसरे बेंक पर जाने के लिए ४० मील का डिस्टेन्स पार करने के सिवाय और रास्ता हो नहीं सकता; तो मजदूरों के आने-जाने के लिये, सामान को पहुंचाने के लिये इस ब्रिज का होना आवश्यक था, न चीफ इन्जीनियर की विम्स का सवाल है और न इसमें चीफ इन्जीनियर की गलती का ही सवाल है। यह बनाना जरूरी था इसलिये बनाया गया।

जालौर जिले में भूमि आवंटन

६. श्री विरदाराम फुलवारिया (जालौर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जालौर जिले में कुल भूमिहीन काश्तकार कितने हैं और उनमें से कितनों को भूमि अलॉट की जा चुकी है और कितनी दरख्वास्तें अलॉटमेंट किए जाने के लिए विचाराधीन हैं ?

(२) जालौर जिले की किस किस तहसील में कितनी कितनी भूमि अलॉट किये जाने के लिए है और कितनी अलॉट की जा चुकी है ?

उप मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जालौर जिले में ८६६४ भूमिहीन काश्तकार हैं और उनमें से २५२४ भूमिहीनों को भूमि अलॉट की जा चुकी है। १२६४ दरख्वास्तें भूमि अलॉट किए जाने के लिए विचाराधीन हैं।

(२) जालौर जिले की तहसीलों में जितनी भूमि अलॉट किये जाने के लिए है व जितनी भूमि अलॉट की जा चुकी है उसका विवरण निम्न प्रकार है :

नाम तहसील	अलॉट की जाने वाली भूमि का रकबा	अलॉट की जा चुकी भूमि का रकबा
१. जालौर	१८८६४ एकड़	४०० एकड़
२. आहोर	३२८२१.६ एकड़	१३८६.८ एकड़
३. सांचोर	५८८३० एकड़	८२८२ एकड़
४. भीनमाल	२५६६६.८० एकड़	११३८.२० एकड़

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जब भूमि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तब दरख्वास्तें विचाराधीन क्यों हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जब जब दरख्वास्तें जिस जिस साल आती हैं उस साल उन दरख्वास्तों का निर्णय किया जाता है। जो ये पेंडिंग दरख्वास्तें आई हैं वे इस साल की हैं। इन सबका निर्णय नोटिस पीरियड समाप्त होने के बाद अलॉटमेंट कमेटी की बैठक में किया जायगा। एक साल में एक बार अलॉटमेंट होता है। निश्चित अवधि में जो जो दरख्वास्तें आ गई उन्हें अलॉट किया गया और जो दरख्वास्तें इनक्वायरी पूरी न होने के कारण शेष रह गई और इसके अलावा जो नई आई, दोनों को मिलाकर आज की तारीख में पेंडिंग हैं, उन सब का अलॉटमेंट कमेटी में निर्णय होगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या यह सही है कि दस साल का अलॉटमेंट न करके सालाना अलॉटमेंट करने से हजारों दरख्वास्तों का अलॉटमेंट करना पड़ता है जिससे काफी समय नष्ट होता है और अलॉटमेंट कमेटी की बैठक भी नियमानुसार नहीं होती। राज्य सरकार ध्यान दे।

डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू एकाउटेन्ट्स व सिविल एकाउन्टेन्ट्स की ग्रेड में परिवर्तन

७. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू एकाउन्टेन्ट व सिविल एकाउन्टेन्ट की १९६१ से पूर्व एक ही ग्रेड थी ? अगर हां, तो वह क्या थी ?

(२) क्या इसमें कोई परिवर्तन किया गया ? अगर हां, तो कब और क्यों ?

(३) क्या इस सम्बन्ध में पब्लिक सर्विस कमीशन से भी सलाह ली गई ? अगर हां, तो उन्होंने क्या सलाह दी ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां। ग्रेड १५०-१०-२५०-१२-१-३०० थी।

(२) जी हां। १-९-६१ से रिवाइज्ड पे रूल्स, १९६२ के अन्तर्गत राजस्थान सबोर्डिनेट अकाउन्ट्स सर्विस के रेशनलाइज्ड पे स्केल के १५५-१०-२८५-१५-४३५-२५-४८५ वेतन श्रृंखला में सिविल एकाउन्टेन्ट्स को १७५) न्यूनतम वेतन के साथ सम्मिलित कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू एकाउन्टेन्ट्स एक पृथक संवर्ग के रूप में रहे तथा उनके लिए १७०-१०-३१०-१२१।२-३३५ की रिवाइज्ड वेतन श्रृंखला निर्धारित की गई।

(३) जी नहीं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: जब ये दोनों तरह के अकाउन्टेन्ट्स एक ही कैटेगरी के आदमी हैं, तो फिर उनकी पे स्केल्स में फर्क क्यों रखा है और उसमें पी०एस०सी० की राय क्यों नहीं ली गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: जैसा मैंने निवेदन किया पी०एस०सी० की राय लेने

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

का इसमें प्रश्न ही नहीं है। अब इन दोनों के ग्रेड्स में फर्क क्यों रखा है, इसके दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि जो रेवेन्यू एकाउन्टेन्ट्स होते हैं और असिस्टेंट जूनियर एकाउन्टेन्ट्स हैं उनके क्वालीफिकेशन्स में फर्क हैं। इधर तो एक पटवारी के पद पर होते हुए भी यदि नॉन-मैट्रिक भी हो तो भी इस पद के लिए एलिजिबल है, लेकिन एकाउन्ट्स सर्विस के अन्दर मैट्रिक, पांच साल का अनुभव और कुछ विशेष बातें हैं जो जरूरी हैं। इस वजह से रावत कमेटी की रिपोर्ट के बाद इसके दो ग्रेड्स रेशनलाइज़ करके एक ग्रेड कायम किया गया और जैसा मैंने निवेदन किया क्वालीफिकेशन्स और दूसरे डेटा न होने की वजह से रावत कमेटी रेवन्यू एकाउन्टेंट्स और डिस्ट्रिक्ट अकाउन्टेंट्स के लिए इस प्रकार की कोई सिफारिश नहीं की इसलिए उनकी वह की वह ग्रेड रखी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: इसमें प्रश्न यह है कि जब दोनों तरह के एकाउन्टेंट्स एक ही ग्रेड के थे, उनकी क्वालीफिकेशन्स और सीनियोरिटी उसी तरह की थी तो कोन अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया और अपनी मर्जी से जिसको चाहा हायर ग्रेड दे दिया और और जिसको चाहा लोवर ग्रेड दे दिया। इस तरह से जो अलग अलग हिस्से किए गए हैं वे किस आधार पर किए गए, समझ में नहीं आता? पी०एस०सी० की राय क्यों नहीं ली गई? इनके इंटरव्यूज़ हो सकते थे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: रावत कमेटी बैठी थी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ये निर्णय लिए गए हैं। इसलिए किसी ऊंचे को नीचे और नीचे को ऊंचा करने का प्रश्न नहीं है और इस संबंध में १६५६ में इम्तिहान हुआ था और उस इम्तिहान के अंदर जिन्हें हायर मार्क्स मिले उनको हायर पोस्ट्स और लोवर मार्क्स वालों को नीचे रखा। एकाउन्ट्स सर्विस के लिए रूल्स ओर रेग्युलेशन्स हैं। उसमें पी०एस०सी० का मेम्बर बैठाता है। इसमें पूरा डेटा न था इसलिए रावत कमेटी ने रिकमेंड नहीं किया था।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: क्या यह सही है कि रावत कमेटी ने इन सब लोगों को आने का मौका दिया और उनकी...

श्री अध्यक्ष: श्री रामानन्द अग्रवाल।

बकाया वेतन भुगतान

८. श्री रामानन्द अग्रवाल: (अलवर) क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि श्री मूलचन्द चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सिचाई विभाग, नीम-का थाना, जिला सीकर का फिक्सेशन अभी तक नये वेतन स्तर में नहीं हुआ है?

(२) क्या यह सही है कि उक्त श्री मूलचन्द १-१०-१६४० से सरकारी नौकरी में है और पुराने अलवर राज्य में पहले सरकारी सेवा ग्रहण की थी?

(श्री रामनन्द अग्रवाल)

(३) क्या यह सही है कि १-६-४८ को उक्त श्री मूलचन्द का वेतन भूतपूर्व मत्स्य राज्य में २५ रु० माहवार फिक्स किया गया था और उन्हें अब तक यही वेतन मिलता आ रहा है ?

(४) क्या यह सही है कि भूतपूर्व मत्स्य राज्य के राजस्थान में विलीनीकरण के पश्चात् उक्त श्री मूलचन्द सिंचाई विभाग में ट्रान्सफर कर दिये गये जहां पर उन्होंने अक्टूबर १९५२ तक का काम किया ?

(५) क्या यह सही है कि इसके बाद उन्हें डेपूटेशन पर कस्टोडियन विभाग में भेज दिया गया जहां पर उन्होंने १६-१०-५५ तक काम किया ; इसके बाद वे वापिस सिंचाई विभाग में बुला लिये गए जहां पर अभी तक कार्य कर रहे हैं ?

(६) क्या यह भी सही है कि उक्त मूलचन्द की सर्विस बुक विभाग द्वारा दो बार खो दी गई है और इसी विभाग की इस गलती के कारण उसका फिक्सेशन नहीं हो सकता है ?

(७) क्या यह सही है कि उक्त श्री मूलचन्द अब तक १२) रु० मासिक अधिक वेतन पाने के हकदार बन चुके हैं और इस फिक्सेशन के न होने के कारण उन्हें यह आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है ।

(८) क्या सरकार बतायगी कि उक्त श्री मूलचन्द का फिक्सेशन कब तक हो जायगा और उसके एरियर्स ऑफ पे की अदायगी कब तक कर दी जावेगी ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय-डांगी): (१) जी हां ।

(२) जी हां । यह सही है कि वह पुराने अलवर राज्य की सेवा में था परन्तु सर्विस बुक के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता कि वह किस तारीख से राज्य सेवा में है ।

(३) सर्विस बुक के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता कि वह कब से २५)रु० माहवार प्राप्त कर रहा है परन्तु इस समय इसे २५) रुपया माहवार वेतन मिल रहा है । महंगाई भत्ता अलग से मिलता है ।

(४) जी हां ।

(५) जी नहीं । श्री मूलचन्द के अनुरोध पर ही उन्हें कस्टोडियन इवैक्यू प्रोपर्टी अलवर के कार्यालय में स्थानान्तरित किया गया था जहां उन्होंने १६–१०-५५ तक काम किया । इसके बाद इस विभाग में काम कर रहे हैं ।

(६) जी हां । उसकी सर्विस बुक कस्टोडियन इवैक्यू प्रोपर्टी के कार्यालय में दो बार खो गई थी, जिसके लिए यह विभाग जिम्मेदार नहीं है ।

(७) आर्थिक नुकसान की राशि के बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता ।

(८) निश्चित अवधि बतलाना नामुमकिन है । सर्विस वेरीफिकेशन होने पर दूसरी सर्विस बुक बनाई जाकर इनका फिक्सेशन किया जा सकेगा और फिक्सेशन होने के बाद की इनके एरियर्स आदि का चुकारा संभव हो सकेगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो उसकी सर्विस बुक खोई है वह उसकी खुद की जिम्मेवारी नहीं है, तो फिर क्यों सरकार ने सर्विस बुक दुबारा नहीं बनवाई ?

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, सर्विस बुक हमारी वजह से नहीं खोई। फिर भी हमारा डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है कि रेकॉर्ड का वेरीफीकेशन मिल सके, लेकिन अभी तक वेरीफीकेशन नहीं हो पाया है।

श्री अध्यक्ष : सर्विस बुक खो जाती है तो नियमों में क्या प्रावधान है ?

सिंचाई मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : ऐसी हालत में स्वयं उसी आदमी से पूछते हैं कि पहले कहां कहां सर्विस की है, किन किन तारीखों में कहां कहां नौकरी की है। उस आदमी ने करीब ८-१० जगहों के नाम बताए हैं। अब उन सब जगहों से पता लगा रहे हैं कि वे जो कुछ कह रहे हैं वह कहां तक सत्य है। इसमें काफी लम्बी-चौड़ी कोरेस्पोंडेंस होती है। ईरिगेशन डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और असिस्टेंट इंजीनियर्स अपनी अपनी लेवल पर कोशिश करते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने यह खुद तो स्वीकार किया है कि वह पुराने अलवर राज्य की सेवा में है, यानी प्रि-इन्डिपेन्डेन्स से पहिले से सर्विस में है और आज तक सरकार उस विषय में जांच पड़ताल नहीं कर सकी है। एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का १८ वर्ष तक फिक्सेशन न हो और सरकार कोरेस्पोन्डेन्स होकर किसी भी नतीजे पर न पहुंचे, यह बड़ा ही खेदजनक विषय है। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार निश्चित तिथि इस बारे में बतायेगी कि उसका फिक्सेशन करके एरियर्स चुका दिए जावेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : जैसा मैंने कहा, निश्चित तिथि बताना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी एक छोटे आदमी की मुश्किल है उसको देखते हुए जितना जल्दी हो सकेगा उसका फिक्सेशन किया जायगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : कितने वर्ष की योजना है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप बिराजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप नहीं। अध्यक्ष महाराज की ओर से होगा आदेश। आप कमान्ड मत करिए।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : इस समय उसको कितना मिल रहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसको ५०) रु० मासिक मिल रहा है।

श्री अब्दुलजब्बार : आज इस जमाने की हार्डशिप को देखते हुए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका फिक्सेसन करना चाहिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : ५०) रु० मिल रहे हैं। फैक्ट्स का पता लगाकर जल्दी ही करेंगे।

Page No 13

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो भी न्यूनतम आप एक चतुर्थ कर्मचारी को देते हैं, बेसिक पे और ग्रेड और उसके साथ मंहगाई भत्ता, वह तो उसको दिया ही जाना चाहिए। उसको ६५-५-७० तो मिलने ही चाहिये ; बाकी एरियर्स आपकी जांच पड़ताल हो जाय तब हो। जब कि उसके स्तर के कर्मचारी को ७०) रु० माहवार मिलता है तो उससे उसको कम मिलने का सवाल होना ही नहीं चाहिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : नियमों के अन्तर्गत यदि वेरीफीकेशन होने तक कोई रिलीफ दिया जा सकता है तो वह उसको दिया जावेगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि क्या इस मामले में २० वर्ष लग सकते हैं ?अब और कितने लगने की गुंजाइश है ? बड़े ही खेद की बात है !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : २० वर्ष तो लग चुके हैं तथा और २० वर्ष लगने की योजना है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह तो ऐसी समस्या है कि एक स्टेलपुट सा हो गया है। आपको अब क्या जानकारी करनी है ? १७ वर्ष तो हो गए। जो जानकारी करनी थी वह करके अन्ततोगत्वा कोई न कोई निर्णय पर पहुंचे हैं। जिन मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करना था वे मुद्दे प्राप्त हुए या नहीं, इस सम्बन्ध में भी आप निर्णय पर पहुँचे होंगे। आखिर एक सवाल उठा फिक्सेशन का। उसकी कोई फाइनेलिटी होनी चाहिए। कोई न कोई अन्ततोगत्वा परिणाम पर पहुँच कर करना चाहिये। यह एक स्टेलपुट है। यह कि फिक्सेशन कभी नहीं होगा, यह बड़े खेद और आश्चर्य की बात है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इनके राज्य में छोटे कर्मचारियों की क्या दशा है, इसका यह एक चित्र है।

प्रश्न संख्या ६

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्रीमती नगेन्द्रबाला।

भूमिहीनों को भूमि

१०. **श्रीमती नगेन्द्रबाला** (छबड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि शाहबाद, किशनगंज व छबड़ा तहसीलों में अभी तक भी भूमिहीनों को भूमि प्राप्त नहीं हुई है ?

(२) क्या यह भी सही है कि विभाग को लिखित में दिया जा चुका है कि उक्त तहसीलों में भूमि अलॉटमेन्ट में काफी अनियमितताएं बरती जा रही हैं ?

(३) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) तहसील शाहबाद, किशनगंज व छबड़ा में भूमिहीनों को बराबर भूमि आवंटन हो रही है।

Page No 14

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(२) तहसील छबड़ा के लिए कोई इस प्रकार की दरख्वास्तें पेश नहीं हुई।

तहसील शाहबाद व किशनगंज के लिये यह दरख्वास्त थी कि शाहबाद से सनवाड़ ग्राम में भूमि नहीं दी गई। तहसील की रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि वहां १६ परिवारों को भूमि दी गई है जो उस ग्राम को छोड़कर चले गए हैं।

तहसील किशनगंज की यह शिकायत थी कि वहां शहरियों को दी जाने वाली भूमि में ८ नॉन शहरियों को भूमि दी गई है इसकी जांच के लिए श्री उप-जिलाधीश बारां को आदेश दे दिया गया है और एस. डी. एम. साहब ने भी हालत जानने व जांच करने को २५-२-६५ को मुकाम घट्टाघट्टी मिटिंग बुलाई है। इसके बाद वह रिपोर्ट देंगे तब सही हाल मालूम हो जायगा। उस पर समुचित एक्शन लिया जायगा।

(३) जो एक्शन लिया जा रहा है उसके लिए प्रश्न के भाग (२) में उत्तर दिया जा चुका है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि किसानों को जमीनें अलॉट हो रही हैं, जो विभाग द्वारा मन्त्री महोदय को आंकड़े बताये जाते हैं यहां भी आंकड़ों के रूप में आते हैं; मेरा यह प्रश्न नहीं है कि शहरियों को दी गई उसमें नॉन शहरियों को क्यों दी गई? भूमिहीनों को जमीन अलॉट होने के बाद किसी पटवारी ने किसानों को मौके पर जाकर खेत नहीं बताये। आंकड़ों में जमीनें उनको अलॉट हुई हैं लेकिन उनके पास जमीनें नहीं हैं। दूसरी बात, एक ही जमीन दो किसानों को अलॉट की गई और झगड़ा इतना लंबा चल रहा है कि किसी के पास भूमि नहीं। तीसरी बात, भूमिहीनों को जमीनें अलॉट हुई। उस पर दूसरे किसान काश्त करते आ रहे थे। उसके झगड़े चले, ऐसे कि वह जमीन भी उन किसानों के पास नहीं। छबड़ा तहसील के किसानों ने, वहां के कार्यकर्ताओं ने दरख्वास्त दी और उसको रजिस्ट्री से भेजा जिसकी रसीद उन लोगों ने मुझे बताई। सरकार के पास वह नहीं पहुंची, यह दुख का विषय है। यदि आप मौके पर पहुंचें तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपके पास जो आंकड़े आये हैं तहसीलदारों के पास भी आंकड़े हैं, विभाग के पास भी आंकड़े हैं; लेकिन भूमिहीन किसान के पास एक बीघा जमीन भी अच्छी तरह से नहीं होगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : यह सारी सरकार ही कागजों में है, महाराज!

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने कहा कि एक बीघा भूमि भूमिहीन किसान के पास नहीं पहुंची है, इस बात को मैं चेलैन्ज करता हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : मैं आपके चैलैन्ज को स्वीकार करता हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं एक से अधिक बार वहां गया हूं और जो अलॉट-

Page No 15

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

मेंट की समस्या है उसको मैंने स्वयं देखा है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि शाहबाद में १८,१६७ बीघा भूमि इस अध्याय में उन शहरियों को अलॉट की गई और नॉन-शहरियों में ४०६ बीघा भूमि इस अर्से में अलॉट की गई। जंगलात से जमीन रिलीज़ न होने के कारण दिक्कत हो रही थी और झगड़ा हो रहा था उसको निपटा कर फोरेस्ट से जमीन रिलीज़ करवा कर उनको कब्जा दिलाया। जहां पर घटिया किस्म की जमीन अलॉट हो गई थी जिस पर खेती नहीं कर सकते थे तो फोरेस्ट से अच्छी जमीन से एक्सचेन्ज करवा कर दिलाई गई। ७.८ फोरेस्ट्स से जो कि रिज़र्व थे, उनसे जमीन रिलीज़ करवा कर शहरियों को देने की कार्यवाही की गई। हो सकता है कि चन्द केसेज़ में दूसरों का जमीनों पर कब्जा हो, लेकिन हमारे यहां पर वह बिना नाम दर्ज हो, उसकी वजह से गलत अलॉटमेंट हुआ तो ऐसा नम्बर बहुत कम संख्या में है और जिनको हल किया जा सकता है और सेटलमेंट के वक्त उन तकलीफों से उनको बचाने की कोशिश की। सरकार शहरियों के प्रति जागरूक है और सहानुभूति रखती है, इसलिए एक स्पेशल केम्पेन के तौर पर, ए. डी. एम. स्पेशल तौर पर मुकर्रर करके, रेवेन्यू का स्टाफ काफी नहीं था तो इधर उधर से करके यह काम कराया गया और पत्थरगढ़ी कराके उनको वह सुपुर्द की गई।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : मेरी बात आप पहले सुन लीजिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : (अपना उत्तर जारी रखते हुए) मैंने स्वयं ने इसको दो बार जाकर देखा है। माननीय सदस्या का यह कहना कि एक बीघा जमीन भी एलोटीज़ को नहीं मिली, यह निराधार और गलत है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कितनी एकड़ पर कब्जा कराया गया ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो समस्या माननीय सदस्या ने सामने रखी है वह अक्षरशः सत्य है। एक एकड़ भी भूमि अलॉट नहीं की गई। माननीय मंत्री महोदय इसी वक्त साथ चल सकते हैं फिज़ीकल वेरीफिकेशन कराने पर मालूम होगा। एक बिस्वे पर भी शहरियों का कब्जा नहीं है, जमीन पर दूसरे लोग ही काबिज हैं। आप जंगलत की बात करते हैं। जंगलों से जो पेड़ काटे गये वे उनको न मिल कर दूसरे लोग ही खा गये, शहरियों को एक पैसे का भी मुनाफा नहीं हुआ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : चन्द केसेज़ ऐसे हो सकते हैं जिनमें जमीन ठीक तरह से मिल गई हो, लेकिन अधिक भूमि का झगड़ा चल रहा है। आपको ६० प्रतिशत केसेज़ ऐसे मिलेंगे जिनमें झगड़े की वजह से जमीन शहरियों के पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मुख्यतया माननीय सदस्य का कहना है कि जमीन अलांट ही नहीं हुई है। क्या वास्तव में जमीन अलॉट हो गई, डिमार्केट होकर बता दी गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने यही निवेदन किया कि पटवारियों को दूसरे इला-

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

के से बुला कर इस कार्य में लगाया गया। स्पेशल तौर पर पत्थरगढ़ी करवाने के लिये विशेष व्यवस्था की गई है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : आप यह कहते हैं कि इसके स्पेशल स्टाफ लगवा कर व्यवस्था की गई। मेरा निवेदन यह है कि स्पेशल स्टाफ का कोई असर नहीं हुआ, कोई जमीन अभी तक नहीं मिली, मेरे साथ चल कर देखिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कितने पंचों और सरपंचों को जमीन दी है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, जी हांडा। अब आप अपना अगला सवाल पूछिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका १० नम्बरी जवाब हो चुका, अब आप ११ नम्बर का जवाब दीजिये।

थानेदार के पद पर की गई एक नियुक्ति

११. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि वेस्टर्न रेल्वे अजमेर की अकाउन्ट्स ब्रांच के एक क्लर्क रामसिंह एवं एक और व्यक्ति खडकसिंह द्वारा अहमदाबाद दिल्ली एक्सप्रेस को सज्जनरोड और नाना के बीच में ३ नवम्बर, १९५१ की रात को रोक कर लूटा गया ? एवं ये लोग मेलवान के कर्मचारियों के हाथ पैर बांध कर हजारों रुपयों की राशि ले गये ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त घटना के दो-तीन दिन बाद ही उपरोक्त मुलजिमों को सब इन्स्पेक्टर मांगीलाल एवं हैड कॉन्स्टेबल नेतराम द्वारा पी० एस० सुमेरपुर जालौर में पकड़ लिया गया ?

(३) क्या यह सही है कि १९५२ में उपरोक्त मुलजिमों के खिलाफ डाका व आर्म्स एक्ट के तहत केसेज बनाकर चालान सैशन्स जज सिरोही की कोर्ट में कर दिया गया ?

(४) क्या यह सही है कि ट्रायल के दौरान उपरोक्त मुलजिमान मय कुछ और मुलजिमों के सिरोही जेल तोड़ कर भी भागे ?

(५) क्या यह सही है कि उपरोक्त मुलजिमों को जेल तोड़ने व आर्म्स एक्ट के तहत केसेज तथा डाका डालने के अपराध में छः माह, एक साल व सात साल की सजा एवं २००० रुपया जुर्माना १९५४ में सैशन्स जज, सिरोही द्वारा किया गया ?

(६) उपरोक्त केसेज का इन्वेस्टीगेशन ऑफिसर कौन था ?

(७) क्या यह सही है कि उपरोक्त रामसिंह थाना व्यावर का हिस्ट्री शीटर भी रहा है।

(८) क्या यह सही है कि उपरोक्त रामसिंह को अगस्त १९६३ में राजस्थान सरकार द्वारा थानेदार भर्ती कर लिया गया है ?

उप-मन्त्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां। कुल ५,२८५ रुपये की रकम लूटी गई।

(२) पाली जिले के सुमेरपुरा थाने के कर्मचारियों ने उन्हें ४–११–५१ को पकड़ा अवश्य था, परन्तु कहां, व किसने पकड़ा उसकी जानकारी के लिये रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

(३) जी हां।

(४) जी हां।

(५) सिरोही कारागृह से भागने के संबन्ध में दोनों को धारा ३५३ तथा २२४ भारतीय दंड संहिता के अधीन प्रति अपराध में ६-६ माह के कठोर कारावास तथा पचास पचास रुपये का अर्थ दंड की सजा एस०डी० एम० सिरोही से दिनांक ४.६.५३ को हुई थी। इसके अतिरिक्त रार्मासह को बिना लाइसेन्स हथियार रखने के अपराध में एस० डी० एम० जालौर से ४.११.५१ को १ वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया गया था। मेलवान को लूटने के अपराध में भी उन्हें सेशन्स जज, सिरोही से दिनांक २४-८-५३ को सात सात वर्ष का कठोर कारावास और १०००-१००० रु० का अर्थ दंड की सजा हुई थी।

(६) रिकॉर्ड के अभाव में उपलब्ध नहीं है।

(७) जी हां।

(८) जी हां, रार्मासह को दिनांक ८-१२-६२ को ८ वी आर० ए० सी० बटालियन में प्लाटून कमान्डर के पद पर प्रोबेशन पर नियुक्त किया गया था और उसके त्याग पत्र देने पर दिनांक ३१-७-६३ से उनको सेवा से पृथक किया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह भी आपने नहीं निकाला, शर्म से त्याग-पत्र देकर चला गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इतना बड़ा हिस्ट्री शीटर होते हुए, सजायाफ्ता होते हुए भी इसको भरती क्यों किया गया, किस कारण से किया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसको भरती एमर्जेन्सी में किया गया। जब किया गया उस समय फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड नहीं था जिसमें प्रीवियस कन्विक्शन्स के बारे में लेखा-जोखा नहीं था। प्रोबेशन पर नियुक्त किया गया था ; सबजेक्ट टू वेरीफिकेशन भरती किया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पुलिस ऑफिसर को भरती करते हैं उसके बारे में कॉन्फीडेन्शियल रिपोर्ट सी० आई० डी० से मांगते हैं, दो आदमी गारन्टी देते हैं, इन्वेस्टीगेशन करते हैं, उसके बाद भरती होता है; क्या इसके मामले में भी यह जानकारी की गई ? या किसी मेहरबान की मेहरबानी से भरती किया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसमें कोई मेहरबानी का प्रश्न नहीं था। जैसा कि मैंने निवेदन किया उस वक्त भरती किया जाता था उस समय फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड नहीं था, इसलिए यह गलती रह गई। बोनाफाइडी के

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

कोई गलती नहीं थी, केवल फॉर्म प्रेस्काइब्ड न होने की वजह से यह गलती हो गई। अगर आज की तरह का फॉर्म प्रेस्काइब्ड होता तो उसी समय पकड़ा जाता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि जिस समय उसको भरती किया गया उस समय रिक्रूटिंग अफसर को इस बात की जानकारी थी कि यह वही शख्स है जिसके खिलाफ इतने इल्जामात हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसकी कतई जानकारी उनको नहीं थी, अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बारबार कहा। अगर आज की तरह का फॉर्म होता तो उसी समय पकड़ा जाता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस बारे में आपने जाँच की है ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : सब इन्सपेक्टर की जगह पर भरती बिना रिक्रूमेन्ट ऑफिसर की नोलेज के नहीं की जा सकती ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एमर्जेन्सी में एक बटालियन रेज़ करने के लिये इसको भरती किया गया था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसका मतलब यह हुआ कि एमर्जेन्सी के नाम पर डाकू, सजायाफ्ता किसी को भी भरती कर लिया जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने उस परिस्थिति का बयान किया जिसमें इनकी भरती की गई। वह भी प्रोवेशन पीरियड के लिये किया, इनकी क्वालिफिकेशन और कन्डक्ट आदि के बारे में पता नहीं था; न हमको पता था न रिक्रूटिंग ऑफिसर को ही पता था।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): इसमें जो बातें पैदा हुई उनका मुख्य कारण यह था, एमर्जेन्सी में एक बटालियन को रेज़ किया जाना था। उसमें भी यह था कि एक्स–मिलिटरी पर्सोनल को लिया जाय। जब इनको भरती किया गया उस समय जो सर्टिफिकेट इनके द्वारा पेश किया गया उसमें एयरफोर्स में वारन्ट ऑफिसर की जगह काम करने का सर्टिफिकेट पेश किया गया, उसमें कन्डक्ट वगैरह के बारे में काफी अच्छी एन्ट्रीज़ थीं, इस वजह से यह गलती हुई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार को जब यह मालूम लगा कि यह सजायाफ्ता है इस बात की जांच-पड़ताल की क्या कि आया इसको भरती करते समय रिक्रूटिंग ऑफिसर को इसकी जानकारी थी या नहीं। दूसरा जब इस बात का मालूम हो गया कि यह सजायाफ्ता है तो इसका त्यागपत्र क्यों स्वीकार किया गया, उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जानकारी के बारे में अभी स्पष्टीकरण कर दिया गया। एज़ वारन्ट ऑफिसर इन मिलिटरी इनका कन्डक्ट बहुत अच्छा था इसलिये इनको भरती कर लिया गया; इसलिये रिक्रूटिंग अफसर की जानकारी का प्रश्न समाप्त हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जिन्होंने भरती किया, क्या उनको सही मायने में पता नहीं था कि इस व्यक्ति का क्या इतिहास है, केवल उसी रेकॉर्ड के आधार पर भरती किया गया, अगर सरकार सन्तुष्ट हैं इस बात के लिये कि सही रूप से कार्यवाही की गई है तो ठीक बात है, अगर सन्तुष्ट नहीं है तो और सन्तोष कर लें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : शक करने की गुंजाइश पैदा नहीं होती। सर्टिफिकेट में अच्छा कन्डक्ट होने की वजह से भरती किया गया, इसमें रिक्रूटिंग ऑफिसर के बोनाफाइड में डाउट्स करने की कतई गुंजाइश नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पहले प्रश्न में स्पष्ट हो चुका था कि यह क्लर्क था अकाउन्ट्स ब्रान्च में और भरती होते समय वारन्ट ऑफिसर का सर्टिफिकेट दिया। सन् ५१ में क्लर्क था और उसको ६२ में भरती किया गया। उसके लिये इन्क्वायरी की गई कि वारन्ट ऑफिसर सही रूप में था भी या नहीं ? इसके अलावा जब भरती किया गया उसके बारे में अकाउन्ट्स ब्रान्च में पूछा गया कि नहीं कि यह आदमी जो रेल में डाके डालता है सी आर० पी० सी० और आई० पी० सी० के अन्तर्गत क्राइम कर चुका है, उस व्यक्ति के वारन्ट ऑफिसर के सर्टिफिकेट की जांच की या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, वह क्लर्क था, यह ठीक है। मिलिटरी से आने के बाद यह क्लर्क रहा और फिर पहले वारन्ट ऑफिसर था और उसका जो सर्टिफिकेट दिया है वह अच्छे कन्डक्ट का था। उसकी जिनुआइननैस पर कोई शक-शुबहा नहीं हो सकता। इसलिये चूंकि वह मिलिटरी एक्स पर्सोनल था इसलिये लिया गया। अब सवाल यह रह जाता है कि यह मालूम होने पर कि वह सजायाफ्ता है उसे प्रोसीक्यूट क्यों नहीं किया गया, तो इस बारे में जैसा मैंने निवेदन किया कि उसके प्रार्थना पत्र पर, जो प्रस्तुत किया गया, अपोइन्टमेन्ट के सम्बन्ध में उममें ऐसा कोई कॉलम नहीं था। इसलिये वह उस कॉलम में अपने प्रीवियस कनविक्शन के सम्बन्ध में कोई इन्द्राज करने की स्थिति में नहीं था। अब उसे प्रोसीक्यूशन करने के लिये दर असल में कन्सीडर किया या नहीं, तो इसके लिये भी निवेदन करना है कि उसके इस आधार पर कन्सीडर किया जाना प्रमाणित नहीं होता, इसलिये वह प्रश्न नहीं पैदा होता।

और चीटिंग का जो प्रश्न है उसमें लैंकिंग भी इसी आधार पर रह जाता है; तो दोनों प्रश्नों का जवाब इसमें आ जाता है। बोनाफाइड रिक्रूटिंग अफसर का भी था और मनोनीत किया उनका भी बोनाफाइड था और एक्स मिलिटरीमैन था, और उसका सर्टीफिकेट जिनुआइन था, फिर एमर्जेन्सी का प्रश्न भी था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह कहने का क्या आधार था कि सर्टीफिकेट जिनुआइन था ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह सही था....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हजारीलाल शर्मा। इस प्रश्न में बहुत समय लग गया।

Page No 20

अकाल सहायता कार्यों सम्बन्धी भुगतान

१२. **श्री हजारीलाल शर्मा** (पिलानी) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं में ग्राम बुडानिया और गारिडा में माह मई और जून १९६४ में अकाल सहायता कार्य कराये गये थे ?

(२) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त कार्यों पर लगे मजदूरों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ?

(३) यदि हां, तो इसका क्या कारण है और यदि नहीं, तो कौनसी तारीख को भुगतान हुआ ?

उप-मन्त्री, अकाल सहायता (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) तहसील चिड़ावा के हिसाब की जांच करते समय नायब तहसीलदार चिड़ावा ने बतलाया था कि ग्राम बुडानिया तथा गारिडा में माह मई में तथा जून में जो कार्य कराये थे उनकी मस्टर रोल ग्राम निवासियों ने माह नवम्बर में भुगतान के लिये पेश की थी। इन मस्टर रोलों पर किसी भी सरकारी अधिकारी तथा सरपंच आदि द्वारा तस्दीक नहीं की हुई है। नायब तहसीलदार ने बतलाया था कि इन कार्यों की जांच भी तहसील अधिकारियों द्वारा नहीं की गई थी और न हाजरी ही तस्दीक हुई है। ऐसी स्थिति में अधूरी तथा अपूर्ण मस्टर रोलों का भुगतान जांच होने तक रोक दिया गया था। इन मस्टर रोलों की जांच होने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

श्री हजारीलाल शर्मा : यह कि नायब तहसीलदार की रिपोर्ट कब आई, जांच कब कौन से महीने में की ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा है, यह काम गांव वालों ने कराया और नियमानुसार मस्टर रोल जो होते हैं उन पर तो हाजरी दर्ज की नहीं, कच्चे कागज पर की। जब कागज पेश हुए वे और अकाउन्ट्स से ऐतराज पेश हुए तो मालूमात की गई और जांच की रिपोर्ट आने पर मालूम हुआ कि इसके ऊपर सरकारी अधिकारी के दस्तखत नहीं हैं और न किसी अधिकारी की तस्दीक है, इसलिये कलेक्टर को लिखा गया है कि वास्तव में जांच करके अगर काम किया गया है तो उस हिसाब से उसको जल्दी निपटाने की कोशिश करें।

श्री हजारीलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मस्टर रोल पर हस्ताक्षर तहसीलदार के मेरे सामने हुए हैं और यह रिपोर्ट आती है कि किसी सरकारी अधिकारी के दस्तखत नहीं हैं, यह बिलकुल गलत है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मस्टर रोल एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म पर है और उसमें सरकारी अधिकारी के दस्तखत होने के कॉलम हैं। लेकिन यह जो हाजरी भरी गई है इस तरह के फॉर्म पर भरी नहीं गई। खाम कागज पर भरी गई है और उस पर सरपंच,

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

तहसीलदार, नायब तहसीलदार के-किसी के दस्तखत नहीं हैं इसलिये जांच का प्रश्न पैदा हुआ।

श्री हजारीलाल शर्मा : जो कागज दिये गये थे उन पर तहसीलदार के दस्तखत हैं या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा कोई कागज जांच में या अन्य तरीकों से सरकार के सामने नहीं आया जिससे यह प्रतीत हो कि तहसीलदार ने काम का निरीक्षण किया अथवा देखा या हाजरी ली या जानकारी में है। अगर ऐसा कागज आपके पास हो तो बताने का कष्ट करें ताकि उसके अनुसार जल्दी मामले को निपटा सकें।

श्री हजारीलाल शर्मा : तहसीलदार ने स्वयं जाकर मौके पर जांच की है और मस्टर रोल पर तहसीलदार के हस्ताक्षर हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं इस मामले को तब फिर से देखूंगा क्योंकि मेरे पास सूचना है कि खाम कागज पर हाजरी की। अब जब कि आप कहते हैं कि प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म पर तहसीलदार के दस्तखत हैं तो अगर आपकी बात सही है तो इसके अनुसार पेमेंट करावेंगे। पर ऐसी बात अब तक सामने आई नहीं है।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म के अभाव में अगर खाली कागज पर हाजरी भरी गई हो तो क्या सरकार उसको मानने को तैयार नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : खाली कागज पर तहसीलदार दस्तखत नहीं दे सकता। वह हाजरी की तस्दीक करता है और हम उस तस्दीक को मानते हैं। पर अगर कोरे कागज में भी उसी प्रोफोर्मा के अनुसार हाजरी भरी गई है उसे नाजायज नहीं मानते। पर तस्दीक तहसीलदार की होनी चाहिये कि अमुक काम हुआ और इतनी हाजरी है। हम इसकी तस्दीक के लिये पर्टीक्यूलर हैं। कागज छपा हो या कोरा हो, इसकी खास बात नहीं है।

श्री तेजाराम गहलोत : तहसीलदार और सरपंच की तस्दीक हो उस हाजरी के नीचे और उसको चैक करने के लिये जाते हैं तब ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अगर खाली कागज पर निरीक्षण करने गये और तस्दीक कर दे, तो उसको भी हम मान लेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

पलाना के पास खारी में लिगनाइट

१३. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि पलाना के पास खारी में लिग्नाइट पाया गया है और वहां सर्वे किया जा रहा है ?

(२) यदि हां, तो सर्वे कब प्रारम्भ हुआ ? अब तक कितनी जगह ड्रिल किया

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

गया है और डिटेल्ड सर्वे कब तक हो जायेगी ?

(३) यदि सर्वे हो चुकी तो वहां का प्रूव्ड डिपोज़िट क्या है ?

उप-मन्त्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां।

(२) नवम्बर सन् १९६३ में सर्वेक्षण शुरू हुआ और ६५ बोरहोल अभी तक ड्रिल किये गये हैं। इस क्षेत्र में डिटेल्ड सर्वे में लगभग एक वर्ष और लग जावेगा।

(३) जितना सर्वे हो चुका है, उसके अनुसार लगभग ४० लाख टन निम्न स्तर का भूरे कोयले के उपलब्ध होने का अनुमान है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : यह जो ड्रिल की संख्या बताई, यह तो ६३ की है, उसके बाद के १॥ साल में और कितने हुए ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : डेढ़ साल में काम नहीं हुआ, यह मतलब है आपका ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मैं तो यह जानना चाहती हूँ कि इस डेढ़ साल में और कितने ड्रिल होल हुए ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं तहकीक रिप्लाई दे रहा हूँ कि चालीस लाख टन निम्न स्तर का भूरे कोयले के उपलब्ध होने का अनुमान है और पूरा निश्चय करने में एक साल और लगेगा ड्रिलिंग सर्वे में। इसके बाद और तहकीक रिप्लाई और रिज़ल्ट आ सकेगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : इस समय कितने ड्रिल काम कर रहे हैं और उनका वर्किंग एवरेज कितना है और कितने दिन मशीनें बेकार पड़ी रहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो आपने प्रश्न पूछा कितने होल काम किये गये वह बता दिया। अब कितने कर रहे हैं, रोजाना कितने होते हैं, यह दूसरा प्रश्न है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : ड्रिल्स कितनी वहां काम कर रही हैं और उनका वर्किंग एवरेज क्या है ? खराब ज्यादा पड़ी रहती हैं क्या ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या गांव खारी में डिटेल्ड सर्वे वर्क शुरू हो चुका है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी हां।

रामगंज मण्डी तहसील के कृषकों के भूखण्डों पर कब्जों का नियमन

श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कलेक्टर कोटा द्वारा गलत आदेश जारी कर देने के कारण रामगंज मण्डी तहसील के किसी भी ग्राम में कृषकों की भूमि के साथ लगे हुए

Page No 23

(श्री जुझारसिंह)

छोटे छोटे भूखण्डों पर कृषकों का दिसम्बर, १९६१ से पूर्व का कब्जा रेगुलराइज़ नहीं किया जा सका है व उक्त आदेश के अनुसार लोगों को बेदखल करके इन छोटे छोटे भूखण्डों को नीलाम किया जा रहा है जो सरकार की नीति व आज्ञाओं के विपरीत है ?

(२) अपनी जमीन से लगे हुए छोटे भूखण्डों पर १९६१ से पूर्व अनधिकृत कब्जा कर लेने वाले कृषकों की रामगंज मण्डी तहसील में कितनी तादाद है ? इनमें से दिसम्बर १९६४ तक नियमानुसार कितनों को रेगुलेराइज़ कर दिया गया है कितनों को बेदखल किया गया है व कितनों पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया जा सका है ? कृपया अलग अलग बतलाने का कष्ट करें।

(३) क्या यह भी सही है कि रामगंज मण्डी के नॉन प्रोजेक्ट तहसील होते हुए भी इसमें लैंड अलॉटमेन्ट बन्द किया हुआ है ? यदि हां, तो कब से और किन कारणों से ?

(४) रामगंजमण्डी तहसील में कुल कितने गांव हैं व इनमें से कितने गांवों में राणा प्रतापसागर के विस्थापित किसानो को बसाने की योजना सरकार ने बनाई है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) यह सही नहीं है कि सन् ६१ से पूर्व का कब्जा जिन छोटे भूखण्डों पर कृषकों का या उन्हें रेगुलराइज़ न कर नीलाम करने का आदेश इस कार्यालय से दिया गया हो; बल्कि बात इस प्रकार है कि ५ एकड़ से ऊपर वाली पड़त भूमि को अलॉट न कर विस्थापितों के लिये सुरक्षित रखाई गई है और ५ एकड़ से कम के छोटे छोटे टुकड़े जो खेतों के बीच में हैं और अभी तक पड़त पड़े हुए हैं जो पास वाले खेत के कृषकों को काश्त हेतु देने व उनसे यहां की प्रचलित कीमत जमा करा लेने का आदेश किया गया है। साथ में यह भी लिखा गया है कि यदि एक से ज्यादा ऐसे टुकड़ों को लेने वाले व्यक्ति खड़े हो जावें जिनके खेत भी ऐसे टुकड़ों के पास हों तो उन्हें नीलाम कर दिया जावे।

जिन छोटे भूखण्डों पर सन् ६१ से पहिले नाजायज कब्जा कर काश्त कर ली गई है वे कायदे अनुसार रेगुलराइज किये जा रहे हैं। उन पर उपरोक्त आज्ञा का न कोई असर है और न कोई रोक है। उपरोक्त आज्ञा केवल उन्हीं छोटे भूखण्डों के लिये है जो अभी तक पड़त पड़े हुए हैं और खेतों के बीच में आ गये है।

(२) सन् १९६१ से पूर्व अपनी जमीन से लगे हुए छोटे भूखण्डों पर अनाधिकृत कब्जा कर लेने वालों की संख्या ८४८ है, इनमें से दिसम्बर ६४ तक ५५७ रेगुलराइज़ हो चुके हैं तथा ९५ को बेदखल किया गया है तथा १९६ मामले सरपंचों के समय पर उपलब्ध न होने के अभाव से जेर कार्यवाही हैं। इसके लिये यह आज्ञा की जाती है कि अगले महीने के अन्त तक समस्त मामले फैसल हो जावेंगे।

(३) आज्ञा कमिश्नरी कोटा क्रमांक ११४८ दिनांक ४। ३। ६० से कुछ तहसील

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

का क्षेत्र व खण्ड विस्थापितों के लिये आरक्षित है।

(४) तहसील रामगंज मण्डी में १६८ ग्राम हैं। ग्राम कालयाखुर्द, जामुनियां, जिन्द पहाड़, सरली, बावडी, भटवाड़ा, ईश्वरपुरा, कूकड़ा कलां, काल्योखेड़ी, गुलाबपुरा, अलोद, मोतीपुरा ; ये ११ ग्राम विस्थापितों को बसाने के लिये रिजर्व हैं। उपरोक्त २ व ३ ग्रामों की भूमि अतिक्रमणकारियों द्वारा नाजायज कब्जा कर लेने से विस्थापित लोग काश्त करने से महरूम रहे हैं और अतिक्रमण कारियों के केसेज़ रेगुलराइज़ किये गये। इस प्रकार इनके लिये भूमि कम पड़ गई और अभी १०० विस्थापित परिवार बसाये जाने शेष हैं जिनके लिये और भूमि लिये जाने की कार्यवाही जारी है।

(१२ बजे मध्यान्ह)

श्री जुझारसिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरे दो प्रश्न हैं इस प्रश्न में । एक तो यह है कि अलॉटमेन्ट रामगंजमण्डी में बन्द है और वह इसलिए कि राणा प्रतापसागर के डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को बसाने की कार्यवाही चल रही है। लेकिन जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि ११ गांव हैं और अलॉटमेन्ट उनका बन्द रहता है तो ठीक है; लेकिन ११ के पीछे १६८ गांवों के अन्दर अलॉटमेंट बन्द कर दिया है और लोगों को अलॉटमेन्ट नहीं हो रहा है; उसके पीछे क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: सभी गांवों में अलॉटमेन्ट बन्द नहीं है, लेकिन इसमें मूल प्रश्न यह है कि जो विस्थापित राणा प्रताप सागर के हैं मानवीय दृष्टिकोण से भी और चूंकि वे सारे उसमें डूब रहे हैं और उसका लाभ सभी को मिलने वाला है। इसलिए उनको भी बसाने में प्राथमिकता देनी है। इन ११ गावों में से उनका काम नहीं चलता है क्योंकि वे काफी संख्या में हैं। हम इनको भिन्न भिन्न स्थानों पर बसा रहे हैं। इसलिए जितनी जमीन जरूरी होती है उसको छोड़कर बाकी भूमि का अलॉटमेन्ट हो सके उसकी व्यवस्था करेंगे।

श्री जुझारसिंह: विस्थापितों को तो ब्लॉक में बसाने की बात होगी। दूसरे गांवों में जो जमीन उपलब्ध नहीं है तो विस्थापितों को ब्लॉक्स के रूप में बसाया जा सके। तो ब्लॉक में ११ गांव ही हैं कि जिनमें उनको इकट्ठा बसाया जा सके; तो ऐसे गांवों में अलॉटमेन्ट बन्द रखा जाय तो चल सकता है, लेकिन ११ गांवों के पीछे १६८ गांवों में अलॉटमेन्ट बन्द कर रखा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इसी प्रकार की व्यवस्था करने का विचार है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

अनुपथित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

रूपवास के भैंसा बांध का कार्य

२. श्री सांवलियाराम (रूपवास-सु.) :

(श्री सांवलियाराम)

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील रूपवास का भैंसा बांध करीब करीब हर साल पानी आने पर टूट जाता है और विभाग उस बांध की हर साल हजारों रुपया लगा कर मरम्मत कराता है ?

(२) क्या यह भी सही है कि उस बांध के पानी से हजारों बीघा जमीन की फसल खराब हो जाती है और भैंसा गांव में घरों में पानी भर जाता है ?

(३) क्या सरकार इस बांध को पक्का बनाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां, बांध की मरम्मत का तखमीना विचाराधीन है।

ईख की खेती को नुकसान

६. **श्री रामकिशन (वैर)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) कामां भरतपुर में बाढ़ के कारण कितने एकड़ ईख की खेती नष्ट हो गई है तथा फसल खरीफ अनुमानतः कितने लाख रुपये की नष्ट हो गई है ?

(२) क्या पानी वाले रकबे में फसल रबी बोये जाने की भी संभावना है ? यदि हां, तो कितने एकड़ में और कुल कितने एकड़ रकबा गरकी में रह जायेगा ?

उत्तर

(१) तहसील कामां में बाढ़ के कारण २८०८ एकड़ ईख की खेती नष्ट हुई है एवं फसल खरीफ अनुमानतः २२,०६,४०० रुपये की नष्ट हो गई है।

(२) जी हां। पानी वाले रकबे में रबी की फसल की भी काश्त हुई है और करीब ४०,००० एकड़ भूमि में जो पानी में डूबी हुई थी फसल रबी बोई गई है और करीब २०,५१६ एकड़ भूमि गरकी में रह गई है।

शिक्षामंत्री, श्री हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा मंत्री-पद से त्याग-पत्र

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि मंत्रि-मण्डल के एक माननीय सदस्य, श्री हरिभाऊजी उपाध्याय, अपने निरन्तर अस्वस्थता के कारण मंत्रि-पद से त्याग-पत्र दे रहे हैं और वह त्याग-पत्र जिस रोज ऑफिशियली अनाउन्स हो जायगा, एक-दो रोज में, उस पर कार्यवाही की जायगी; लेकिन मैं सूचित करना चाहता था कि सदन की बैठक चल रही है तो मैं सदन को सबसे पहले इससे अवगत करा दूं........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: उनका पत्ता तो कल ही कटा नजर आ रहा था ....

श्री अध्यक्ष: आॅर्डर प्लीज !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: अध्यक्ष महोदय, मैं कम से कम इस सदन के माननीय सदस्यों से यह आशा करता था कि इस मौके पर इस प्रकार के शब्दों को काम में लाने की आवश्यकता नहीं थी। माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने मंत्रिमण्डल को और इस सदन को अपने सार्वजनिक जीवन के लम्बे अनुभवों का जो लाभ दिया है उसके हम अत्यन्त आभारी हैं और हम इसको पसन्द करते कि उनकी सेवायें, मंत्रिपद के तौर पर ज्यादा से ज्यादा हमको उपलब्ध हो पातीं लेकिन अस्वस्थता के के कारण उन्होंने इस बात पर काफी जोर दिया कि यदि वे इस पद पर बने रहते हैं, वे अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं कर पायेंगे, ऐसा उन्हें अनुभव होता हैं और इसलिए वे इस पद से मुक्त होना चाहते हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने अब की बार मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करके मुझे मंत्रि पद से छुट्टी दे दी। अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं और सदन के बहुत से माननीय सदस्य भी जानते हैं कि पिछले १।।–२ साल से मेरा स्वास्थ्य निरन्तर खराब रहा और कई दफा सदन में भी जितना समय मुझे देना चाहिए और नियमित रूप से आना चाहिए मैं नहीं आ पाता था और अपने सचिवालय में भी मेरा यही हाल रहा, उसका मेरे दिमाग पर बड़ा वजन था। पिछली साल भी मैंने इसी कारण इस्तीफा दिया था और अब मेरे डाक्टरों ने इन्कार कर दिया है और कह दिया है कि हमारी दवाओं से कोई फायदा नहीं हो सकता और हम अब आपकी दवा नहीं करेंगे, यदि आप विश्राम नहीं करेंगे। तो मुझे विश्राम तभी मिल सकता है जबकि मैं इन जिम्मेदारियों से अलग रहूं। मुझे खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मेरे अनुरोध को इस बार स्वीकार कर लिया। मुझे हंसी आती है पत्ता कटने की बात जब माननीय सदस्य कहते हैं। पत्ता तो दूसरे नहीं काट सकते, वे स्वयं अपना ही पत्ता काटते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): पतझड़ की मौसम में अपने आप पत्ते उड़ते रहते हैं, और कइयों का पतझड़ आ रहा है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: बात भी तो सुननी चाहिए। जो मैं कह रहा हूं वह दिल से कह रहा हूं...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): पत्ते कटते नहीं हैं, झड़ जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: आॅर्डर प्लीज ! कुछ तो सीमा में रहने की कोशिश की जानी चाहिए।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: इस पद से विदा होते समय मुझे सदन में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इस बात का इन्डीकेशन है कि हमारे सदन का गौरव रखने की चेष्टा नहीं की जाती है। मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है क्योंकि मैं तो बहुत खुशी के साथ विदा ले रहा हूं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ज्यादा अच्छा है इधर आ जाइये ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि पत्ता काटने वाली बातें चलीं; इसलिए मैं यह मानता हूं और दिल से मानता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी ने और मेरे साथियों ने भी मुझको जरूरत से ज्यादा निभाया है और जरूरत से ज्यादा मुझे सम्मान दिया है ।

श्री अध्यक्ष : अभी जो मुख्य मन्त्रीजी ने घोषणा की कि उनके मन्त्रिमण्डल के वरिष्ठ सदस्य, श्री हरिभाऊ जी उपाध्याय, जिन्हें हम स्नेह व आदर से 'दा साहब' कहते हैं मन्त्रिमण्डल से त्याग-पत्र देना चाहते हैं । कुछ माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध से अगर कुछ ऐसी कटु बातें कही हैं तो मैं आशा करता हूं कि दा साहब उस पर गौर नहीं करेंगे और अभी, और पहले भी ऐसी बातें सदन में इसलिए कही जाती थीं कि आपका, हरिभाऊजी का एक स्वभाव-पूर्ण व्यक्तित्व था जिससे कुछ लोगों को प्रेरणा मिल जाती थी और वे ऐसी बातें कह जाते थे जो कि उनको नहीं कहनी चाहिए थीं । इसलिए मैं सब सदन की ओर से इसके लिए, चाहे क्षमा मांगना कहें या कुछ भी कहें, मैं आशा करता था कि इस समय ऐसी बातें नहीं कही जायेंगी जिससे कुछ ठेस पहुंचे । इसमें दो राय नहीं कि बहुत से माननीय सदस्यों को यह बात अखरी हो और इसके लिए सन्देह नहीं हो सकता कि दा साहब ने जैसा कहा कि इस प्रकार का वातावरण न रहे, वह उचित ही कहा है । श्री उपाध्यायजी का हमारे राज्य के राजनैतिक जीवन में बहुत ऊंचा स्थान रहा है और उन्होंने विभिन्न परिस्थितियों में हमारे देश की सेवा की है । इसके लिए हम उनके आभारी हैं । हम आशा करते हैं कि वे चिरायु होंगे और जिस किसी भी परिस्थिति में हों हमारे प्रांत व देश की सेवा करने के उपयुक्त होंगे ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अब मैं एक जानकारी करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जो घोषणा की है तो इसका क्या ऑकेज़न हैं, जब कि उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया है ।

कुछ माननीय सदस्य : दे दिया है ।

श्री भैरोंसिंह : अभी अध्यक्ष महोदय ने बताया है कि त्यागपत्र देना चाहते हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : त्यागपत्र दे चुके हैं और मैंने यह कहा है कि उसका विधिवत् नोटिफिकेशन निकालना केवल बाकी है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं अपनी ओर से दा साहब की सेहत ठीक रहे, इस बात की शुभ-कामना प्रकट करता हूं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री तो आते हैं और जाते हैं, लेकिन हरिभाऊ उपाध्याय के लिए इस ओर भी स्थान है और मैं अपनी ओर से तथा मेरे दल की ओर से शुभकामना अर्पित करता हूं कि वे अपना शेष जीवन शान्तिमय रूप से व्यतीत करें ।

(१२.११ म. प.)

विभिन्न स्थगन-प्रस्ताव

(क) राजस्थान नहर के मजदूरों की हड़ताल

श्री अध्यक्ष : कुछ स्थगन-प्रस्तावों की सूचना आई है। माननीय सदस्य श्री योगेन्द्र-नाथ हांडा व माननीय सदस्य श्री मुरलीधर व्यास ने राजस्थान नहर के कुछ काम करने वाले मजदूरों की जो हड़ताल चल रही है उसके सम्बन्ध में स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। यह प्रस्ताव मैं अस्वीकार करता हूं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में सदन की जानकारी के लिए शीघ्र ही वक्तव्य देंगे।

(ख) जयपुर में रिक्शा चालकों की हड़ताल

जयपुर शहर में रिक्शा-चालकों की जो हड़ताल चल रही है उसके सम्बन्ध में श्री विजयसिंह झाला, श्री हरिप्रसाद शर्मा व श्री मुरलीधर व्यास ने स्थगन-प्रस्तावों की सूचना दी है। इस सम्बन्ध में भी मैं आशा करता हूं कि सरकारी पक्ष की ओर से स्थिति का स्पष्टीकरण व निराकरण करने हेतु शीघ्र ही कोई वक्तव्य दिया जायगा।

(ग) भोपालसागर शक्कर मिल के क्षेत्र में गुड़ बनाने पर प्रतिबन्ध

एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना श्री अब्दुलजब्बार खां ने दी है जिसका सम्बन्ध गुड़ बनाने पर प्रतिबन्ध, भोपाल सागर शूगर मिल के क्षेत्र में से है। मैं इसको अस्वीकार करता हूं और अगर माननीय सदस्य उचित समझें तो इसको बहस के दौरान में उठा सकते हैं ताकि सरकारी पक्ष की ओर से उसका उत्तर दिया जा सके।

(घ) डी० आई० आर० के तहत गिरफ्तार कुछ राजनैतिक बन्दियों द्वारा भूख हड़ताल

माननीय सदस्य श्री मुरलीधर व्यास ने एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है कि डी० आई० आर० में गिरफ्तार राजनैतिक व्यक्तियों में से कुछ व्यक्तियों ने भूख-हड़ताल कर रखी है। इसको भी मैं अस्वीकार करता हूं और अगर माननीय सदस्य उचित समझें तो इसको बहस के दौरान में उल्लेख कर सकते हैं ताकि इसका उत्तर दिया जा सके।

(ङ) राज्य में खाद्यान्न स्थिति

इसी तरह से माननीय सदस्य श्री मुरलीधर व्यास ने राज्य में जो खाद्यान्न स्थिति है उसके सम्बन्ध में विशेष तौर से सस्ता नाज नहीं मिलने के सम्बन्ध में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। इसको भी बहस के दौरान में उठाया जा सकता है।

(च) जैसलमेर जिले में डाकुओं का आतंक

श्री कृष्णकुमार गोयल ने एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है जो कि इस प्रकार है:—

"जैसलमेर जिले के गांव विग्राम तहसील नाचना के १२६ व्यक्ति डाकुओं के आतंक से फलोदी भाग आये हैं और ये व्यक्ति मेघवाल हरिजन हैं। राजस्थान पाक सीमा पर डाकुओं का आतंक छाया हुआ है और डाकुओं ने कई व्यक्तियों के नाक, कान, हाथ काट कर प्रदर्शन किया है और

Page No 29

(श्री अध्यक्ष)

इसी प्रकार की धमकी डाकुओं ने इन मेघवाल हरिजनों को दी है"....इत्यादि, इत्यादि बातों का उल्लेख इस प्रस्ताव में है। मैं आशा करूंगा कि मन्त्री महोदय इस संबंध में भी उचित समय पर एक वक्तव्य दें।

(छ) लाखेरी सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों के बोनस की कटौती

एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना माननीय सदस्य श्री हरिप्रसाद शर्मा ने दी है। यह लाखेरी सीमेंट फैक्ट्री में वहां के मजदूरों को बोनस देने में कटौती से जो स्थिति पैदा हुई है उसके बारे में है। इसको भी अस्वीकार किया जाता है और माननीय सदस्य अगर उचित समझें तो इसको अपनी बहस के दौराद में उठा सकते हैं।

(ज) मंहगाई के सम्बन्ध में निजी एवं राजकीय कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की उदासीनता

एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना माननीय सदस्य श्री रामानन्द अग्रवाल ने दी है जो कि इस प्रकार है—

"मंहगाई के सम्बन्ध में निजी एवं राजकीय क्षेत्रों के मजदूरों एवं राज्य कर्मचारियो की मांगों के प्रति राजस्थान सरकार के उदासीनतापूर्ण रुख के कारण मजदूरों एवं कर्मचारियों में व्याप्त तीव्र असन्तोष से उत्पन्न स्थिति पर तत्काल विचार करने के लिए इस सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाय।"

यह तो राज्य की एक सामान्य नीति से सम्बन्ध रखता है और बहस के दौरान में इसको उठाया जाकर इसका निराकरण किया जा सकता है। इसको भी इसलिए अस्वीकार किया जाता है।

(झ) पानरवा जंगल के ठेके के सम्बन्ध में

माननीय सदस्य श्री मुरलीधर व्यास ने पानरवा जंगल के ठेके के सम्बन्ध में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। उन्होंने कहा है कि ठेका पुन: राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला है, इसलिए इस स्थिति पर भी पुन: विचार किया जाय। इस सम्बन्ध में भी माननीय सदस्य बहस के दौरान में इसका उल्लेख कर सकते हैं। इसको भी अस्वीकार किया जा सकता है।

अगर आज किसी प्रस्ताव पर वक्तव्य दिया जा सकता है तो आज, नहीं तो कल या परसों, जैसी सुविधा हो, उसके मुताबिक मन्त्री महोदय वक्तव्य दे सकते हैं।

(१२.१६ म. प.)

रिक्शा-चालकों की हड़ताल विषयक शीघ्र जानकारी प्राप्त करने सम्बन्धी वाद-विवाद

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष, रिक्शावालों की बात तो आप देखते हैं, बहुत दिनों से उनको जानकारी भी है। मैं समझता हूं कि ७ दिन से उनकी हड़ताल चल रही है और २० तारीख से माननीय मुख्य मन्त्री के बंगले के सामने धरणा भी दिया था। ऐसी स्थिति

(श्री विजयसिंह झाला)

में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आज ही इसका स्टेटमेंट होना बहुत आवश्यक है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना मैंने और दी है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपसे कई दफा निवेदन कर चुका हूं कि मुझे सूचना दिये बगैर किसी बात का उल्लेख यहां कृपया नहीं करेंगे। उसमें कुछ है इसलिए उसको नहीं लिया गया। उसके बारे में कुछ शंकाएं हों या जानकारी करना चाहें तो इस तरह से खड़े होकर यहां जानकारी नहीं करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं तो सिर्फ जानकारी कर रहा था।

श्री अध्यक्ष : जानकारी सदन के सामने नहीं दी जाती है।

(१२. १८ म. प.)

अनुपस्थित हेतु-अनुमति

श्री हरिप्रसाद शर्मा, विभाजन संख्या ६२ ने दिनांक २४-२-६५ से १०-३-६५ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है। क्या सदन की अनुमति है कि उनको अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

(१२. १६ म. प.)

रिक्शा चालकों सम्बन्धी हड़ताल पर पुनः वाद-विवाद

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट तो होना ही चाहिए, २० तारीख से हड़ताल है, इसलिए माननीय मन्त्री महोदय नहीं कह सकते हैं कि उनको जानकारी नहीं है। हैल्थ मिनिस्टर साहब और श्रम मन्त्री महोदय को थोड़ा एक्टिव होना चाहिए अब जब कि विधान सभा चल रही है, उसके पश्चात्।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक रिक्शा चालकों का प्रश्न है वे धरना दिए हुए बैठे हैं और कल से उन्होंने भूख हड़ताल भी की है। काफी बड़ी संख्या में वे लोग हैं। उस प्रश्न पर सरकार विचार भी कर रही है या नहीं और उस पर आज वक्तव्य देने की स्थिति में है कि नही, यह भी सामने आना चाहिए।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जब कि कोटा में नये लाइसेंस दिये जा रहे हैं, टौंक में लाइसेंस दिये जा रहे हैं तो जयपुर ने क्या कुसूर किया है कि रिक्शा-चालकों को इस तरह से परेशान किया जा रहा है। मंहगाई का जमाना है और सरकार खुद इस बात की कोशिश कर रही है कि कोई भी व्यक्ति बगैर धन्धे के नहीं रहे। अभी पार्लियामेंट में डॉ० लोहिया ने कहा है कि दफा १०६ के तहत जो गिरफ्तारियां होती है वे गिरफ्तारियां नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टीट्यूशन में यह गारन्टी दे रखी है कि सब को

(श्री अब्दुलजब्बार)

नौकरी दी जायगी। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि सरकार को संजीदगी के साथ में जितना जल्दी हो सके इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। रिक्शा-चालकों की तन्दुरुस्ती खराब होती है या वे नपुंसक हो जाते हैं, इस बात की चिन्ता नहीं करनी चाहिए क्योंकि सरकार इस पोजीशन में नहीं है कि उनको वह दूसरे जरिये से रोजी-रोटी दे सके। यहां पर लाइसेन्स जब कि रिक्शा मालिकों को दे रखे हैं और रिक्शा-चालकों को नहीं दे रखे हैं, ऐसी सूरत में ब्लेक मार्केटिंग होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, खासतौर से मिनिस्टर साहब से कि वे उसको देखे कि उनकी मांगें क्या हैं और जल्दी से जल्दी उनको पूरा करना चाहिए।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : वक्तव्य दिलाने के लिये तो अध्यक्ष महोदय, आप कम से कम फरमा ही सकते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : हम यह जानना चाहते हैं कि क्या श्रम मंत्रीजी और हैल्थ मंत्रीजी को यह मालूम है कि रिक्शा चालकों की हड़ताल चल रही है ? कम से कम 'हां' या 'ना' में तो जवाब दे दें।

श्री बरकतुल्लाखां (स्वायत्त शासन मंत्री) : मैं यह समझ रहा था कि इसको सीरियसली लिया जा रहा है इसलिये मैं इसको लाइट हार्टेडली नहीं लेना चाहता था; लेकिन मैं अब देखता हूँ कि जिस तरह से प्रेस किया जा रहा है उसे देखते हुए बहुत लाइटली प्रेस किया जा रहा है। मैं उसको इस लाइट में नहीं लेना चाहता। जैसा कि अध्यक्ष महोदय, आपने फरमाया है मैं शीघ्र ही इस बारे में स्टेटमेंट दूंगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : कब देंगे।

श्री बरकतुल्ला खां : कल।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मंत्रीजी ने कहा कि इस प्रश्न को लाइट हार्टेड तरीके से लिया जा रहा है, यह गलत है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि विरोधी दल इसको लाइट हार्टेडली नहीं ले रहा, बल्कि मन्त्रीजी स्वयं इसको लाइट हार्टेडली ले रहे हैं। यह प्रोबलम, आज का नहीं है, बल्कि बहुत पहले उठी था और सरकार इस पर विचार करके निर्णय ले सकती थी, लेकिन उसने निर्णय नहीं लिया इसलिये मजबूरी के कारण भूख हड़ताल हो रही है और धरणा दिया जा रहा है। मंत्रीजी का इस तरह से कहना जले पर नमक छिड़कना है।

श्री बरकतुल्ला खां : मैंने बिल्कुल लाइट तरीके से नहीं कहा था; मेरे सामने बैठे हुए माननीय सदस्य इसका जबाब 'हां' या 'ना' में चाह रहे थे, इसलिये मैंने कहा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : लोग भूखों मर रहे हैं, चरम सीमा तक उनका शोषण हो रहा है। २०–२५ पूंजीपति उनका शोषण कर रहे हैं, उसके बाद भी आप इसको लाइटली ले रहे हैं।

सचिव, राजस्थान विधान सभा (श्री अनोपसिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं....

श्री केसरीसिंह (पाली) : थोड़ा ढबावो साहब एक मिनिट के लिये ।

अध्यक्ष महोदय, पिछले सैशन के अंत में और इस सैशन के बीच में एक माननीय सदस्य का निधन हो चुका है....

अनेक माननीय सदस्य : इसके बारे में कल हो चुका है ।

श्री केसरीसिंह : तो क्षमा चाहता हूँ ।

(१२.२३ म. प.)

राष्ट्रपति महोदय एवं राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

सचिव, राजस्थान विधान सभा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा द्वारा गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूँ जिन पर राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है ।

(क) राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक :

(१) राजस्थान भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६४

(२) राजस्थान सार्वजनिक भूगृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) विधेयक, १९६४.

(ख) राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक :

(१) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६४

(२) उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६४

(३) राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६४

(४) राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६४

(५) राजस्थान आबकारी तथा कर अधिकारीगण (पदनाम परिवर्तन) विधेयक, १९६४

(६) राजस्थान प्राथमिक शिक्षा विधेयक, १९६३

(७) राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, १९६४.

विभिन्न अध्यादेशों की प्रस्तुति

पंचायत मन्त्री (श्री भीखाभाई) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९६४ (अध्यादेश संख्या ८, सन् १९६४) को सदन की मेज पर रखता हूँ ।

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कतिपय नगरपालिका (बोर्डों का निरन्तर अस्तित्व एवं गठन तथा कार्यवाही) वैधकरण अध्यादेश, १९६५ (अध्यादेश १, सन् १९६५) को सदन की मेज पर रखता हूँ ।

(अधिसूचना)

वित्त विभाग की अधिसूचना
(सदन की मेज पर रखना)

उप-मन्त्री वित्त, (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विभाग (रेवेन्यू सेक्शन) की अधिसूचना संख्या एफ ५(२१) एफ. डी. (आर. टी.) ६४ दिनांक १७ अगस्त, १९६४ को, कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम १९९ (२) के अन्तर्गत, पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

याचिका एवं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (सभापति, याचिका समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री फूलचन्द जैन (सभापति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, के नवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(१२.२७ म. प.)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव की प्रस्तुति एवं उस पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद।

श्री अमृतलाल यादव

श्री अमृतलाल यादव (भोपालसागर) : [प्रस्ताव इस प्रकार है : "इस सत्र में समवेत् विधान सभा के सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने कृपापूर्वक इस सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"] माननीय अध्यक्ष महोदय, कल विधान सभा में हमारे सम्माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया था उसके संबंध में मैं सदन में धन्यवाद प्रस्ताव उपस्थित करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे विधान सभा के इतिहास में पहली बार हमें यह देखने को मिला कि हमारे माननीय राज्यपाल का अभिभाषण न केवल हिन्दी भाषा में ही हुआ बल्कि उसकी प्रतियां भी हिन्दी में ही वितरित की गई और उसके साथ कोई अंग्रेजी की प्रतियां नहीं दी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के विधायकों की बहुत अर्से से यह मान्यता थी और चाहते थे सदन के इस ओर और उस ओर, दोनों तरफ बैठनेवाले माननीय सदस्यों की यह इच्छा थी और हमारे देश के संविधान में भी हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी के लिये जो एक प्रावधान हमारे विधायकों ने रखा था उसको भारत सरकार ने पिछली २६ जनवरी, १९६५ से लागू किया उसके लिए हमारी राजस्थान सरकार ने निश्चित तौर से जो कदम उठाया उसके लिये वह निश्चित तौर से बधाई की पात्र है।

राज्यपाल महोदय ने राजस्थान की जनता के जनमत को ध्यान में रखते हुए और उसकी कद्र करते हुए यह अभिभाषण हिन्दी में दिया और उसकी प्रतियां हिन्दी में ही वितरित की गई। इतना ही नहीं,

Page No 34

(श्री अमृतलाल यादव)

राज्य सरकार ने जैसी कि पिछले वर्ष घोषणा की थी उसके अनुसार हिन्दी में राज कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और इस सिलसिले में हमारे राज्य के माननीय मुख्य मंत्रीजी ने विभिन्न अवसरों पर अपने वक्तव्यों के द्वारा जो अपने विचार जाहिर किये हैं उनकी सराहना न केवल अपने प्रदेश में ही बल्कि सारे देश के अंदर की गई और यह इस बात का द्योतक है कि राजस्थान, मैं यदि यह कहूं तो अत्योक्ति नहीं होगी, कि सारे देश में एक ऐसा राज्य है जिसने जिस तरह से लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण में पहल की थी उसी तरह से आज इस दिशा में भी राजस्थान ने पहल की है और इसके लिये हमारे राज्यपाल इस बात के अधिकारी हैं कि उनको हम धन्यवाद दें।

माननीय अध्यक्षजी, हमारा यह परम सौभाग्य है कि हमारे यहां ऐसे विद्वान, तपस्वी और मनीषि राज्यपाल हैं जिनके आशीर्वाद और छत्र-छाया में हमारा राजस्थान राज्य निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। यही नहीं, जब हम एक नजर राजस्थान के निर्माण के बाद प्रगति के कार्यो की ओर डालें तो हमें यह प्रसन्नता हुए बिना नहीं रहेगी कि हमारा राजस्थान निरंतर प्रगति की ओर, आर्थिक प्रगति की ओर कदम बढ़ाये जा रहा है। हमारी प्रथम पंच वर्षीय योजना ५५ करोड़ रुपयों की बनाई गई थी। उसके बाद द्वितीय पंच वर्षीय योजना १०५ करोड़ रुपयों की हुई और तृतीय पंचवर्षीय योजना में २३६ करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया और यह घोषणा हमने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में संतोष के साथ सुनी कि जो लक्ष्य तृतीय योजना में निर्धारित किये गये थे उन्हें लगभग पूरा करने के लिये राज्य सरकार ने कोशिश की है और यही वजह है कि अभी जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रावधान रखा है वह लगभग ४। अरब या ४।। अरब रुपयों का रखा है और उसमें सरकारी और गैर-सरकारी उद्योगों की जो कल्पना की गई है उनको मिला कर देखें तो यह राशि दुगुनी हो सकती है और इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि राजस्थान निश्चित तौर से आर्थिक प्रगति की ओर निरंतर विकास करता चला जा रहा है और इस दृष्टि से हम देखे तो हमें राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ने से पता चलता है कि उदयपुर जिले में दारोली में सीमेंट फैक्टरी खोलने का प्रावधान है और चित्तौड़ में भी सीमेन्ट फैक्टरी का कार्य पिछले वर्ष से शुरू हुआ है और नौहर में कपड़े की मिल स्थापित होने तथा अन्य लघु और बड़े उद्योगों की व्यवस्था की गई है। इससे निश्चित तौर से हमको पता लग सकता है कि हमारी सरकार औद्योगिक प्रगति के लिये निरंतर प्रयत्नशील है।

अभी अगर हम देखें तो इसको देखने से मालूम होता है कि हमारे यहां प्रति व्यक्ति वार्षिक आय चालू मूल्य स्तर से, जैसा कि बताया गया है, ३२३ रुपये से बढ़ कर ३५५ रुपये हो गई है और यह १९७०-७१ में बढ़ कर ४१८ रुपये हो जायगी। इसके साथ ही साथ राज्य की आय-वृद्धि की दर भी निरन्तर बढ़ रही है। जैसा कि लेखा बताया गया है कि आय-वृद्धि की दर जो ६.२८ रुपये प्रतिशत वार्षिक आई है उसमें भी वृद्धि रही है। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि

Page No 35

निरन्तर राज्य प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। जहां तक हमारे राजस्थान का प्रश्न है वह एक कृषि प्रधान राज्य है, वैसे तो सारा देश ही कृषि प्रधान देश है लेकिन....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : एक जानकारी कर सकता हूं? माननीय सदस्य ने बताया है कि ३५५ रुपये पर कैपिटा इन्कम हो गई है। यह कैसे हो गई है? यह मालूम करना चाहता हूँ।

श्री अमृतलाल यादव : मैंने यह नहीं बताया। मैं फिर बता देता हूं कि

(१२.३१ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

चालू मूल्य स्तर के अनुसार प्रति व्यक्ति आय ३२३ से बढ़ कर ३५५ तृतीय पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने पर होगी। और १९७०-७१ में जाकर इसके ४१८ रुपये होने का अनुमान है....

श्री भैरोंसिंह : इस समय क्या है?

श्री अमृतलाल यादव : इस समय इसके बीच है?

श्री भैरोंसिंह : क्या है?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : ३२३ और ३५५ के बीच में है।

श्री अमृतलाल यादव : ३२३ और ३५५....

श्री नाथूराम मिर्धा : के बीच है।

श्री अमृतलाल यादव : मैं कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य को पता नहीं है कि राजस्थान की पर-कैपिटा इन्कम क्या है और हमें बता रहे हैं!

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : राजस्थान सरकार को ही पता नहीं है।

श्री अमृतलाल यादव : मेरे पास आंकड़े हैं, उनसे पर-कैपिटा इन्कम इस समय क्या है वह नहीं बता सकता। मेरे पास राउन्ड आंकड़े हैं।

श्री भैरोंसिंह : ये आंकड़े आपको किसने दिये हैं जिनके आधार पर आपने ३२३ से ३५५ की बात कही?

श्री अमृतलाल यादव : मैंने लिये हैं। मुझे ये आंकड़े देने हैं।

मैं कह रहा था, इस तरह प्रति व्यक्ति...

श्री भैरोंसिंह : बतलाइये?

श्री अमृतलाल यादव : ये आंकड़े उन्होंने दिये हैं जो आपको देते हैं और जो आपके पास किताब है।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री): करेन्ट प्राइस में या कन्क्लूडिंग प्राइस में?

श्री भैरोंसिंह : किसी प्राइस में बता दीजिये? राजस्थान की पर-कैपिटा इन्कम कितनी है?

Page No 36

श्री अमृतलाल यादव : १९६३ के ऊपर यह आधारित किया गया है कि ३२३ से ३५५ के बीच में है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ३३३ है पिछली साल।

श्री अमृतलाल यादव : आप सुनिये।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उसमें एक पर्सेन्ट, दो पर्सेन्ट का फर्क हो सकता है लेकिन इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि वह आमदनी निश्चित रूप से बढ़ी है, प्रति व्यक्ति आमदनी की दर बढ़ी है और कुल मिला कर राज्य की आय-दर भी बढ़ी है।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है कि जहां के लोगों का जीवन विशेष तौर से कृषि के ऊपर और पशु-पालन के ऊपर निर्भर करता है। इस राज्य की प्राकृतिक और भौगोलिक स्थिति ऐसी है और इसकी वजह से ही अकाल कहीं कहीं, कभी कभी और आम तौर से कई जगह पर पड़ते रहते हैं। लेकिन जो हमारी राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रयत्न किये हैं वे प्रशंसनीय हैं।

इन प्रयत्नों को अगर हम देखें तो हमें यह एक सराहनीय बात मालूम होगी कि राज्य सरकार ने इस अकाल-राहत के लिए जो कार्य किये उनके अन्दर कम से कम १९६४ में ५ करोड़ १४ लाख ४८ हजार रुपये खर्च हुए। इसके अलावा १ करोड़ ७६ लाख ७५ हजार कृषि-भूमि के रेवेन्यू के और दूसरे किसानों को राहत देने के लिए स्वीकार किये गये और जिन लोगों को धन्धा दिया गया, उन रोजगार करने वालों की संख्या इस अकाल के वक्त करीब तीन लाख तक पहुँच गई। इसके अलावा पशुओं के लिए घास और दूसरे जरूरत के साधन उपलब्ध किये गये, पानी की सुविधा उपलब्ध की गई और जो कृषक बाहर अपने मवेशियों को लेकर गये, वे जहां जहां गये वहां की राज्य सरकारों से पत्र-व्यवहार करके वहां उन्हें राहत देने की कोशिश की गई। इतने बड़े क्षेत्र में, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए इतनी बड़ी रकम जो दी गई और जो खर्च की गई—उस सबके लिए निश्चित तौर से राज्य सरकार प्रशंसा की पात्र है।

इसके बाद कृषि के क्षेत्र में जो कार्य किये गये, उनके अन्दर, मैं समझता हूं, सबसे बड़ी बात यह हुई कि कृषि-भूमि में कृषि करने के लिए और उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने जो प्राथमिकता दी वह भूमिहीन हरिजनों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े हुए वर्ग के लोगों को भूमि देने में प्राथमिकता देने की व्यवस्था की—वह भी निश्चित तौर से प्रशंसनीय है। इसके अन्तर्गत राज्य सरकार ने ७६७ परिवारों को ३६,२३९ बीघा जमीन दी और जो भेड़ पालक हैं उनको पचास भेड़ और दो मेंढ़े प्रति परिवार देने की योजना बनाई है वह निश्चित रूप से लोगों को रोजी और रोटी देने के अन्दर सहायक होगी। इतना ही नहीं, जो कृषि उत्पादन है उसको भी यह बढ़ाने में सहायक होगी। लेकिन मैं यह जरूर महसूस करता हूँ कि जो भेड़-पालक हैं, उनको जो भूमि दी जायगी वह भूमि, जो भूमि कृषि-भूमिहीनों को दी जायगी,

Page No 37

(श्री अमृतलाल यादव)

उसमें शुमार नहीं होनी चाहिए क्योंकि कृषि-भूमिहीनों को भूमि कृषि के लिए दी जायगी और जो भेड़-पालकों को दी जायगी वह भेड़ पालने के लिए दी जायगी। उस भूमि के अन्दर अधिक धान पैदा होता हो या उसके अन्दर कृषि होती हो—ऐसी बात नहीं है क्योंकि उस भूमि के अन्दर वे घास और दूसरी चीजें, जो भेड़ें खाती हैं, उगाते हैं। इन दोनों तरह की भूमि को मिला कर फिगर ज्यादा हो जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसकी एक निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही जहां तक इस नियम का सवाल है, इस आदेश का सवाल है—इस आदेश से निश्चित तौर से राज्य की मन्शा इन लोगों को राहत पहुंचाने की है। लेकिन फिर भी नीचे की मशीनरी के द्वारा इसका जितना अधिक लाभ उन लोगों को पहुंचना चाहिए, मैं अपने अनुभव के आधार पर अर्ज कर सकता हूं कि उतना लाभ नहीं पहुंच पाया है। इसलिए राज्य सरकार इस दिशा में देखे ताकि उन्हें कुछ अधिक से अधिक राहत मिल सके और निश्चित तौर से सरकार की मन्शा पूरी हो सके। इसके लिए इसका प्रोसीजर भी सिम्प्लीफाई करने की जरूरत है। साथ ही इसकी अवधि एक जून तक रखी है, मैं समझता हूं कि इस अवधि के अन्दर निश्चित तौर से जरूरतमन्द लोगों को भूमि नहीं मिल सकेगी। इसलिए इस अवधि को एक साल के लिए बढ़ा देना चाहिए, ताकि इस अवधि के अन्दर निश्चित तौर से उन लोगों को भूमि मिल सके। राज्य सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करे ताकि कम से कम आठ-दस महीने या एक साल के अन्त तक कह सके कि हमारे राज्य में एक भी भूमिहीन ऐसा नहीं रहा है जो कृषि करना चाहता हो और जिसे कृषि-भूमि न मिली हो। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में यह कहे कि इतनी भूमि नहीं है या व्यवस्था जल्दबाजी में हो गई तो यह उपयुक्त नहीं होगा।

आज हमारे यहां राजस्थान कैनाल की व्यवस्था है और राजस्थान कैनाल में जितना काम हुआ है वह हमारे सबके सामने है। राज्य सरकार हर साल इस बात को बताती रही है। अभी हाल ही राजस्थान कैनाल के निर्माण के लिए यह घोषणा की गई है कि इसे नेशनल प्रोजेक्ट की तरह भारत सरकार ले रही है और उसमें आई लाखों एकड़ भूमि भूमिहीनों को दी जायगी। हमारी राज्य सरकार ने इसके अन्दर इन्वेस्टमेंट किया है और दूसरे भारत सरकार ने भी किया है।

अब उस रकम का वसूल होना निहायत जरूरी है। लेकिन उसके उपरान्त भी इतनी जमीन हो सकती है कि राज्य सरकार भूमि-हीनों को भूमि दे पायेगी और जितने भी राज्य में भूमिहीन हैं उनको देने के बाद भी इतनी जमीन मिल सकेगी जिससे उसमें लगे हुए रुपये की वसूली की जा सकती है। यदि निःशुल्क भी वह भूमि न दी जा सके तो कम से कम शुल्क उन लोगों के निर्वाह और स्थिति को देखते हुए निर्धारित किया जाय और ईजी इन्स्टालमेंट में, साधारण किश्तों में उनसे वसूल कर लिया जाय। इस तरह से, मैं यह निवेदन करूंगा कि समाजवादी व्यवस्था के अनुरूप यह अत्यन्त उपयुक्त होगा कि राज्य सरकार एक निश्चित अवधि निर्धा-

Page No 38

(श्री अमृतलाल यादव)

रित करे और राजस्थान कैनाल और अन्य इस तरह की सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत जितनी भूमि प्राप्त हो उसको निश्चित रूप से प्राप्त करे। अब एक गुंजायश और है कि राजस्व विभाग के पास जितनी भूमि है जो कृषि के योग्य है वह तो इस आदेश के अनुसार दे दी जावेगी लेकिन और भी भूमि हो सकती है जिस पर खेती नहीं होती है वह वन विभाग को लौटा दी जावे। इसके अतिरिक्त वन विभाग के पास बहुत सी ऐसी भूमि है जो चारागाह के रूप में है और अन्य पहाड़ी जमीन पहाड़ों की तलहटियों में है जो वन विभाग के लिये वन के लिये उपयुक्त नहीं हो सकती, लेकिन कृषि के लिये उपयोगी हो सकती है। मैंने मालूम किया तो मालूम हुआ कि राज्य सरकार ने इसके लिये एक कमेटी बनाई थी। उसने इन सारी बातों को देखा था। मुझे मालूम नहीं कि उस कमेटी ने अपनी क्या रिपोर्ट दी है। मैं समझता हूँ कि उस कमेटी ने जो भी राय दी हो, ठीक है; लेकिन मैं सरकार के सामने यह सुझाव रखना चाहता हूँ कि जिस भूमि में कृषि हो सकती है वह जमीन आज के अन्न की कमी के जमाने में निश्चित तौर से वन विभाग से ली जाकर रेवेन्यू विभाग को दे दी जानी चाहिये और रेवेन्यू विभाग में जितनी भूमि कृषि के योग्य नहीं है वह निश्चित तौर से वन विभाग को दे दी जानी चाहिये जिससे राजस्थान सरकार यह कह सके कि हमने भूमिहीन लोगों की समस्या को हल कर दिया और अब कोई भी व्यक्ति नहीं रहा जो भूमिहीन हो।

इसके अतिरिक्त गैर सिंचाई की जमीन को सिंचाई में लानेके लिये प्रयास किया है और कार्यक्रम किया है। अन्वेषी-नलकूप संगठन को दो वर्ष की अवधि में रेगिस्तानी इलाके में २५० नलकूप बनाने का काम सौंपा है, ठीक है साथ ही टांकों के निर्माण और पुराने कूओं की मरम्मत की योजना भी बनाई गई है और सबसे बड़ी विशेषता की बात यह है कि उन्होंने चम्बल में ५॥ करोड़ के लागत की भूमि-संरक्षण की योजना बनाई है वह सराहनीय है और जिसकी सराहना किये बिना मैं नहीं रह सकता। चम्बल में जो रीक्लेम करने की योजना है उसके पीछे मैं काफी अर्से से पड़ा हुआ हूँ। इस योजना से यू० पी०, मध्यप्रदेश, राजस्थान आदि की लॉ एन्ड ऑर्डर की समस्या पर जो खर्चा होता है वह भी ठीक हो सकेगी और जो डाकुओं की समस्या है उस पर जो खर्चा होता है वह भी इस योजना से बचेगा और इससे जो कृषि भूमि निकलेगी वह उन लोगों को दी जावे जो कृषिहीन हों और जो भूमि कृषि योग्य नहीं हो वह वन विभाग को दे दी जावे। इससे निश्चित तौर से उस भूमि का भी उपयोग होगा और डाकुओं की समस्या का भी हल हो सकेगा। इस दिशा में निश्चित कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके अलावा मेड़ बन्दी का कार्य किया गया। इस प्रकार के कार्यक्रम हैं जिससे निश्चित तौर से कृषि की आय बढ़ेगी।

इसी प्रकार चंबल की योजना के अन्तर्गत १५ लाख भूमि की सिंचाई होगी और २ लाख से अधिक किलोवाट बिजली उपलब्ध होगी जो राज्य की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में लाभप्रद होगी। जो लोग

(श्री अमृतलाल यादव)

गंगानगर से आये हैं और जो गंगानगर के रहनेवाले हैं वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि घग्घर में बाढ़ आ जाने से वहां पर भयंकर स्थिति पैदा हो जाती है और कितने ही लोग उससे तबाह हो जाते हैं। यह निस्सन्देह सरकार के लिये बहुत ही प्रसंशनीय कार्य है कि उन्होंने इस घग्घर की बाढ़ को रोकने के लिये और पानी को सिंचाई के लिये उपयोग में लाने के लिये व्यवस्था की है। यह जो व्यवस्था सरकार ने की है वह सराहनीय है।

इसी तरह भरतपुर और अलवर की तरफ जो रहने वाले हैं वे जानते हैं कि किस तरह से वहां पर पानी भरा रहता है और वहां पर मलेरिया का प्रकोप रहता है और पानी भरा रहने से वहां पर पैदावार भी कम होती है। इसके लिये भी राज्य सरकार ने योजना बनाई है। इसलिए राज्य सरकार इनके लिये प्रसंशा की पात्र है। इस योजना के तहत इस जिले में काफी भूमि सिंचाई में आवेगी और पानी का उपयोग भी होगा और इससे निश्चित तौर से कृषकों को लाभ होगा। इसके अलावा हमारी सरकार इस बात के लिये भी जागरूक है कि कहां से पानी मिल सकता है। हमारी सरकार यह चाहती है कि ऐसी भूमि जहां पर पानी नहीं होने से एक फसली हैं वहां पर दो फसलें हो सकें, इसके लिये हमारी सरकार बहुत जागरूक है और इस दृष्टि से गुजरात और मध्यप्रदेश में नर्बदा नदी पर एक बांध बांधा जावेगा। यह बहुत बड़ी योजना है और इसके बारे में भी हमारी सरकार ने भारत सरकार से मांग की है, राजस्थान को भी इसमें से उचित हिस्सा मिले जिससे जालोर और बाड़मेर के रेगिस्तानी हिस्सों को पानी मिल सकेगा। यह वास्तव में प्रसंशनीय है और राजस्थान सरकार की जागरूकता को प्रकट करता है।

इसके अलावा पंजाब और राजस्थान में इस बात का झगड़ा रहा करता था; अधिक से अधिक पानी फैलाने और रोकने और यहां पर पानी नहीं दिया जाने के बारे में। इस बात की लड़ाई थी कि पानी हमें दिया जावे। इसके लिये हमारी सरकार ने समझौता पंजाब सरकार से कर लिया है जिससे राजस्थान को भी उचित मात्र में अधिक से अधिक पानी मिल सकेगा। यह जो व्यवस्था की है वह प्रशंसनीय है और इस प्रकार की व्यवस्था से जहां पर एक फसली जमीन है वहां पर अब भी दो फसलें होने लगेंगी। ये जो प्रयत्न हमारी सरकार के हैं वे गरीब कृषक की उन्नति और देश में खाद्यान्नों की जो स्थिति है उसमें सुधार और अधिक उत्पादन की दिशा में एक ठोस कदम है।

अध्यक्ष महोदय, आज खाद्यान्न और मंहगाई का प्रश्न देश-व्यापी है। निश्चित तौर से इससे आम जनता को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। इसलिये यह हमारी राज्य सरकार का ही प्रश्न नहीं है, यह सारे देश का प्रश्न है। यह राष्ट्रीय समस्या है। केवल राज्य सरकार को ही नहीं बल्कि संसद सदस्य, विधायकों व अन्य नागरिकों का भी कर्तव्य है जिससे इस राष्ट्रीय समस्या का हल हो सके। यह समस्या किसी राजनैतिक

(श्री अमृतलाल यादव)

पार्टी की नहीं हो सकती और न राजनैतिक पार्टी इसका हल करने के लिये यदि चाहे कि हम अकेले ही इसको हल कर लेंगे, तो यह मुश्किल बात है। इसका जो हल है, इसका जो समाधान है, इसके लिये हम सब देश-वासियों को सामूहिक रूप से प्रयत्न करने चाहिये। यदि सब देशवासी निश्चित तौर से प्रयत्न करेंगे तो सफलता मिल सकती है। हमारी सरकार का यह कर्त्तव्य है कि जो सुझाव अच्छे आवें उनको कार्यान्वित कराये। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अन्य विरोधी दलों की ओर से जो भी कोई अच्छे सुझाव हों, उनका निश्चित तौर से स्वागत करना चाहिए। लेकिन मुझे यह देख कर निराशा होती है कि वे जनता में ज्यादा उलझन और उत्तेजनात्मक वातावरण पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, इस तरफ विशेष तवज्जोह दी जावेगी, इसकी उम्मीद है। राजस्थान ने जो व्यवस्था की है उससे मैं यह कह सकता हूँ कि आम तौर से दूसरे प्रदेशों की हालत है, उससे राजस्थान अच्छी स्थिति में है, यह मैं कह सकता हूँ। और यह जो व्यवस्था है कि निर्यात के मामले में, मोटे अनाज के निर्यात की बात कही; इसके सम्बन्ध में मैं समझता हूँ यह अच्छा है कि जितना निर्यात किया जाय राज्य सरकार को २५ प्रतिशत, आधा, उसको दिया जाय और उसके अलावा बाकी राज्य में रखा जाय। लेकिन मोटे अनाज के निर्यात के साथ साथ यह देखने की भी आवश्यकता है कि हमारे यहां कहीं इस अनाज की कमी नहीं आ जाय और हमारे यहां के गरीबों को इन मोटे अनाजों के अभाव को न भुगतना पड़े।

आम तौर से माननीय उपाध्यक्ष जी, नियन्त्रण अपने आप में कोई अच्छी बात नहीं है और आम तौर से जनता में यह बात आई है कि यह कन्ट्रोल, नियन्त्रण जो खाद्यान्न और शक्कर के ऊपर है यह उठा लिया जाय। यह बात सामने आती है तो ऐसा लगता है कि इसमें वजन है और निश्चित रूप से इसे उठा लिया जाय तो अच्छा रहेगा, पर अनाज के बड़े बड़े व्यापारी और खास तौर से वे व्यापारी जिनकी कि रेपुटेशन अच्छी नहीं रही है वे लोग भी जोर जोर से यह बात कहते हैं तो दिल में एक शंका पैदा होती है कि वे ऐसा क्यों कहते हैं। तो, इस बात पर सोचा जरूर जाय। मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि यह कहूँ कि यह नियन्त्रण बिल्कुल हटा लिया जाय, पर मैं इस पर सोचने को मजबूर हूँ कि जो ऐसी बातें कहते हैं इसमें वजन है, इसलिये इस तरफ राज्य सरकार देखे और सोचे, यह मेरा निवेदन है।

जहाँ तक किसी प्रदेश अथवा देश की उन्नति का सवाल है वह तीन बातों पर आज निर्भर करता है, कृषि, उद्योग और बिजली। हमारे प्रदेश का औद्योगीकरण पूरा नहीं हुआ है, इस बात की हमारे यहां बड़ी जरूरत है। बिजली के बारे में जो कुछ राज्य सरकार ने किया है उसको देखते हुए संतोष होता है। हमारे यहाँ बिजली वाले कुओं की संख्या ३००० के लगभग पहुँच गई है और आगे के लिये भी प्रोग्राम है। ५४० बस्तियों में पिछले साल बिजली दी गई और ५०० बस्तियों में अगले साल देने की योजना है,

(श्री अमृतलाल यादव)

यह प्रशंसनीय है। पर इस दिशा में नीचे जाकर जो राज्य की मशीनरी, जिस प्रकार किसानों और राज्य के बीच व्यवस्था की बात आती है, उसमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो जरूरतमंद किसान है लेकिन गरीबी में उसका कोई जरिया नहीं है तो वह बिजली के अभाव में तड़प रहा है और जहाँ ज्यादा लोग जोर दे देते हैं वहां व्यवस्था कम होने पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। मैं इस ओर राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह किसका क्षेत्र है, किसका एरिया है, बिना इस बात पर विचार किये निष्पक्ष रूप से जहां कृषि के उत्पादन का सवाल है, जहां जरूरतमंद लोग हैं वहां बिजली दी जानी चाहिये। इस दृष्टि से काम किया जायगा तो अधिक लाभ होगा और उत्पादन अधिक बढ़ेगा।

१३२ किलोवाट क्षमता की आपत्कालीन ट्रान्समिशन लाइन रतनगढ़ से सीकर होकर जयपुर तक बनाई जा रही है, निर्धारित समय से पूर्व इसे क्रियान्वित करने के लिये मैं राज्य सरकार को धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकता।

लगभग १५ करोड़ रुपया शिक्षा के क्षेत्र में व्यय हो रहा है, यह संतोष की बात है; पर यह देखकर थोड़ा खेद होता है कि पिछले वर्ष संस्कृत विश्वविद्यालय के लिये माननीय राज्यपाल महोदय ने जोर दिया था और उसके बाद से लगातार इस बात की आशा थी कि राज्य सरकार इस ओर जल्दी से जल्दी कदम उठायेगी। पर इस बात का इस भाषण में यद्यपि जिक्र है और कहा है कि चौथी योजना में इसका प्रावधान कर दिया जायगा, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। इसके लिये निश्चित प्रावधान कर दिया जाय और संस्कृत विश्वविद्यालय जल्दी खोल दिया जाय, इस बात की आवश्यकता है, यह निश्चित रूप से राज्य सरकार का एक ऐसा कदम होगा जिसकी सारे देश में प्रशंसा होगी।

सके अलावा राज्य सरकार ने आयुर्वेद के क्षेत्र में अन्य कई प्रान्तों से निश्चित रूप से प्रगति की है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। आयुर्वेद क्षेत्र में जो योजना बनाई गई कि १४,००० की जनसंख्या के बीच एक आयुर्वेदिक औषधालय और पिछड़े हुए इलाकों में १४ हजार की जनसंख्या के बजाय ८ हजार जनसंख्या रखी है, वह प्रशंसनीय है। आयुर्वेद के क्षेत्र में राज्य सरकार लगातार प्रगति कर रही है, यह प्रशंसनीय है, पर साथ ही यह निवेदन करना चाहूँगा कि इस दिशा में और किये जाने की आवश्यकता है।

इसके साथ ही साथ वैद्यों की योग्यता और उनके वेतन स्तर के सम्बन्ध में भी मैं निवेदन करना चाहूँगा। मैं अक्सर देखता हूँ कि वैद्य लोग जितनी क्षमता से और जितनी तत्परता से उनको अपने कर्त्तव्यों का पालन करना चाहिये, राज्य की सेवा करनी चाहिये, ताजा औषधियाँ हों और ठीक ढंग से दी जाय, रोगियों की ठीक ढंग से सेवा की जाय, इस दिशा में वैद्यों को देखना चाहिये और उनके वेतन-स्तर को भी देखना चाहिये।

टी. बी. के दो अस्पताल खोले गये-एक

(श्री अमृतलाल यादव)

अजमेर में और एक जोधपुर में। इनके अलावा एक झुंझुनूं में और एक दूसरी जगह अस्पाताल खोला, उसके लिये सरकार प्रशंसा की पात्र है। आम तौर से जो तकलीफें गरीबों और किसानों को होती थीं उनकी ओर राज्य सरकार का ध्यान गया है और इस दिशा में राज्य सरकार ने जो किया है वह प्रशंसनीय है। कुओं के निर्माण और गृहों के निर्माण में जो उनको तकलीफें होती थीं उनको सरकार ने दूर करने के लिये ईंट, कंकर, पत्थर, बजरी आदि की सुविधा दी, है, उनके लिये राज्य सरकार बधाई की पात्र है।

इन सब बातों को देखते हुए और इन सब प्रगतियों को देखते हुए, मैं समझता हूँ राज्य सरकार निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर हो रही है। सहकारिता में राज्य सरकार ने आशातीत प्रगति की है ३० प्रतिशत जनसंख्या और ७९ प्रतिशत गांव सहकारिता के अन्दर आ गये हैं और सदस्य संख्या भी १२ लाख तक पहुंच गई है। पर मुझे एक बात का दुख है और वह यह है कि जो सहकारिता का खास उद्देश्य है, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास महाजन के पास रखने के लिये जेवर नहीं है, रखने के लिये मकान नहीं है, जिनकी कोई हैसियत नहीं है ऐसे लोगों को मिला कर राज्य की ओर से उनको रुपया देकर उनकी स्थिति को बढ़ाया जावे, नोन क्रेडिटवर्दी लोग क्रेडिटवर्दी हों, ऐसा प्रयास किया जाय, इस ओर मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

मैं बड़े दुख के साथ इस ओर भी राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सहकारी विभाग में जो इन्सपेक्टर्स हैं, असिस्टेन्ट इन्स्पेक्टर्स हैं, वे ग्रामीण किसानों से और खास तौर से पिछड़े वर्ग और हरिजन वर्ग के प्रति ऐसे पेश आते हैं जैसे वे कोई बहुत बड़े अफसर हों और इन पर हुकूमत करने की भावना से बर्ताव करते हैं, सेवा की भावना से नहीं करते।

इसका एक नमूना मैं रखना चाहता हूँ। मुझे इसका बड़ा दुख है कि कुछ लोगों में सहकारी विभाग का रुपया बाकी रह गया।

(१. ०० म. प.)

मैं नहीं कहता कि वह रुपया वसूल न किया जाय; लेकिन एक हरिजन, आधे हाथ वाले हरिजन के पास कुछ रुपया बाकी रह गया, उसके वसूल करने के लिए सहकारी विभाग के इन्सपेक्टर ने इस बात की बड़ी तत्परता की कि पी० डी० आर० के तहत उस पर कार्यवाही की, कुर्की करवाई और उसका कुंआ वगैरह नीलाम किया गया और रोटी-रोजी से हटाया गया। खुशी की बात है कि इस घटना को मुख्य मन्त्रीजी के नोटिस में लाया गया और उन्होंने मेरे सुझाव को मान लिया कि ऐसे व्यक्तियों से रुपया वसूल करने के लिए जो उनकी उपज होती है उसका ३।४ हिस्सा वसूल किया जाय और चौथा हिस्सा छोड़ दिया जाय। इस तरह से रकम उसकी उपज से वसूल हो जाय तथा रोटी-रोजी का जरिया खास तौर से जमीन और कुंआ निश्चित तौर से नहीं लिए जायं। लेकिन यह तो एक केस में हो गया; आम तौर से मैं चाहता हूँ कि जो भी

(श्री अमृतलाल यादव)

हरिजन और आदिवासी हैं और इस तरह से दूसरे गरीब लोग हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि केवल हरिजन और आदिवासी ही गरीब नहीं हैं, दूसरी जातियों में भी गरीब हो सकते हैं और उनके साथ भी हमारी सहानुभूति है, राज्य सरकार उनकी गरीबी मिटाने की कोशिश करे। गरीबी जिस किसी की भी है मिटाने का प्रयत्न किया जाय और इस दिशा में सहकारी विभाग मदद करे। मैं कहूँगा कि सहकारिता इसलिए फेल हो रही है, आंकड़े ज्यादा हैं और वास्तविकता कम है। अगर वह विभाग इस तरफ तवज्जोह नहीं देगा तो लक्ष्य पूरा नहीं होगा, उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। सहकारिता एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए आज गरीबों की गरीबी मिट सकती है, बेरोजगारी मिट सकती है और हर क्षेत्र के व्यक्तियों का शोषण मिट सकता है। तो शोषण रहित समाज की स्थापना करने में और गरीबी मिटाने में सहकारिता के सिवा और कोई दूसरा साधन नहीं है। इसलिए केवल कर्मचारियों की वजह से और इस प्रकार की व्यवस्था की वजह से उस उद्देश्य की पूर्ति न हो तो यह दुख की बात है और उसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

राजस्थान सरकार ने इस तरह के जो निश्चित कदम उठाए उनसे निश्चित तौर से राजस्थान की आम जनता को राहत पहुंची है और इस बात का विश्वास होता है कि राज्य सरकार प्रांत के अन्दर समाजवादी समाज व्यवस्था लागू करने के लिए प्रयत्नशील है और इस प्रकार के जब प्रयत्न हुए तो निश्चित रूप से उसका परिणाम आया। अभी अभी हमारे यहां पंचायतों के चुनाव हुए और उन चुनावों के पहले जो विरोधी दल थे उन्होंने इस बात का आम जनता में खूब प्रचार किया कि कांग्रेस सरकार गरीबी को नहीं मिटाना चाहती और टैक्स लगा देती है और हमने यह किया है और वह किया है। जो कुछ उनसे हो सकता था उन्होंने किया और एक बार ऐसा लगता था कि राजस्थान की जनता को गुमराह करने की कोई कसर नहीं रखी गई और जनता धन्यवाद की पात्र है कि उसने सही फैसला किया और पंचायतों के चुनावों में अधिकांश तरह से उसने कांग्रेस का समर्थन किया और यह जानकर खुशी होती है कि राजस्थान की जनता ने सोच-समझ कर निर्णय किया और आज २६ जिलों में २६ प्रमुखों में से कम से कम २३-२४ कांग्रेस के हैं और २३२ प्रधानों में से लगभग १५०-१७५ प्रधान कांग्रेस के हैं और इस तरह से पंचायतों में सरपंच और पंच कांग्रेस के है। कई जगहों पर निर्विरोध चुनकर आए हैं। यह इस बात का परिणाम है कि कांग्रेस के प्रति राजस्थान की सारी जनता में कितनी आस्था है, बावजूद इस बात के कि मंहगाई और खाद्यान्न की कमी और कई बातों को इस तरह से एक्सप्लोइट किया गया। फिर भी राजस्थान की जनता ने जो निर्णय लिया, उसको देखकर संतोष होता है कि जो कांग्रेस के प्रति उन्होंने आस्था जाहिर की यह निस्संदेह इस बात का सुबूत है कि जनता कांग्रेस सरकार में विश्वास करती है। इसकी वजह से राजस्थान की गरीब जनता के लिए जो कुछ निश्चित कदम उठाए गए हैं वे ऐसे हैं कि उनके परिणाम आने लगे हैं और वह दिन दूर नहीं जबकि राजस्थान की कांग्रेस

(श्री अमृतलाल यादव)

सरकार निश्चित तौर से राजस्थान के अंदर और देश के अंदर गरीबी मिटाकर समाजवादी समाज की स्थापना करने में सफल होगी। दूसरी बात मुझे यह कहनी है जिसकी झलक आज आपने देखी उसकी ओर माननीय राज्यपालजी ने अपने अभिभाषण में हमारा ध्यान आकर्षित किया है जिसकी एक-दो लाइनें मैं पढ़कर सुनाता हूं :

'यह बैठक, जवाहरलालजी के निधन से हुई, महान् राष्ट्रीय क्षति के वातावरण में हो रहा है। हम सबने अपने अपने क्षेत्रों में इस महान् नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की है परन्तु आज जब कि हमारा देश विषम आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों से घिरा है हमें उनके से साहस, दूरदर्शिता तथा स्फूर्तिदायक शक्ति की कमी अधिक तीव्रता से खटकती है। जहां इस देश ने स्वतन्त्रता के पिछले १८ वर्षों में राजनैतिक दृष्टि से एक स्थिर लोकतान्त्रिक राष्ट्र की मान्यता प्राप्त की, वहां दुर्भाग्य से कुछ पड़ौसी देशों ने नाहक झगड़ा ठान लिया। इसलिए यह और भी जरूरी है कि हम आर्थिक उन्नति के लिए सामूहिक प्रयत्न करके, समाजवादी समाज व्यवस्था के लिए तन्मयता से परिश्रम करें व राष्ट्रीय हित में आपसी मतभेदों को भुलाकर लोकतन्त्र की जड़ें, जो हमारे राष्ट्र का आधार है, सुदृढ़ बनावें। इन्हीं से हम लोकतन्त्रीय जीवन-पद्धति की उत्कृष्टता एवं स्थायित्व को प्रदर्शित कर सकेंगे।"

मैंने यह क्यों पढ़ा; इसलिए कि मुझ से बहुत से माननीय सदस्य सहमत होंगे कि विधान सभा के सत्र में हमारे बोलने का और हमारे वाद-विवाद का निश्चित तौर से स्तर गिरता जाता है। इससे हमारे सदन की प्रतिष्ठा घटती है। माननीय राज्यपालजी ने अपने अभिभाषण में जो कुछ कहा है उस तरफ सोचना हमारे लिए निश्चित तौर से आवश्यक हो जाता है। अभी अभी आपने देखा, कैसा एक प्रसंग था। प्रांत के एक वयोवृद्ध नेता जिनकी सेवाओं से हम इन्कार नहीं कर सकते, उन्होंने अस्वस्थता के कारण अपने पद से त्यागपत्र दिया; अच्छा तो यह होता कि हम उनकी प्रशंसा में दो शब्द बोलते, लेकिन उस अवसर पर भी क्या किया गया ? वह न तो किन्हीं व्यक्तिगत माननीय सदस्यों के लिए, न सदन के लिए प्रतिष्ठा का विषय है, इससे सदन की प्रतिष्ठा घटेगी······

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : हाउस में कन्डोलेन्सेज़ के अवसर पर श्रद्धांजलि दी जाती है, त्यागपत्र के वक्त आज तक नहीं हुआ है। ये नई नई परम्पराएं डाल रहे हो।

श्री अमृतलाल यादव : मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। मुझे डिस्टर्ब न करें। मैं सिर्फ यह कह रहा था कि प्रांत के और देश के वयोवृद्ध नेताओं की सेवाओं की प्रशंसा जरूर करनी चाहिए। देश के अन्दर सेवाओं की कद्र नहीं होगी तो माननीय सदस्य ने जो सेवा की है उसके प्रति भी वही रुख हो सकता है और आपके सामने भी वही स्थिति आ सकती है; इसलिए मेहरबानी करके ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश न करें जिसका परिणाम अच्छा न निकले।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आपने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सेवा नहीं की, फिर आपको मंत्रीमंडल में क्यों नहीं ले रहे हैं, यह सराहना है ?

श्री अमृतलाल यादव : आपकी सहानुभूति के लिए धन्यवाद। मुझे मंत्रीमंडल के लिए आकर्षण नहीं है। मैं आपकी कृपा से और भगवान की आशीर्वाद से मंत्री रहा हूं और अब मुझे कोई तमन्ना नहीं है। मुझे अपनी बात कहने दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम चाहते हैं कि हरिजनों में से एक फुलफ्लेज्ड मिनिस्टर होना चाहिए। यह हरिजन समाज का कितना अपमान है कि एक भी फुलफ्लेज्ड मिनिस्टर नहीं है !

श्री अमृतलाल यादव : मुझे देख कर दुख होता है। माननीय सदस्य मेरे मित्र हैं और जिस भाषा में वे बोल रहे है इस बात से मुझे दुख होता है। आप जितने अयोग्य मुझे समझ रहे हैं वह दुर्भाग्य है। आप लोगों की धारणा हमारी समाज के लिए जो है उसका एक एक मिनट पर मैं अनुभव करता हूं। हम लोग आपसे सीखते हैं, आपकी ठोकरों में पले हम राजकाज क्या जानें ? आज जिस भाषा में बोल रहे हैं वह आप नहीं बोलते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मैं पोइंट आउट करना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव धन्यवाद का है, उसके आप प्रस्तावक हैं; आप प्रस्ताव पर बोलिए।

श्री अमृतलाल यादव : मुझे मित्र की सलाह मंजूर है, लेकिन दूसरों को सलाह देकर किसी की भावनाओं को उभाड़ने की कोशिश न करें। मैं आप सबकी भावनाओं की कद्र करता हूं। मैं निवेदन कर रहा था कि राज्यपाल ने कृपा करके जो अभिभाषण दिया है उसमें राजस्थान की आर्थिक और सामाजिक प्रगति बताई गई, उसके अंदर निश्चित परिणाम हैं उन सब बातों को विस्तृत तरह से बताया है। उन सब को देखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को एक मत से राज्यपाल को धन्यवाद देना चाहिए।

एक बात मैं भूल गया। मैं दो-तीन साल से इस बात को कहता था कि विधान सभा और संसद में हरिजनों के लिए स्थान सुरक्षित हैं लेकिन राज्य सभा में कोई सुरक्षित स्थान हरिजनों के लिए नहीं है। लेकिन इस साल राज्य सभा के अंदर एक हरिजन को नामजद किया गया, यह प्रशंसा की बात हैं, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। अभी अभी माननीय सदस्यों ने और अन्य सज्जनों ने जो कुछ हरिजनों के प्रति कृपा और सद्भावना दिखलाई, आज उस हरिजन को कामयाब करने के लिए राज्य सभा में उस सद्भावना को कितना कार्य रूप में परिणित करेंगे....

श्री मानसिंह महार (आमेर) : यह क्या राज्य सभा के चुनाव के लिए कन्वेंसिंग हो रहा है ? तो कल हमें भी मौका दिया जाय कन्वेंसिंग करने का।

श्री अमृतलाल यादव : इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हू कि दोनों तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य मेरे धन्यवाद प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करेंगे और इस प्रस्ताव को पास करेंगे।

श्री मोहनराज (बाली) : राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण सदन के सामने दिया उसके लिए जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में गत वर्ष जो प्रमुख घटनाएं हैं और राजस्थान में जो प्रगति हुई है विभिन्न क्षेत्रों में, उन पर विस्तृत प्रकाश डाला है। मैं उन सभी आंकड़ों की तरफ नहीं जाऊंगा, फिर भी जो कुछ मुख्य बातें हैं, जिन्हें कहना आवश्यक है वह इसलिए कि वे जरूरी हैं और वे आगे के लिए मार्गदर्शन करने के लिए हैं इसलिए थोड़ी सी चर्चा करूंगा।

प्रारंभ में राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में सबसे बड़ी घटना का जो उल्लेख किया है वह गत वर्ष जो राजस्थान में अकाल पड़ा था और उस अकाल के समय में उन लोगों को भारी कष्ट हुआ था, राज्य सरकार ने जो उस वक्त महान् कार्य किया, राहत पहुंचाने का, उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। मैं समझता हूं कि इस राहत-कार्य के विषय में काफी चर्चा इस सदन में हो चुकी है। इसलिए अधिक विस्तार से कहना आवश्यक नहीं, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा कि जो भी कार्य इस सारे प्रान्तव्यापी अकाल के समय में राजस्थान में किया गया है वह किसी भी सरकार के लिए बहुत सराहनीय कार्य है। हमारे यहां अकाल पड़ते रहते हैं और राहत पहुंचाने के भी कई तरह के काम हाथ में लिए जाते हैं, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर गत वर्ष जो काम किया गया वह वाकई राजस्थान के पुराने से पुराने इतिहास में एक बेजोड़ उदाहरण है। उसके लिए राजस्थान की सारी की सारी जनता जो अकाल से पीड़ित थी वह महसूस करती है। इस कष्ट के समय में महान् राहत पहुंचाई गई और बड़ा परिश्रम किया गया। बावजूद इन घटनाओं के कि अकाल पड़ा, फिर भी विकास कार्य रुके नहीं, इस ओर भी राज्यपाल महोदय ने संकेत किया है क्योंकि हम एक नए ढंग के समाज का निर्माण करने जा रहे हैं और बहुत सदियों से पिछड़े हुए थे इसलिए विकास की प्रगति में कहीं बाधा आती है तो आगे का जो हमारा कदम है वह रुक जाता है और प्रगति जो बहुत जल्दी करनी चाहिए उसमें बहुत बड़ी रुकावट आ जाती है। जिन क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है उनमें मुख्य रूप से सिंचाई, कृषि और विद्युत् हैं। इनका उन्होंने नाम लेकर अपने भाषण के अंदर उल्लेख किया है। मैं खुद महसूस करता हूं कि कृषि के क्षेत्र में राजस्थान में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और उसी का कारण है कि जब कि देश के अन्य प्रान्तों के अंदर अन्न की बहुत समस्या है। समस्या हमारे यहां भी है लेकिन बावजूद कठिनाइयों के भी अपने यहां प्रान्त की पैदावार के कारण हम दूसरे प्रान्तों से ज्यादा अच्छी हालत में हैं।

इतनी अधिक मंहगाई होते हुए भी हमारे यहां पर किसी न किसी प्रकार अनाज पेट भरने के लिए लोगों को मिल रहा है। बड़े शहरों में अधिक कठिनाइयां हैं, गावों में उतनी कठिनाई नहीं है। यह इस बात का फल है कि हमारे यहां पर कृषि के क्षेत्र में काफी अर्से पहले से प्राथमिकता देकर इस काम को एक ढंग से किया गया है। लेकिन अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। अगर हम वास्तव में हमेशा के लिए आत्म-निर्भर रह कर दूसरे हमारे अड़ौस-पड़ौस के प्रान्त हैं उनको भी अनाज

(श्री मोहनराज)

भेज कर उनकी मदद करना चाहते हैं तो कृषि क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति करनी पड़ेगी और उसके लिए सिंचाई के साधन जुटाना और विद्युतिकरण करना, ये दो बहुत बड़ी आवश्यकताएं हैं। हमारे यहां सिंचाई के जितने भी साधन उपलब्ध हैं उन सबका सर्वे करवा के बांध बांधना, कुए खोदने का काफी काम किया गया है लेकिन अभी भी बहुत सारे श्रोत बाकी हैं जिनका सर्वे करवा कर हाथ में लिया जाना निहायत जरूरी है। जो बड़े बड़े बांध हैं, जिनसे अविचल सिंचाई होती है, पेरेनियल सिंचाई होती है, उनकी बात जाने दीजिये लेकिन दूसरी मध्यम और लघु सिंचाई योजनायें हैं उनका बहुत काम करना बाकी है और जब तक वह काम हाथ में नहीं लिया जावेगा तब तक छोटे से छोटे गांव में सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होंगे। मैं खास तौर से निवेदन करूंगा कि जवांई का बांध है। उस वक्त यह राजस्थान में बहुत बड़ा बांध था और इस सारे के सारे बांध को बनाने का काम जोधपुर रियासत ने अपने हाथ में ले लिया था। आज वहां की हालत यह है कि यहां मुश्किल से पांच पर्सेन्ट से लगा कर आठ पर्सेन्ट तक कमान्डेड एरिया है जिसमें सिंचाई होती है, बाकी सब जमीन बंजर पड़ी रहती है और उसमें पैदावार नही होती है। मुझे जैसा मालूम हुआ है उस जवांई बांध में और अधिक पानी लाने के लिए और कोई योजना सरकार के विचाराधीन है लेकिन न जाने, वह योजना तैयार हुए काफी समय हो गया, उस पर अन्तिम निर्णय क्यों नहीं लिया गया ? मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे यहां अन्न की समस्या को देखते हुए उस तरह की और दूसरी ओर तरह की योजनायें हैं उनको शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित किया जाय ताकि अन्न की समस्या का हल निकाल सकें।

दूसरी बात कृषि के मुतल्लिक कहना चाहूंगा, वह यह है कि आजकल लोगों का ध्यान इस मंहगाई को देखते हुए चीजों की कीमतें वढ़ रही हैं। काश्तकारों का ध्यान अन्न उत्पादन के अलावा केश-क्रोप की ओर अधिक जा रहा है। मैं समझता हूं, यह ऐसा वक्त है जब राज्य सरकार को सोचना पड़ेगा कि सारे के सारे काश्तकार या अधिकतर काश्तकार अन्न उत्पादन की ओर से हटकर केश-क्रोप की ओर लगने लगेगा तो हमारे यहां भी हम अपने आपको सेल्फ सफिशियेन्ट प्रोविन्स कहते हैं, डेफिसिट होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार कृषि की कोई न कोई योजना इस तरह का नियम बना कर लागू करने की कोशिश करेगी कि जिससे काश्तकारों का ध्यान अधिक अन्न उत्पादन की ओर लगा रहे और वे प्रोत्साहित भी होते रहें। जिन काश्तकारों पर सरचार्ज लगाया जाता है, जिनके पास बड़ी बड़ी होल्डिंग्ज़ हैं उनके ऊपर इस तरह का नियम लागू किया जा सकता है कि एक निश्चित रकबे पर, मान लीजिये कि दस एकड़ का रकबा है, उस पर केश-क्राप पैदा करते हैं उस पर सर्चार्ज लगा सकते हैं और जो अन्न उत्पन्न करते हैं उतनी भूमि पर किसी प्रकार का खर्चा न लगाया जाय, कुछ इस प्रकार की सुविधा काश्तकार को दी जावेगी तो अधिक से

(श्री मोहनराज)

अधिक अन्न का उत्पादन होगा और राज्यपाल महोदय ने जिस कठिनाई का संकेत किया है अन्न के उत्पादन में उसमें भी सहूलियत मिलेगी।

दूसरा राज्यपाल महोदय ने पौध-संरक्षण कार्यक्रम जो अन्न उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है उनकी ओर और अन्य उपाय जो काम में लाये गये हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने फर्माया है कि जहां पौध संरक्षण के लिए २५ पर्सेंट सब्सिडी दी जाती थी वह बढ़ा कर ५० पर्सेन्ट कर दी जाय। यह खुशी की बात है कि काश्तकारों को राहत मिलेगी। लेकिन मेरा यह अनुभव है कि ५० प्रतिशत सब्सिडी देने के उपरान्त भी पौध-संरक्षण कार्यक्रम से कारगर उपाय नहीं होंगे और क्यों नहीं होंगे ? उसका सबसे बड़ा कारण है। जो काश्तकार पौध संरक्षण को समझता है वह कीटाणु नाशक दवाइयों को समझता है और उन दवाइयों का उपयोग भी करता है। जो काश्तकार उसका उपयोग अपने खेत में करेगा उसको आप ५० प्रतिशत सब्सिडी दे देंगे। लेकिन दूसरे अड़ोस-पड़ोस के काश्तकार हैं, उनके खेतों में फसलें हैं और वे उन उपायों को काम में नहीं लेते हैं, अड़ोस-पड़ौस के एरिया में एक निश्चित फसल पैदा करने वाले सब ही काश्तकार उनको काम में नहीं लेते हैं, तो केवल एक काश्तकार के द्वारा काम में लाई गई दवाई कारगर सिद्ध नहीं होगी। यह कीड़ों की बीमारी फसलों में लगती है वह फैलने की बीमारी है, छूत की बीमारी है। इसलिए सारे खेतों में इन दवाइयों का प्रयोग करने का आन्दोलन होना चाहिए, वर्ना एक खेत में दवा छिड़की गई वहां वे कीड़े मर जावेंगे लेकिन एक सप्ताह बाद, पन्द्रह दिन बाद दूर के खेतों के कीड़े आकर उस खेत में हमला करेंगे। उससे हमारा कार्यक्रम ठप्प रह सकता है। उस खेत की फसल भी नष्ट हो जायगी। इसलिए मैं मानता हूं कि राज्य सरकार को ५० पर्सेन्ट सब्सिडी का जहां सवाल है उसको समाप्त करके "ए होस्पिटल फोर क्रोप्स" खोलना चाहिये। जिस प्रकार इन्सानों की बीमारियों को दूर करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अस्पताल होते हैं उसी प्रकार हरएक विकास खंड में इस प्रकार के अस्पताल होने चाहिए। इस कार्यक्रम को हम बड़े पैमाने पर हाथ में लें। जहां कहीं फसलों में इस प्रकार के कीड़े मिलें वहीं पर दवा छिड़कें। कौन काश्तकार चाहता है और कौन नहीं, यह नहीं होना चाहिए। यह सारे देश का सवाल है इसलिये उसी माफिक कुछ करना चाहिये। इस कार्यक्रम को सब्सिडी तक न रखकर, इसको सब काश्तकारों के लिये अपनाया जावेगा तो हमारे यहां जो बड़ा अन्न संकट आया हुआ है और कीड़ों के कारण बड़ी फसलें नष्ट होती हैं वे रुकेंगी और अन्न भंडार बढ़ेगा।

दूसरी चीज मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अन्न-उत्पादन के लिए एक आवश्यक वस्तु है, बिजली। वैसे तो बिजली का महत्व कितना है यह कहने की आवश्यकता नहीं है। जहां जहां बिजली पहुँची है, मेरा ख्याल है, कृषि और उद्योग में जहां तरक्की हुई है वहां लोगों के सोचने में भी तरक्की हुई है। महान् क्रांतिकारी

(श्री मोहनराज)

लेनिन के शब्दों को मैं कहना चाहूंगा। रूस में क्रान्ति के बाद लेनिन से पूछा गया कि इस क्रान्ति को कायम रखने के लिए और रूस जो एक पिछड़ा हुआ देश है उसको प्रगति की ओर बढ़ाने के लिए आप किस चीज की आवश्यकता महसूस करते हैं तो एक ही शब्द में उन्होंने जवाब दिया "बिजली"। उसी प्रकार हमारा यह पिछड़ा हुआ देश है। हमारे देश की जो कृषि और उद्योग की जो हालत है उसको सुधार करके इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम तरक्की पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे सामने भी एक ही विकल्प है और वह है विद्युतिकरण। अगर हम गांवों में बिजली पहुंचाते हैं, काश्तकार के डेरों पर बिजली पहुंचाते हैं तो हम अपने तरक्की के अधिक से अधिक साधन जुटा सकते हैं और अधिक से अधिक तरक्की कर सकते हैं। कृषि उद्योग आदि में बिजली के पहुंच जाने से तरक्की होती है, लेकिन काश्तकारों के विचारों में भी एक क्रान्ति आती है। कई बातें हैं। आज हमारा पुराना काश्तकार गांवों में पुरानी बातों को लेकर बैठा हुआ है। हमारे विकास अधिकारी, खेती-बाड़ी महकमे के अफसर और दूसरे अधिकारी उसको बार बार जाकर कहते हैं, फिर भी उसको आकर्षित करने में अपने आपको असफल पाते हैं। लेकिन मेरा यह अनुभव है कि अगर बिजली पहुंच जाती है तो १२ महीने बाद ही सारा वातावरण सुधर जाता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरी बातों की ओर हम तवज्जोह दे रहे हैं उसकी गति धीमी करके भी बिजली की ओर अधिक से अधिक ताकत लगायेंगे, धन लगायेंगे तो जल्दी से जल्दी तरक्की हमें दिखाई देगी, हमारे विकास में ज्यादा गति आयेगी, हमारा लक्ष्य पूरा करने में सफलता मिलेगी।

इसके साथ साथ मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि इस प्रगति को गति देने में शिक्षा का भी कम महत्व नहीं है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह बताया है कि राजस्थान में शिक्षा पर हम अधिक व्यय कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में दूसरे प्रदेशों के आंकड़े देखें तो वास्तव में हमारे लिए उल्लेखनीय प्रगति हुई है जो सराहना के काबिल है। बावजूद इसके मैं ऐसा महसूस करता हूं, हमारा प्रदेश जो सदियों से पिछड़ा रहा है उसको आगे बढ़ाने की अभी और आवश्यकता है। मेरा ऐसा मानना है कि हम प्राथमिक शिक्षा के लिए थोड़े से शिथिल नजर आते हैं, काफी सारे फन्ड्स जो प्राथमिक शिक्षा के लिए थे उनको उच्च शिक्षा के अन्दर खर्च करके हमने गति की है वह इसलिये कि प्राथमिक शिक्षा बुनियादी चीज है जिसकी ओर लक्ष्य नहीं गया है, इससे आगे आने वाली पीढ़ी निरक्षर रहेगी। मैं आशा करता हूं कि इसलिए शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

यह ठीक है कि देश को नई दिशा में तरक्की देने के लिए, विकास करने के लिए बड़े बड़े बान्धों और नहरों में पैसा इन्वेस्ट करने की बहुत जरूरत है और इसलिए इनवेस्ट भी करते हैं, इन कामों में पैसा इसलिए लगाते हैं कि वापिस लाखों-करोड़ों रुपया हमें मिल सके। लेकिन आप जानते हैं कि शिक्षा के अन्दर हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका रिटर्न आप कम आंकते हैं क्या ?

(श्री मोहनराज)

अगर एक रुपया किन्हीं लोगों पर शिक्षा देने में व्यय करते हैं उसका वापिस हिसाब लगायें, जैसा वह नागरिक बनकर निकलता है उसका हिसाब लगाते है तो यह बहुत अधिक है बान्धों और कारखानों के रिटर्न्स के। इसलिये शिक्षा पर सर्वप्रथम ध्यान दिया जाय। आखिर बांध, कल-कारखाने हैं किसके लिए ? नागरिकों के लिये तो हैं। आखिर उनको संभालने लायक नागरिक तो पैदा करने होंगे। अगर वे नागरिक ही संभालने लायक नहीं होंगे तो वे सारी चीजें, जिनका प्रशासन संभालने के लिए योग्य नागरिक नहीं होंगे, तो बेकार हो जायंगी। जहां तक प्रशासन के ढांचे को आगे बढ़ाने का आधार है वह हयुमेन एलीमेन्ट अगर इसको भूल जाते हैं तो वह प्रान्त पिछड़ जाता है। इसलिये शिक्षा की ओर सम्पूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिये। इस संबन्ध में जो आंकड़े बताये गये हैं उससे हम यह मानते हैं कि दूसरे प्रान्तों से हम इस बारे में आगे बढ़े हैं। हमारा पिछला इतिहास पिछड़ा हुआ रहा है, इसलिये हम शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा व्यय न करें तो बहुत बड़ी गलती रह जायगी; इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आने देनी चाहिये।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह कहा है कि हम हमारे यहां समाजवादी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। उनके सारे भाषण में यही बात बार बार दोहराई गई है। उन्होंने प्रारम्भ में और बीच में, जहां पर हमारे यहां के प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है वहां और आखिर में हम लोगों को मार्ग-दर्शन करते हुए अंतिम शब्दों में भी इसका उल्लेख किया गया है कि हम समाजवादी समाज-व्यवस्था कायम करना चाहते हैं इसके लिये हमें क्या करना चाहिये। मैं जैसा कि उन्होंने कहा उन्हीं के दो-तीन वाक्य यहां पर पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

"ऐसी आर्थिक आयोजना प्रणाली में जिसका लक्ष्य समाजवादी समाज-व्यवस्था की स्थापना हो, जन-जीवन के विविध क्षेत्रों में राज्य का अधिक से अधिक कार्यभाग अनिवार्य मानना पड़ेगा। अतः यह और भी अधिक महत्वपूर्ण है कि प्रशासन, जिसके माध्यम से सरकार अपनी नीतियों को क्रियान्वित करती है, कुशलतापूर्वक चले, जनता की इच्छाओं व आकांक्षाओं के अनुरूप हो तथा निर्विवाद रूप से सत्यनिष्ठ हो।"

राज्यपाल महोदय ने इस बात का उल्लेख किया है। अगर हम समाजवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं तो हमारा प्रशासन कैसा होना चाहिये। सिर्फ सरकार के दृष्टिकोण में यह बात आ जाने से या कानून और नीति निर्धारित कर देने से समाजवादी समाज की स्थापना नहीं हो सकती। सरकार जो भी नीति निर्धारण करने वाली है उन नीतियों को आगे चलाने का काम सरकारी मशीनरी का है, प्रशासन का काम है; आज हमारा प्रशासन, आज हमारी सेवायें उनका जिम्मा है। उनके दृष्टिकोण में रद्दोबदल नहीं होता है, इस काम को करने लायक वे नहीं हुए, इसमें निष्ठा रखने वाले नहीं हुए तो हम बहुत पिछड़ जायेंगे। कई कानून बनाये गये समाजवादी समाज व्यवस्था लाने

(श्री मोहनराज)

के लिये लेकिन उनका क्रियान्वयन बहुत समय से रुका रहता है। आगे जाकर वे कागजों के ढेर में दब जाते हैं उससे लोगों को जो राहत मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पाती। इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या किया जायगा ? मेरा ख्याल है कि संभव है कुछ लोग सोचते हों जैसा कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है, जन-अभियोग निराकरण विभाग स्थापित किया है; लेकिन समाजवादी समाज रचना के प्रशिक्षण के लिये किसी विभाग की स्थापना का उल्लेख नहीं किया गया है। जन अभियोग निराकरण विभाग का काम जो छोटी मोटी कम्प्लेन्ट्स हैं, व्यक्तिगत शिकायतें हैं उनका निराकरण करने के लिये इसकी स्थापना की गई है। लेकिन जिस प्रकार समाजवादी समाज की व्यवस्था हम कायम करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि इस तरह के कदम उठाने के लिये कोई भी योजना अभी तक नहीं आयी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी सर्विसेज़ योग्य, बुद्धिमान और इन्टेलीजेन्ट हैं जो जल्दी से जल्दी किसी भी चीज को समझ लेती हैं, लेकिन इस तरह के प्रशिक्षण के लिये ओरियेन्टेशन और री-ओरियेन्टेशन की क्लासेज शुरू की जाय ताकि सरकार की जो वास्तविक मंशा है उसका पालन होने में किसी प्रकार की ढिलाई न हो। इस नीयत से, इस स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए यह स्पिरिट ट्रेनिंग द्वारा सम्भव है जिससे वास्तव में जनता के हित की जो भी योजनायें है उनको उसका वास्तविक लाभ हो रहा है या नहीं, इसकी जानकारी हो पायेगी।

आज हो क्या रहा है ? बड़ी बड़ी योजनायें बनती हैं जिससे हमारे प्रान्त की इतनी आय बढ़ जायगी, देश की इतनी आय बढ़ जायगी, प्रति व्यक्ति आय इतनी हो जायगी। आज हम यह जान नहीं पाये कि यह आय आखिर जा कहां रही है; गरीब के पास है या बिड़ला, टाटा, डालमिया के पास है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो सब के पास समान रूप से जानी चाहिये। जहां तक मेरा ख्याल है वास्तव में वह गरीब तक नहीं पहुँच रही है, इसके सुबूत में हमारे देश के गृह मंत्री, श्री नन्दाजी के दो शब्द सुनाना चाहता हूं।

८-२-६५ को माननीय नन्दाजी ने एक वक्तव्य दिया था। उसकी दो लाइनें मैं यहां उद्धृत कर देता हूं :

"सारे देश में प्रशासन की ही यह कमजोरी है कि जिसके कारण विकास और राष्ट्रीय आय में वृद्धि से गरीब वर्ग को अपना हिस्सा नहीं मिल रहा है।"

मेरा ख्याल है कि आर्थिक विषयों में नन्दाजी बहुत ही पारंगत हैं, विद्वान् हैं और आंकड़ों से भी उनको मोह है और इसमें उनका अधिक चिन्तन है तो उन्होंने यह निष्कर्ष दिया है।

हम इससे सबक लें और किसी न किसी तरह से ऐसा रास्ता निकालें अपनी प्राशासनिक सेवाओं को कुछ इस तरह से तैयार करें कि जिससे उनका हिस्सा उनको मिले और सही माने में समाजवादी समाज का निर्माण हो सके। अगर हम यह कर सकें तो मुझे विश्वास है कि जिस तरह से समाज-

(श्री मोहनराज)

वादी समाज व्यवस्था का हमारा संकल्प है हम उसमें सफल हो सकेंगे।

फिर जिस प्रकार से राज्यपाल महोदय ने आम सदस्यों से मार्ग-दर्शन इसमें चाहा है, जो सुझाव आमन्त्रित किये हैं उससे प्रेरित होकर मैंने अपने ये कुछ विचार आपके सम्मुख प्रस्तुत किये हैं।

विशेष न कह कर इस प्रकार के भाषण के लिये जिससे कि हमें आगे काम करने में उत्साह प्राप्त होता है अपनी पूर्व त्रुटियों को आगे से सुधार कर आगे बढ़ने की तजवीज सोचते हैं तो इसके लिये मैं स्वयं बहुत-बहुत धन्यवाद उनको दिये बगैर नहीं रह सकता और उम्मीद करता हूं कि सभी सदस्यों का समथन इसको प्राप्त होगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): उपाध्यक्ष महोदय........

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी दल के नेता जब बोल रहे हों तो ऐसे समय में मुख्य मन्त्री को कर्ट्सी के नाते भी यहां सदन में उपस्थित रहना चाहिये। ऐसी परम्परा अगर हमारे यहां रही कि विरोधी पक्ष के नेता के अपने विचार प्रकट करने के अवसर पर मुख्यमंत्री उपस्थित नहीं रहें तो दूसरे भी उनकी बात को सुनने के लिये उपस्थित नहीं रहेंगे; जब कि आज यह होता रहा है कि विरोधी पक्ष के नेता सरकारी पक्ष के नेता के बोलने के समय उपस्थित रहते हैं और बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुनते हैं।

तो शिष्टाचार के नाते भी मैं निवेदन करता हूं कि मुख्य मन्त्री को इस मौके पर आकर बैठना चाहिये और विरोधी पक्ष के नेता की बातें सुननी चाहिये और अगर वे नहीं सुनते हैं तो मेरा ट्रेज़री बेंचों से यह निवेदन जरूर है कि वे उन तक यह बात जरूर पहुँचा दें और इसके बाद भी उनका रवैया यही रहा तो विरोधी पक्ष को भी वही रवैया अख्तियार करने को मजबूर होना पड़ेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : मुख्य मन्त्रीजी थोड़े जरूरी काम से कहीं पर गये हैं......

श्री मुरलीधर व्यास : कोई भी जरूरी काम हो....

श्री नाथूराम मिर्धा : सुनिये तो सही।

श्री मुरलीधर व्यास : क्यों झूठ बोलते हो ?

(इसी बीच मुख्य मन्त्री एवं योजना मन्त्री महोदयों के पदार्पण पर)

श्री मथुरादास माथुर (योजना मन्त्री): भाषण तो अब शुरू होगा। हम तो इन्तजार कर रहे थे; भाषण शुरू हो और हम आवें।

[धन्यवाद प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

१. **महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (आसपुर): धन्यवाद-प्रस्ताव के अन्त में निम्नांकित जोड़ा जाय :—"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वर्तमान पंचायत चुनावों में बरती

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

गई अनियमितताओं पर तनिक भी प्रकाश नहीं डाला गया है।"

२. **श्री विजयसिंह भाला** (नाथद्वारा): धन्यवाद-प्रस्ताव के अन्त में निम्नांकित जोड़ा जाय :—"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सीमा स्थित पाकिस्तान से जुड़े जिलों में फैली हुई अशांति व असुरक्षा पर प्रकाश नहीं डाला गया है।"

३. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा-महल, जयपुर) : धन्यवाद-प्रस्ताव के अंत में निम्नांकित जोड़ा जाय :—"परन्तु, खेद है कि अभिभाषण में—

(१) कर्मचारियों में वेतन वृद्धि के लिये फैले हुए असंतोष पर प्रकाश नहीं डाला गया है।

(२) राज्य सरकार खाद्यान्न समस्या, शिक्षा व चरित्र निर्माण में विफल रही है।"

४. **श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल** (सिकराय-सु०) : धन्यवाद-प्रस्ताव के अन्त में निम्नांकित जोड़ा जाय :—"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामों में विद्युत् वितरण एवं सड़क विकास पर प्रकाश नहीं डाला गया है।"

५. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : धन्यवाद-प्रस्ताव के अंत में निम्नांकित जोड़ा जाय :—"परन्तु खेद है कि-

(१) राज्य की सीमा स्थिति गंभीर बनी हुई है और राज्य सरकार उसे सुलझा नहीं सकी है,

(२) मंहगाई से राज्य के सभी वर्ग कठिन स्थिति में हैं, तथा

(३) राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी न किये जाने से उनमें असंतोष है।"

६. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंह-नगर) : धन्यवाद-प्रस्ताव के अन्त में निम्नांकित जोड़ा जाय :—"परन्तु खेद है कि—

(१) सरकार मंहगाई रोकने में सर्वथा नाकामयाब रही है,

(२) कि राज्य की लॉ-एन्ड ऑर्डर की स्थिति सर्वथा गम्भीर रही है,

(३) कि योजनाओं के लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं,

(४) कि राज्य में आम व्यक्ति का जीवनस्तर ऊंचा नहीं उठ पाया है,

(५) सरकार अकाल कार्यों में राहत नहीं दे पाई है,

(६) सरकार की नीतियां श्रमिक विरोधी रही हैं तथा

(७) भूमि सुधार सरकार नहीं कर पाई है।"]

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): उपाध्यक्ष महोदय, कल के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले माननीय प्रस्तावक तथा समर्थक ने सरकार की काफी प्रशंसा की है।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

किन्तु मैं खेद के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा दल और मैं इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में देश की आर्थिक स्थिति, देश की रक्षा स्थिति को विषम बताया गया है। आज की इन विषम स्थितियों को उत्पन्न करने का उत्तर-दायित्व किसका है? यह, जिस दल के हाथों में आज शासन की बागडोर है उसका उत्तरदायित्व है और उस दल का उस हद तक मैं समझता हूं उत्तरदायित्व है कि हम आज देश को दिवालिया देख रहे हैं।

दिन–ब–दिन हमारी भुखमरी की समस्या बढ़ती जा रही है। भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, समाज भ्रष्ट होता जा रहा है इन्हीं मुद्दों को लेते हुए उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने में सर्वथा असहमत हूं।

मुझे आश्चर्य हुआ कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अभी ही हुए पंचायत चुनावों के सम्बन्ध में एक भी शब्द नहीं कहा गया।

मैं मानता हूं जैसा कि माननीय सदस्य, जो इस प्रस्ताव के प्रस्तावक थे उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों में कांग्रेस दल को भारी जीत प्राप्त हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि कांग्रेस दल को पंचायत चुनावों में पर्याप्त रूप से विजय प्राप्त हुई है। लेकिन इन पंचायत चुनावों के नियम, उनकी पद्धति, इन दोनों के सम्बन्ध में विरोधी पक्ष के एक सिपाही के नाते जो मेरा अनुभव है, वह भी इस सदन के समक्ष रखना में अति आवश्यक अनुभव करता हूं।

ये पंचायत चुनाव, मैं समझता हूं, उन बेसिक डेमोक्रेटिक चुनावों से मिलते-जुलते चुनाव हैं कि जिसके द्वारा अभी पाकिस्तान में चुनाव हुए। एक हद तक ये पंचायत चुनाव नेपाल के लिमिटेड डेमोक्रेसी के अनुसार अगर देखा जावे तो मिलती-जुलती इन चुनावों की पद्धति और रूपरेखा है। उपाध्यक्ष महोदय, ये चुनाव अत्यन्त खर्चीले, अत्यन्त पेचीदे और अत्यन्त लम्बे हैं। मैं समझता हूं ये चुनाव आम चुनावों, विधान सभाई चुनावों से भी ज्यादा महंगे और पेचीदे हैं। पेचीदे इस हद तक हैं कि एक कोऑप्शन, दो कोऑप्शन, तीन कोऑप्शन, साढ़े तीन, तीन महीनों तक चुनावों का जारी रहना एक ऐसी पद्धति बन गई है कि कोई मेरी जैसी पार्टी इन चुनावों में कभी भी सफलता प्राप्त करने की आशा भी नहीं कर सकती।

(श्री मथुरादास माथुर के हंसने पर)

आप हंसें, पर विरोधी पक्ष के नाते मैं कहता हूं यह विजय आपको मुबारक हो, पर जिस रूप में आपने यह विजय प्राप्त की है, जिस कीमत पर विजय प्राप्त की है और जिस ध्येय और लक्ष्य से विजय प्राप्त की है शायद आप यह चाहते हैं कि इन पंचायत चुनावों में सफलता प्राप्त करके हम अजर और अमर बन जावें, हम शासन की कुर्सियों पर सदा ही डट कर रहें, तो यह अपने अपने मतों के अनुसार, आपको जो भी आपका अभिमत है, उसके अनुसार आप

-(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

विचार करने का अधिकार रख सकते हैं। लेकिन उस हद तक हम भी अपने विचार रखने के अधिकारी हैं। सबसे पहले यह घोषणा की गई कि ये चुनाव निर्दलीय रूप से लड़े जावेंगे।

मैं यह अनुभव करता हूं कि ये चुनाव निर्दलीय रूप से नहीं लड़े गये ; ये चुनाव दलगत रूप से लड़े गये और अन्ततोगत्वा उनका ध्येय दलगत रूप से ही लड़ने का था और इन चुनावों के अन्दर खुल्लमखुल्ला जातिवाद का भी प्रचार किया गया।

जिस शक्ति, जिस सत्ता का बिन्दु ही भ्रष्टाचार है, जो शक्ति या सत्ता भ्रष्टाचार, रिश्वत, प्रलोभन, दबाव ही जिसकी उत्पत्ति है तो मुझे यह कहने में जरा भी शक या शुबह नहीं है कि आदि से अन्त तक इस चुनाव के अंदर भ्रष्टाचार ओतप्रोत है।

इसका एक सैट पैटर्न मैंने देखा, एक ढांचा मेरे सामने जो नजर आया वह यह था कि एक पंचायत समिति में तीस–तीस और चालीस-चालीस हजार वोटर्स के वोट लिए, उन वोटों को एक पंचायत समिति के पंच, सरपंच, वार्डपंचों के अन्दर परिणित किया गया। उनकी संख्या चार सौ, सवा चार सौ, साढ़े चार सौ, पौने पांच सौ व्यक्तियों में आपने परिणित की और फिर उसके अन्दर यह साधारणतया सभी मान सकते हैं कि पांच सौ, साढ़े चार सौ आदमियों में से पक्के विरोधी भी शायद सौ, सवा सौ हुआ करते हैं और कांग्रेस के भी इतने ही विरोधी हुआ करते हैं। किन्तु दलगत समस्या यहां पर समाप्त होकर उनको भेड़, बकरियों की माफिक साढ़े चार सौ, पांच सौ आदमियों को पकड़ा गया और उनको पकड़ कर उनके साथ एक-एक और दो-दो दूसरे आदमी भी लिए गए और लगभग पांच सौ आदमियों को निरंतर एक एक जिले के अन्दर बीस बीस दिन तक खिलाया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : क्या खिलाया गया ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : खूब अच्छे से अच्छा खिलाया गया। जहां भुखमरी चारों तरफ है वहां सभी कुछ खिलाया गया। और क्या नहीं खिलाया गया। अब मेरे सामने माननीय मंत्री महोदय बिराजमान हैं, वही अपने मन में अनुभव करते होंगे।

इस संबंध में मैंने भी कुछ हद तक कांग्रेस का वतीरा अख्तियार करने की कोशिश की, लेकिन मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, एक-एक जिले के अन्दर पांच-पांच सौ आदमियों को आप कितने दिनों तक खिला सकते हैं ! अव्वल तो एक एक जगह पचास-पचास किलो गेहूं हमको कौन देगा ! आप कोटा देते हैं, आप परमिट्स देते हैं, आप लाइसेन्स देते हैं, आपके पास शासन की बागडोर है, आपसे सब डरते हैं ? आपने जहां भी पचास-पचास किलो गेहूं मांगा, घी मांगा वह सब आपको पर्याप्त रूप में मिला ? मैं यह समझता हूं कि इसके मुकाबिले में विरोधी पक्ष की कोई भी पार्टी हो, चाहे सोशियलिस्ट पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे साम्यवादी पार्टी हो, चाहे जनसंघ हो और चाहे स्वतन्त्र हो,

Page No 56

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

इस ढंग से पांच-पांच सौ आदमियों को खिलाकर लोगों को कब्जे में लेकर बन्द करके वोट लेने की जो व्यवस्था है वह हमारे बूते के बाहर है और हम मेरे ख्याल से यह करना भी नहीं चाहते और कर भी नहीं सकते।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): आपने जालोर और पाली में तो इससे भी बढ़कर किया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मेरे ख्याल से इससे बढ़कर नहीं हो सकता। एक एक पंचायत समिति में ४०–५० हजार रुपये क्या स्वतंत्र पार्टी जालोर या पाली के अन्दर खर्च कर सकती है? 'न भूतो न भविष्यति' यह असम्भव है। समाज को इस रूप से भ्रष्ट करना, कहीं पर लोगों को दारू पिलाना, कहीं पर लोगों को बकरे काट काट कर खिलाना, यह सब कुछ किया गया। खासकर मेरे क्षेत्र में माननीय भीखाभाई, जो मेरे मित्र हैं, वे यहां नहीं हैं। वे सामने होते तो मैं कहता कि कितनी शराबखोरी, बकरे वगैरह मार मार कर और उनको बंद करके वोट लिये हैं। यह आपको मुबारक हो...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): बकरे खाये हुए आदमी पंचायत समितियों में बकरों की माफिक न बोलने लग जायें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मैं माननीय सदस्य के विचारों से पूर्णतया सहमत हूं। बकरे खिलाये जाते हैं उनको बकरे बनाने के लिए।

विरोधी पक्ष के सदस्य के नाते मुझे यह भी अनुभव हुआ कि यह चुनाव हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। यह चुनाव कांग्रेस और सरकार दोनों मिलकर हमारा सामना और मुकाबिला कर रहे हैं। कर्मचारियों की यह स्थिति कि विकास खण्ड और तहसील के कर्मचारी एक हैं। क्या विलेज स्कूल टीचर्स, क्या ग्रामीण पाठशालाओं के अध्यापक; क्या ग्राम सेवक, क्या जंगलात के मुलाज़िम, क्या शिक्षा विभाग के मुलाजिम सभी खुल्लमखुल्ला कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे और यह कह रहे थे कि कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो विकास कार्य बन्द कर दिये जायेंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर आप ये सब बातें ठीक समझते हैं और आप चुनाव की इस पद्धति को उचित समझते हैं और आप यह समझते हैं कि कोई दूसरा विरोधी पक्ष आपको इन चुनावों की पद्धति को लेकर मुकाबला कर सकता है तो 'नौट दी घोस्ट ऑफ ए चान्स एपियर्स।' अगर आप इसको डेमोक्रेसी समझते हैं, उचित समझते हैं तो अवश्य आप इन चुनावों की रूपरेखा को ज्यों का त्यों रखिये। अगर आप समझते हैं, 'यथा राजा तथा प्रजा' तो सारे देश के समाज को आप भ्रष्ट कर रहे हैं और सिवाय इसके आपकी सत्ता को अक्षुण्ण रखने के लिए और समाज को बिलकुल दबाने के अलावा और दूसरी इन चुनावों के अन्दर कोई प्रक्रिया मुझे नजर नहीं आई। मैं आपको दो छोटे से उदाहरण देता हूं मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र के। ५ पंचायतों के अन्दर जो सरपंच और पंच ४ वर्ष तक हमारे साथ थे जिन्होंने अच्छा काम किया, हमारा सहयोग दिया वही हमारे द्वारा निर्विरोध निर्वाचित हुए। वहां पर उनको

Page No 57

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

पकड़कर ले जाकर वोट कांग्रेस को दिलाया और आज भी वे सरपंच कहते हैं, पंच कहते हैं, हम स्वतन्त्र हैं और हमने कांग्रेस को वोट न देकर स्वतन्त्र पार्टी को वोट दिया है...

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह तो धोखा दिया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: यह नैतिक रूप से भली बात नहीं कही जा सकती।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आपके गुट के साथ तो हमें सहानुभूति है, लेकिन हमारी पद्धति में सीक्रेसी आँफ वोट है। जब वे कहते हैं कि आपको दिया है तो आप उसको क्यों नहीं मानते ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जनतंत्र के सिद्धान्तों के अनुसार आप पर्सुएशन के जरिये कनविन्स कर सकते हैं और वह अपनी विचारधारा पलट सकता है।

श्री भैरोंसिंह : यह सहानुभूति इसलिए है कि आप पिटकर आये हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं यही पूछना चाहता हूं कि यह कैसा जनतंत्र है कि वोट तो कांग्रेस को दें और स्वतंत्र पार्टी को देने की बात कहें और नीचे की जनता को एक शब्द भी नहीं कहा गया....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : लोग बहुत होशियार हो गये हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उन लोगों का क्या वतीरा है "जरदीदम, फौलाद नरम'; ऐसे भी उदाहरण हैं कि कांग्रेस ने सरपंच खड़ा किया और उसके विरोध में विरोधी पक्ष का भी सरपंच खड़ा हुआ। विरोधी पक्ष का सरपंच जीता और वह रात को पकड़ कर ले जाया गया और उसने वोट कांग्रेस को दिया।

(२.०० म. प.)

अगर ये सब बातें आप समझते हैं कि ठीक हैं तो आपको अधिकार है इस पंचायत चुनाव-पद्धति को जारी रखने का, क्योंकि आज आप बहुमत द्वारा गठित सरकार हैं। आप चाहे वह कर सकते हैं। पहले का चुनाव जो था उसमें सरपंचों के वोट के द्वारा ही प्रधान चुना जाता था। एक पंचायत समिति में ३५-४० सरपंच होते थे तो साधारणतया कोई भी एक आदमी २०-२५ आदमियों को रखकर खाना खिला सकता था, लेकिन आज सिवाय सत्तारूढ़ दल के और उनके खजाने के हजारों रुपये इस तरह से उड़ा कर जब कि खाद्यान्न की परिस्थिति देश के अन्दर इतनी विषम है उनको खिलाकर उनसे वोट लेने की पद्धति दूसरा विरोधी पक्ष कोई अपना नहीं सकता।

आज इस पंचायत चुनाव-पद्धति को देखते हुए निरन्तर यह चुनाव में हमारे देश जारी ही रहेंगे। ६४-६५ में जैसे कि यह पंचायतों का चुनाव हुआ, फिर ६६-६७ के अन्दर आम चुनाव होंगे, फिर ६७-६८ में पंचायतों के चुनाव होंगे। मेरे ख्याल से तो यह वार्षिकोत्सव या वन महोत्सव के

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

तरीके से हर साल यह पंचायत-चुनाव या आम चुनाव इस तरह से होते रहेंगे तो मेरे ख्याल में सिवाय समाज की बरबादी के और कोई दूसरा वतीरा मेरी नजर में नहीं आता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि पंचायत चुनाव और आम चुनावों को आप एक साथ रखें कि पांच साल की अवधि में होंगे। युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी एक साथ कई पदों के सम्बन्ध में चुनाव हुआ करते हैं। मेरे ख्याल से आपकी यह चुनाव-व्यवस्था और आम चुनाव की व्यवस्था, जिस तरह का आप इनको टाइमिंग दे रहे हैं वह देश के हित में नहीं है और अहितकर हैं; यह मेरा अभिमत है। अगर युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के तरीके के ऊपर गम्भीरता से विचार करेंगे तो को-टर्मीनस अगर आप अवधि विधान सभा, लोकसभा और पंचायतों की रखेंगे तो आपके तीनों के, पंचायतों के, विधान सभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही सम्पन्न हो सकेंगे।

पंचायत समितियों की असमानता के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा। कई पंचायत समितियां १५ पंचायतों की हैं और कई पंचायत समितियां ४५ पंचायतों की हैं। मैं समझता हूं कि पंचायतों का जो गठन है यह खामी से भरपूर है। यह मैं समझता हूं कि आप...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): ६२ सरपंचों की भी पंचायत समिति है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : औसतन ३० या ३५ की पंचायत रखें। ज्यादा से ज्यादा ३८-३९ की पंचायत समिति रखें और कम से कम ३१-३२ की पंचायत समिति रखें तब तो कोई युनिफॉर्मिटी का बेसिस भी आ सकता है। तब तो हम समझ सकते हैं कि सब पंचायत समितियां, विधान सभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र में कुछ न कुछ समानता रखते हैं; वर्ना यह विभिन्नता इस हद तक है कि तिगुना फर्क है। पंचायत समितियों में, वह अनुचित है। मैं इसके बारे में सरकार से निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि सरकार विचार करे।

दूसरा मेरा निवेदन है नोमिनेशन्स के सम्बन्ध में। अगर पंचों और सरपंचों के नोमिनेशन्स होते हैं तो उसको सिम्बल ४ बजे और बहुत सी जगह विरोधी पक्ष को शाम को ५ बजे सिम्बल मिला और दूसरे ही दिन सुबह ८ बजे पोलिंग शुरू हो जाता है, मतदान शुरू हो जाता है। तो हमारे यहां भीलों आदिवासियों की पालें हैं जो कि ५-५, ६-६ मील लम्बी और ३-३, ४-४ मील चौड़ी हैं। अगर सरपंच को ५ बजे सिम्बल मिला तो एक रात में वह कैसे प्रचार कर सकता है? कई जगह अन्धेरे में सिम्बल देखने के लिए महिलागण को कोई मौका नहीं मिलता है। अगर आप ३६ या ४० घण्टे पहले या एक दिन पहले सिम्बल दे दें तो इस बीच में सिम्बल का प्रचार कुछ हो सकता है, तब तो ठीक है; नहीं तो इसमें इतनी असमानता है कि कोई मुकाबिला नहीं हो सकता है। पहले से निर्णय कर्मचारीगण और कांग्रेस के जितने सदस्य जिले के अन्दर होते हैं वे सब रूप-

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

रेखा आपस के सहयोग से करते हैं कि फलां दिन यह होना चाहिए। मेरी आशंका इस हद तक है कि जो कांग्रेस के सरपंच हैं उनको सब जगह पहले से ही यह कह दिया जाता है कि उनका चुनाव-चिन्ह अमुक होगा; साइकिल होगा या क्या होगा। मेरे ख्याल में इस सम्बन्ध में सरकार को विचार करना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : मैं यह आपकी बात समझ नहीं पाया कि यह कैसे होता है?

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह तो एल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार आप भी बता सकते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ५ बजे सिम्बल मिले और दूसरे दिन सुबह मतदान होगा। वह सिम्बल के बारे में प्रचार कर सकता है या नहीं, वह आप निष्पक्ष रूप से विचार करें ४-५ मील के एरिया के अन्दर।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं विथड्रॉअल के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत सी जगह ऐसा हुआ है कि विपक्षी दल की ओर से अगर सरपंच या पंच खड़ा किया गया है तो उनको रुपये देकर उनके फार्म को विथड्रा करा लिया गया अगर खड़े होने के लिए प्रस्तावक या समर्थक की आवश्यकता है तो मैं समझता हूं कि कम से कम विथड्रॉअल के लिए भी प्रस्तावक या समर्थक की आवश्यकता होनी चाहिए, ऐसा मैं अनुभव करता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ठीक आइडिया है आपका कि प्रस्तावक और समर्थक को भी रुपये दिये जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई : खुद केन्डीडेट विथड्रॉ कर लेता है तो क्या बात है?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मुझे अपनी बुद्धि के अनुसार जो ठीक लगता है वह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार को चाहिए कि कम से कम ६ हफ्ते पहले गजट में...

श्री मथुरादास माथुर : मेरे खयाल में पंचों और सरपंचों के लिए प्रस्तावक और समर्थक की जरूरत नहीं है। नोमीनेशन पेपर वह आदमी खुद भरता है जो खड़ा होता है। अगर ठीक होता है तो डिक्लेयर हो जाता है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : है, आपको पता नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : वह प्रधान के लिए है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इसके अतिरिक्त पंचायत-चुनाव की तारीख गजट में प्रकाशित कम से कम ६ हफ्ते पहले होनी चाहिए। आपने बारबार पंचायतों के चुनावों को स्थगित किया है। दूसरे लोग यह विचार रखते थे कि ये पंचायतों के चुनाव होली तक होंगे उनको आपने दिसम्बर में ही करा दिया, खैर, यह आपका अधिकार है। आप सरकार हैं। आप चाहें तब

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

चुनाव करवा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से नीतियुक्त तरीका यह है कि कम से कम मिनिमम नोटिस आपको देना चाहिए और कम से कम ६ हफ्ते की सूचना आपको देनी चाहिए, जो कि अभी, मेरे खयाल से, नहीं हो पाई है । प्रोग्राम तो आप नियत करें कि फलां दिन मतदान होगा या क्या होगा । मैं समझता हूँ कि विरोधी पक्ष को बुलाकर जिलाधीश आदि राय लें तो ज्यादा ठीक होगा । लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह जब आप कहते हैं कि ये चुनाव दलगत सिद्धांत से नहीं लड़े जाते हैं तो वहां के कर्मचारी या उच्चाधिकारी यह कहेंगे कि ये चुनाव दलगत रूप से नहीं लड़े जाते हैं । हम कांग्रेस की राय नहीं लेते हैं तो हम किसी की राय लेना आवश्यक नहीं समझते हैं । हम जो ठीक समझते हैं वह करेंगे । मेरे ख्याल से यह असमानता है । कांग्रेस और राज्य कर्मचारी दोनों मिलकर प्रोग्राम का निर्णय लेते हैं । इसमें विरोधी पक्ष की राय नहीं ली जाती है । मैं समझता हूं कि आपकी यह जो नीति है यह सामाजिक न्याय देने की नहीं है, समानता देने की नहीं है । मेरा ख्याल है कि यह भ्रष्ट अधिनायकवाद की नीति है, एक फासिस्ट नीति है जो हिटलर की जर्मनी में और मुसोलिनी की इटली में थी और आज युगोस्लाविया, स्पेन और कुछ हद तक पाकिस्तान में हम देखते हैं । वही नीति अगर आप अपनाना चाहते है तो आपकी इच्छा है ।

हमारे जिले में जब जब चुनाव होता है, तब तब कोई दुर्घटना होती है । एक हरिजन, मैं नहीं कहता कि वे स्वतन्त्र पार्टी के सदस्य थे, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि वे कांग्रेस के भी नहीं थे, उन्हें पकड़ कर ले गये । मैं यह नहीं कहता कि उनके साथ मारपीट हुई, लेकिन वे अकस्मात् गांधी आश्रम डूंगरपुर में मर गये और रातों रात उनको जला दिया, उनका पोस्टमॉर्टम भी नहीं हुआ । मेरे पक्ष के कुछ लोगों ने कहा कि इसकी शिकायत करनी चाहिए तो मैंने उनसे कहा कि यह नितांत अनावश्यक है क्योंकि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है कि शिकायत करें और अगर शिकायत करेंगे तो भी कोई सुनवाई नहीं करेगा और अगर सुनवाई करेंगे भी तो मामला खारिज हो जायगा क्योंकि कर्मचारियों की प्रवृत्ति सत्तारूढ़ दल को मदद करने, उनको सहयोग देने की थी । कम से कम आप इसकी जांच करावें अगर अच्छा समझें तो, कि यह दुर्घटना कैसे हुई ? मैं नहीं कह सकता; हार्ट फेल से भी मर सकता है किन्तु उसका पोस्टमॉर्टम तो होना चाहिए था और उसके बाद उसको जलाना चाहिये था ।

मन्त्रीजी जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, जिनके पास पंचायत राज्य का पोर्टफोलियो है, उन्होंने यह भी प्रचार किया, यदि छोटा-मोटा अधिकारी प्रचार करता तो आपत्ति नहीं थी कि विपक्षी दल को वोट दोगे तो विकास का काम रोक दिया जायगा....

श्री भीखाभाई (श्रम मन्त्री) : मैंने कभी ऐसा नहीं कहा ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : झूठ मत बोलो, ईमानदारी से कहो ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : पुरानी आदत है आपकी कह कर नट जाने की।

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यदि आप इन चुनावों को एकतंत्र रूप से लड़ना चाहते हैं तो यह उत्तम प्रक्रिया है। यदि आप जनतन्त्र के सिद्धांत से लड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि विरोधी पक्ष भी रहे तो विरोधी पक्ष को भी मौका दिया जाय जिसके द्वारा वे मुकाबला कर सकें। मेरे खयाल से ३॥ महीने के चुनाव में घर का धन्धा छोड़ कर वही आकर लड़ सकते हैं जिनकी रात दिन की रोजी रोटी की समस्या हल है। वे ही लोग प्रोफेशनल पोलिटिशियन के रूप में लड़ सकते हैं। वर्ना आप इस चुनाव को सस्ता करिये, कम समय में करिये तब तो कोई विरोधी पक्ष आपके सामने आकर मुकाबले में टक्कर ले सकते हैं, वर्ना इस पद्धति को देखते हुए २३२ पंचायत समितियां हैं उनमें हमारी पार्टियां, दूसरी पार्टियां ५० भी हों तो भी मुकाबले के तौर पर चुनाव लड़ने की आशा नहीं रख सकती। आप एक एक पंचायत समिति में दो दो ट्रक्स, आठ आठ जीप्स रखते हैं और ५०० आदमियों को खाना खिलाना चाहते हैं जब कि गेहूं का भाव १००) रु० प्रति क्विन्टल काले बाजार में हो गया है। यह आप विकास करना चाहते हैं, यह क्या करना चाहते हैं, यह आप स्वयं विचार कर लें। यह आपका समाजवाद है या भ्रष्ट अधिनायकवाद

(२. १४ म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री, पदासीन)

है, यह समाज-सेवा है या समाज-शोषण है ?

सभापति महोदया, योजना के संबंध में मेरा यह निवेदन है कि आपका प्लान है वह ओवर एम्बिशियस है। आपकी प्रायोरिटीज़ हैं वे सब गलत हैं वाइल्ड गूज़ चेज़ है और आपके आंकड़े हैं वे अविश्वसनीय हैं। आपकी आज प्रायोरिटीज सर्वप्रथम होनी चाहिये जनसंख्या के संबंध में। आज हमारी जन-संख्या जिस रफ्तार से बढ़ती जा रही है उस पर आप जरा गंभीरता से विचार करें और उसके साथ साथ आप उत्पादन समस्या पर भी गंभीर विचार करें। आज हमारे देश की ७० पर्सेन्ट जनता खेती-बाड़ी के धंधे में मशगूल है, इसमें लगी हुई है। हमारे राष्ट्र की आय का ५० प्रतिशत इसी धंधे से प्राप्त होता है यानी हमारे देश की मेजर इन्डस्ट्री आज जो है वह एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर को आप प्राथमिकता दें। आप जनसंख्या को नियंत्रित करने के संबंध में विचार करें तब तो मेरे ख्याल से आपकी प्लानिंग सफल हो सकती है, नहीं तो मेरे ख्याल से यह प्लानिंग कोई वकत नहीं रखता और इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। सिवाय उत्पीड़न के देश कभी शान्ती और सुख अनुभव नहीं कर सकता। आप डींग हांकते हैं और बार बार कहते हैं कि खाद्यान्न पर काबू लायेंगे और स्वावलंबी बनेंगे। स्वावलंबी बनने वाले आप अपने आंकड़ों को देखिये, फूड इम्पोर्ट्स को देखिये जो दिन दिन बढ़ता जा रहा है,

Page No 62

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

घटता नहीं है। आप खाद्यान्न की कीमतों को देखिये, एक एक साल में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में ३०–३० पर्सेन्ट और ४० ४० पर्सेन्ट चढ़ाव होता है। मेरे ख्याल में यह कोई योजना नहीं है। मैं आपको उदाहरण के रूप में महारानी गायत्री देवी के बारे में निवेदन करूं कि जब काले बाजार में १००), १२५) रु० क्विन्टल के भाव से गेहूं मिलता था तो उन्होंने नुक्सान भुगत कर ६४) क्विन्टल के भाव से यहां जयपुर में गेहूं बिकवाने की व्यवस्था की है। मैं यह नहीं कह सकता कि सब जगह यह हो सकता है, किन्तु मैं राजस्थान सरकार से सभापति महोदया, आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपके पास कोई प्लान है कि जिसके द्वारा आवश्यक वस्तुओं पर आप काबू करना चाहते हैं तो कोई सा मोटा धान; चाहे वह मक्का हो, ज्वार हो, बाजरा हो उसको ६ महीनों के लिये निर्धारित भाव पर बेचें तो मैं मानूंगा कि आपकी योजना है। कोई सा मोटा कपड़ा, चाहे जैसा सस्ता हो, आप उसको ६ महीनों तक राज्य के द्वारा मुकर्रर भाव पर बिकवा दें, यदि समाजवाद आपको लाना है, यदि समाजवाद में आपको विश्वास है तो किसी एक मोटे कपड़े और किसी एक मोटे अनाज पर नियन्त्रित भाव लगा कर कम से कम ६ महीनों तक तो उसे बेचें ताकि जन-साधारण को अनुभव हो कि मोटा अन्न या मोटा कपड़ा अमुक समय में अमुक कीमत पर अवश्य मिल जायगा नहीं तो आपका यह प्लानिंग वाइल्ड गूज चेज जैसा है किसी की समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है।

तो मैं आशा करता हूं कि इस बारे में विचार करें। सीलिंग ओन प्राइस कोई एक तरह के मोटे अन्न या मोटे क्लोथ पर निरंतर रूप से आप कायम करने की व्यवस्था करें, नहीं तो मैं समझता हूं यह खाद्यान्न की समस्या, यह अन्न की आछत मनुष्य कृत है, सरकार कृत है और आपकी बनाई हुई व्यवस्था है। मैं यह नहीं कहता कि कीमतें नहीं बढ़ें। यदि आपकी योजना एक्सपान्डिंग इकोनोमी के सिद्धान्त पर है तो कीमत तो बढ़ेगी लेकिन उसकी भी एक हद होनी चाहिये। एक साल में ३०-३० या ४०-४० पर्सेन्ट कीमतों का बढ़ना किसी देश में मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा। इस तरह से कीमतों का चढ़ाव नहीं हुआ होगा। यह आपके प्लानिंग की एक बड़ी भारी खामी है। इसलिए मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपके प्लान की प्रायोरिटीज के अन्दर आप रद्दोबदल करें और आप प्लानिंग भी इस सिद्धान्त से निर्मित करें कि आपकी मशीनरी, आपकी शासन व्यवस्था, जो प्लान आपका निर्धारित हो, उसको सफल रूप से कार्य रूप में परिणित कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर आप महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर चलेंगे तो फिजूल खर्ची होगी, आपके पास अमला नहीं है उसको कार्यरूप में परिणत करने के लिए तो क्या होगा ? अन्धाधुन्धी होगी और वह अन्धाधुन्धी हमारे सामने आज हम देख रहे हैं। राजस्थान के अन्दर, मैं समझता हूं, विकास की बड़ी भारी गुंजाइश है। इस राजस्थान के अन्दर विकास की जितनी गुंजाइश है उतनी भारतवर्ष के किसी भी अन्य राज्य के अन्दर नहीं। आज का यह युग अणु युग

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

हैं, आज के साइन्टिफिक युग के अन्दर आप क्या नहीं कर सकते ? आपका उत्तरदायित्व महान् है। अगर आप उस उत्तरदायित्व को समझ कर अच्छी तरह से निभायेंगे तो मेरे ख्याल में राजस्थान चमक सकता है। आपका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व, मैं समझता हूं, यह पश्चिमी डेजर्ट है। इस पश्चिमी रेगिस्तान में आज के इस अणु युग के अन्दर अगर अब पानी ला सकते हैं, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था-नर्मदा स्कीम है, भाखरा स्कीम है, राजस्थान कैनाल की स्कीम है, चम्बल की स्कीम है - इनके द्वारा अगर आप कोई न कोई योजना ऐसी बनायें कि जिसके द्वारा रेगिस्तान में पानी आ सके तो मेरे ख्याल में राजस्थान खाद्यान्न का भंडार बन सकता है।

इसके साथ ही साथ प्रायोरिटी आपको देनी है गांवों के अन्दर शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में। हमारे जिले के अन्दर आज पानी की बहुत स्केर्यसिटी है। गांवों में लोग कीचड़ पी रहे हैं। मेरे ख्याल में आपके प्लानिंग में यह सबसे बड़ी भारी खामी है। अगर आप इस खामी को दूर नहीं कर सकते, आप जनता के पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल में यह अच्छा प्लानिंग नहीं हैं।

नॉन-टैक्स रेवेन्यू के सम्बन्ध में मिनरल को प्रोत्साहन देने और उन उत्पादन को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में भी सरकार को सतर्क रूप से विचार करना चाहिए और इस पर जितना भी इन्वेस्टमेंट हो, मैं समझता हूं, उतना कम है।

बिजली के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूं कि प्लान्ड एक्सपेंशन ऑफ पॉवर, योजनाबद्ध रूप से अगर आप बिजली का उत्पादन बढ़ायेंगे तो अच्छा होगा। यह आधुनिक युग के अन्दर परमावश्यक है। मैं यह अनुभव करता हूं, प्लान्ड एक्सपेंशन ऑफ पॉवर राजस्थान के अन्दर नहीं हो पाया है। अगर चम्बल में आज की स्थिति के सम्बन्ध में योजना का निर्माण करने वाले सोचते कि ऐसी समस्या दो साल की लगातार कम वर्षा के द्वारा उत्पन्न हो सकती है तो ऐसी स्थिति कभी नहीं होती। माननीय प्रभारी मंत्री के साथ में रतनगढ़ गया था। डिपार्टमेंटल काम मैंने देखा। वहां के लोगों को उजरत मिल रही है। वहां के काम की प्रगति संतोषजनक है। आपका टाइम टेबल था उससे भी तीव्र काम की प्रगति विशेष वेग पर चलती दिखाई देती है। अगर डिपार्टमेंटल रूप से आप इस तरह काम चला सकते हैं तो मेरे ख्याल में यह सोने में सुगन्ध है। किन्तु हर एक काम इस रूप से करें-तब न! यह तो मेरे ख्याल में दस कामों में से एक ऐसा उदाहरण हो सकता है जहां पर सरकार के द्वारा डिपार्टमेंटल काम में संतोषजनक प्रगति दिखाई देती है, वर्ना ऐसा नजारा मेरे ख्याल में दृष्टिगोचर नहीं हो पाता।

जनसंख्या के सम्बन्ध में, सभापति महोदया, पन्द्रह वर्षों में जितनी जनसंख्या इस देश की बढ़ी है, मैं समझता हूं, उस अनुपात से २८ या ३० वर्षों में इस देश की जनसंख्या

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

दुगुनी हो जायेगी। हम इस हद तक इस वेगसे बढ़ रहे हैं कि चार महीने के अन्दर हमारी जनसंख्या जो बढ़ती है वह समस्त नार्वे की जनसंख्या के बराबर है, छः महीने में जो जनसंख्या हमारे देश में बढ़ती है वह समस्त डेनमार्क की जनसंख्या के बराबर है, आठ महीने में जो जनसंख्या हमारे देश में बढ़ती वह समस्त स्वीडन की जनसंख्या के बराबर है, और एक वर्ष के अन्दर जो जनसंख्या हमारे देश मे बढ़ती है वह समस्त ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर है, पन्द्रह महीने में जो जनसंख्या हमारे देश में बढ़ती है वह समस्त कनाडा की जनसंख्या के बराबर है, पन्द्रह वर्ष में जो जनसंख्या हमारे देश में बढ़ी है वह समस्त रूस की जनसंख्या के बराबर है। ऐसी स्थिति में तीस वर्ष के बाद क्या स्थिति होगी यह आप स्वयं यहां बैठ कर कल्पना भी नहीं कर सकते। नौकरियां मिलना तो मुश्किल है लेकिन शायद इस अनुपात से, इस वेग से जनसंख्या और बढ़ी तो खाने को भी अन्न मिलना कठिन ही होगा। मैं आपको यह निवेदन करूं कि आप जापान का उदाहरण लें। जापान एक प्रगतिशील देश है। वह भी एशिया का देश है। जापान के अन्दर जनसंख्या भारतवर्ष से भी अधिक घनी सन् १६५० में थी। १६५० में जापान की जनसंख्या ४२० प्रति वर्ग मील थी जबकि भारतवर्ष की जनसंख्या ३४० प्रति वर्ग मील थी। जापान ने परिवार नियोजन योजनाबद्ध लागू किया। मुझे यह भी कहना पड़ेगा कि उन्होंने कानून तक बनाया, पूर्ण हत्या को जायज़ करने का कानून बनाया और जापान की जन्म-संख्या जो ३४ प्रति वर्ग मील १३ वर्ष पहले थी उससे घट कर १७ जन्म संख्या प्रति वर्ग मील आज हो चुकी है। जो जापान की आबादी ११ करोड़ थी....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): इसमें से लड़ाई में कितने मर गये? इनमें से जो लड़ाई में मर गये वह माइनस कर दिये क्या?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: लड़ाई में मरे होंगे तो लाख मर गये होंगे। चालीस पचास लाख मरने का प्रश्न नहीं है। मर गये होंगे तो दो, चार, पांच लाख; दस लाख से कम ही मरे होंगे।

जनसंख्या जापान की ११ करोड़ जो १५ वर्ष पहले थी वह आज १२ करोड़ तक पहुंची है। अगर आपकी योजना के अन्तर्गत इस जनसंख्या के प्रश्न को लेंगे तो आपका महंगा प्लान भी सफल हो सकता है वर्ना मैं नहीं समझता कि आपका यह प्लान सफल हो सकेगा जिसका प्रचार करना चाहते हैं। विपक्षी दल के एक सिपाही के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सम्बन्ध में उठाये गये सरकार के कदम को हम पोलिटिकल कैपिटल करके आपको बदनाम नहीं करेंगे। हम सहयोग देंगे। आप प्रचार करायें रेडियो के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, सस्ती दवाइयों के द्वारा, इन्जेक्शन्स के द्वारा....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): आपके दूसरे साथी नहीं मानेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरे ख्याल में आप कानून भी बनावें तो उचित होगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपके साथी नहीं मानेंगे इस बात को।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इस बदलते हुए युग के अन्दर, सभापति महोदया, हम देखते है पश्चिमी देश समृद्ध हुए हैं। जापान और जर्मनी ने, खास तौर से, विश्व युद्ध के बाद, जो विशेष रूप से प्रगति की है- वह प्रशंसनीय है। उसके मुकाबले हम आज १८ वर्ष के अन्दर इस देश के अन्दर क्या देखते हैं? हम देखते हैं भुखमरी, हम देखते हैं गरीबी, हम देखते हैं हमारे देश में अशांति और सर्वोपरि जो हमारे देश में लक्षण नहीं होने चाहिये वह है कायरता। हमारे में कायरता व्याप्त रूप से दिन पर दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारी जनता का नैतिक पतन होता जा रहा है। सभापति महोदया, ये ऐसी बातें है कि जिन बातों को आप इस योजना के दायरे के बाहर नहीं रख सकते। मैं समझता हूं, इन पर काबू करने के लिए सर्वप्रथम आपको न्याय व्यवस्था सस्ती करनी चाहिए। आपको शिक्षा को उतनी ही प्राथमिकता देनी चाहिए जितनी प्राथमिकता आप जनसंख्या पर काबू करने के लिए देना चाहेंगे, यह देने का निर्णय करें। आपकी शिक्षा के अन्दर देश-भक्ति और नियंत्रण की प्रेरणा दिलानी चाहिए और देश-भक्ति और नियंत्रण के लिए, मैं समझता हूं आध्यात्मिक उन्नति की परम आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में सभापति महोदया, कांग्रेस के वयोवृद्ध और अग्रणी नेता, जो केन्द्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और जो मद्रास के गवर्नर थे, जो बम्बई के गवर्नर थे, जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे, श्री श्रीप्रकाश, उन्होंने जो शब्द कहे हैं वे मैं पढ़ कर इस सदन के समक्ष रखूंगा।

"Addressing the seventh convocation of Gorakhpur University, he said, the human society could not tolerate hunger and unrest. When thieves and dacoits stalked the land freely, people felt tempted to accept any ruler who could establish peace.

Mr. Shri Prakash thought that lack of real patriotism was responsible for many of the ills the Indian society was suffering from today. Countries like Germany and Japan which had been devastated by the last world war, had reconstructed themselves in the last 20 years only because their people were inspired by feelings of real patriotism, but we kept quarrelling during the 18 years of our independence. Had real patriotism been in us, we would neither be afraid of China nor would hunger and unrest baffle us.

In Germany or Japan neither one heard of indiscipline among students nor of strikes in their factories and industries nor did the people apprehend there that any section of their people would betray their own country. They were engrossed in the reconstruction of their country because they were patriots.'

सभापति महोदया, हमारा प्लानिंग समाज को सुदृढ़ और सफल समाज बनाने

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

के लिये होना चाहिये। केवल एक मात्र योजनाओं को एक तरह से विन्डोड्रेसिंग को लेकर बताना कि यह कर रहे हैं या एक तरह से दिखावटी ढोंग या धतूरे की कोई बात हो तो मेरे ख्याल से यह कोई प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग हो वह समाज के लिये हो। अगर समाज ही पशुवत् हो, यदि समाज में नियंत्रण नहीं है तो मेरे ख्याल से वह देश देश नहीं है, वह जीवित देश नहीं है, वह देश मृत्युवत् है।

सभापति महोदया, हमारे जिलों में ग्रामदान नाम की योजना लागू की गई है। इसका मैं विरोध नहीं करूंगा। अगर यह ग्रामदान उनकी इच्छा से कराते हों। अगर उनकी इच्छा से कराते है तो यह सफल और सार्थक है। यदि ग्रामदान आप लोगों को दबा दबा कर कराते हैं तो मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। गांवों में लोग समझते नहीं कि इसका अर्थ क्या है। लोगों को अन्धेरे में रख कर ग्रामदान का नाटक रचा जाता है और उसमें यदि कुछ लोग ग्रामदान योजना के खिलाफ हों तो उनको वोट देने से वंचित कर दिया जाता है, उनको वोट देने का कोई अधिकार भी नहीं होता। मेरे ख्याल से यह उनके मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात है। यह सब किस तरह से होता है, इसके लिये वहां जिले के अधिकारी कोई प्रकाश डालने में असमर्थ हैं। मेरा निवेदन है कि वे इस बारे में विचार करें। मैंने वहां पर आश्चर्यजनक घटना देखी कि वहां के सरपंच और पंच के चुनाव होते हैं तो वहां पर उनके चुनाव सीक्रेट बेलट से होते नहीं, हाथ खड़ा करके होते हैं। वहां पर सरकारी अधिकारी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम देखते हैं कि किसकी हिम्मत है, सरकार के खिलाफ कौन हाथ उठाता है। मेरे ख्याल से यह हास्यास्पद बात नहीं है, यह एक लज्जाजनक योजना है। अगर आपको ग्रामदान की योजना लागू करनी है तो आपको उसको किसी योजनाबद्ध तरीके से लागू करनी चाहिये। न कि टेम्प्टेशन से और पर्सुएशन से ग्रामदान में जो लोग जाते हैं उनकी खेती एक होकर शामलात में काम हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई इसमें जाने से असमर्थ हैं तो उसको खातेदारी राइट भी नहीं मिलते। उसके खातेदारी राइट भी खत्म हो जाते हैं और उसकी जमीन भी ग्रामदान में चली जाती है। मेरे ख्याल से यह तो उनके साथ अन्याय है और उनके फन्डामेन्टल राइट्स, मौलिक अधिकारों का सवाल है उन पर भी कुठाराघात है। यह तो मेरे ख्याल से कानून की अवहेलना की पराकाष्ठा है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस संबन्ध में गंभीरता से विचार करेगी और जो वैधानिक दृष्टिकोण से उचित है उस सम्बन्ध में न्यायोचित व्यवस्था करने का विचार करेगी।

सहकारिता के संबन्ध में दो शब्द सभापति महोदया, मैं कहना चाहूंगा। वह यह है कि करोड़ों रुपये सरकार ने इस पर खर्च किये। सहकारिता कोई बुरी चीज नहीं है। यदि सहकारिता सफल होती है तो यह बहुत अच्छी है। लेकिन सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च करके बोगस सोसाइटीज़ बनाई हैं, सरकार ने उसकी क्वालिटी के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया कि सोसाइटीज़ किस प्रकार की हैं। आप यह चाहते हैं कि कागजों

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

में इन सोसाइटियों का नम्बर बढता जावे। मगर मैं यह कहूंगा कि आपके यहां सफल सोसाइटीज़ कितनी है। आपको उन सफल सोसाइटीज को ही प्रोत्साहन देना चाहिये. मगर आप इस सम्बन्ध में विचार नहीं करते। करोड़ों रुपया जो भी फंस गया है वह वापिस आवेगा भी या नहीं, यह मेरे ख्याल से एक भ्रमात्मक बात हो चुकी है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भाषा के सम्बन्ध में भी कुछ कहा गया। राजस्थान में यह समस्या नहीं है। हमारा यह सौभाग्य है कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित की गई है। अगर कोई राष्ट्रभाषा सही दिशा में हो सकती है तो हिन्दी ही है। मैं यह निवेदन करूंगा कि हम लोगों को दक्षिण में जो हो रहा है उससे आवेश में नहीं आकर, उनका सहयोग प्राप्त करके धीरे धीरे प्रचार और प्रसार के जरिये राष्ट्रभाषा को दक्षिण में लागू करना चाहिये. वर्ना देश में आन्दोलन होगा। आन्दोलन होने से देश कमजोर होगा और हिन्दी का जो पद राष्ट्र-भाषा के सम्बन्ध में है उसमें भी हानि होगी।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में हमारे पड़ोसियों के सम्बन्ध में भी दो शब्द कहे हैं। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि एक समय था कि हमारी राजनैतिक बाउन्ड्री जो भी थी वह थी, लेकिन हमारी सुरक्षा की सीमा थी वह तिब्बत थी। आज उस रूप से हमारी सुरक्षा की पूर्वीय सीमा मलेशिया है। आज तिब्बत के खतम होने के पश्चात् हमारा पड़ोसी देश चीन आकर वहां आंतकवाद फैला रहा है। अगर मलेशिया गया तो पूर्व में भी हमारी स्थिति यही होगी। मैं नहीं कहता कि वेस्ट में हमारे पड़ोसियों की नीति सुधरी हुई हो। लेकिन "वेअर देअर इज़ एविल देअर इज़ ए वे।" यह समस्या कठिन है लेकिन उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है कि हमारे पड़ोसियों की नीति हमारे साथ अच्छी हो।

कुछ भूतपूर्व राजधानियों की समस्या के सम्बन्ध में सभापति महोदया, मेरा यह निवेदन है कि उनके प्रति सरकार की उपेक्षा-पूर्ण नीति रही है जो नहीं होनी चाहिए; जैसे प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी आदि। प्रतापगढ़ में कोई कॉलेज नहीं है। बूंदी कोटा के नजदीक होने से करीब करीब दब चुका है। बूंदी एक सुन्दर नगर है। वह टूरिज़्म के लिये बहुत अच्छा है। अगर टूरिस्ट्स के लिये व्यवस्था की जावे तो मेरे ख्याल से मैं यह कहूंगा कि बूंदी जैसा कोई सुन्दर स्थान नहीं रहा है। इसके अलावा हमारे यहां जयपुर में हवामहल के पास हम देखते है कि बहुत कूड़ा-करकट और गंदगी पड़ी रहती है। इसको भी सुन्दर बनाया जावे तो बहुत अच्छा होगा। चित्तौड़ में भी आपको कुछ न कुछ करना चाहिये जिससे टूरिज़्म विकसित हो और टूरिस्ट्स ज्यादा संख्या में आ सकें।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राणा सांगा की छतरी जो बसवा में है वह भी जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है। आपको वह ठीक करवानी चाहिये। राणा सांगा का बहुत पुराना इतिहास है। इसलिये इन ऐतिहासिक स्थानों पर थोड़ा खर्च करके पुनः जीर्णोद्धार करें।

वन्य पशुओं के सम्बन्ध में मैं बार बार कहता हूं और सरकार का ध्यान अब भी आकर्षित करना चाहूंगा कि इस ओर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। आप वन्य पशुओं को इफेक्टिवली प्रिज़र्व नहीं करते। अगर वन्य पशुओं को संरक्षण देंगे तो टूरिस्ट्स आयेंगे और इससे आपको अच्छी आय

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

होगी। दक्षिण अफ्रिका में मैंने देखा, कई मिलियन ऑफ पाउन्ड्स टूरिस्ट्स के द्वारा वन पशुओं के देखने के लिये जो लोग अमेरिका और यूरोप से आते हैं उनके द्वारा वहां की सरकार को मिलता है, मिलियन पाउन्ड्स वे रोयल्टी के रूप में सरकार को देकर जाते हैं। इसी प्रकार अगर यहां वन सेंक्चूरीज़ को फेंन्सिग के द्वारा प्रिजर्व करके, वहां कटाई नहीं करके, चराई नहीं करा के वनों की रक्षा करेंगे तब ये वन्य पशु रहेंगे, वनों में उनकी तादाद बढ़ सकेगी नहीं तो दिन दिन घटती हुई यह राष्ट्रीय सम्पत्ति सर्वथा नष्ट हो जायगी। सांभरा और काले हिरन के बारे में मैं बार बार कहता हूं और फिर निवेदन करता हूं कि यह राजस्थान का ग्रेट असेट है। इसको मात्र कागजी कार्यवाही से सरक्षण देंगे तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा।

सभापति महोदया, तीन वर्षों में मेर यह अनुभव है कि बहुत सी मोटी मोटी बातें हम यहां कहते हैं, सरकार को अधिकार है बहुत सी बातें हमारी नहीं मानती, बहुत सी मोटी मोटी बातें कहते हैं, उस पर सरकार कहती है, ठीक है, हम इसको कार्यरूप में परिणित करेंगे, इस प्रकार के आश्वासनों के बावजूद भी देखने में आया है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर फाल्स प्रेस्टिज की भावना सरकार की है, छोटी छोटी बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं, अगर सरकार समझती है, इससे उसकी प्रेस्टिज जाती है और हठधर्मी को काम में लेकर आश्वासन के बावजूद भी यह काम नहीं करना चाहिये तो यह स्वस्थ जनतन्त्र प्रणाली के अनुकूल नहीं है। फिर तो हमारा यहां रहना न रहना बराबर है। अगर सरकार को ऐसा ही करना है तो नाम मात्र के पन्द्रह दिन के लिये सैशन बुला लें, इतनी लम्बी-चौड़ी फिजूल बहस को सुनना और इसकी व्यवस्था करना बेकार है।

अभी पानरवा के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया। संभवतः पानरवा में किया गया कानून न ठीक हो, पर वहां मयाद खत्म होने पर भी ठेकेदार कटाई कर रहे हैं, इस पर प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा।

डूंगरपुर के बारे में यहां कहा गया, जोगीवाड़ा का छोटा तालाब है, मैंने कहा कि जोगीवाड़ा का छोटा तालाब है, यह १०० बर्ष पुराना तालाब है, वहां १०० वर्ष पुराने पेड़ उगे हुए हैं पर यहां यह कहा गया कि यह नव-निर्मित तालाब है। मुझे मुख्य मन्त्री द्वारा लिखित आश्वासन मिला कि सिंचाई के इंजीनियर आकर मौका देखेंगे, पर आज तक वे वहां आये नहीं। तारीखें देते हैं फिर कहते हैं कि बुखार आ गया, कभी कहते हैं पंचायत के चुनाव आ गये। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आवें और देखें, मैंने जो कहा वह झूठ है तो ठीक है पर कोई नहीं आये। आश्वासन दे दिया पर रेस्पोन्सिवनेंस और विजिलेंस नहीं है। रेस्पोन्सिवनेंस और विजिलेंस ये दोनों ही डेमोक्रेसी के मूल लक्षण हैं, अगर ये दोनों ही नहीं हैं तो वह डेमोक्रेसी नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह तालाब १०० वर्ष पुराना है, जैसा कि आप कहते हैं...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अगर गलत है तो आप निराकरण करें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसकी प्रोब्लम क्या है, अगर तालाब १०० वर्ष पुराना है तो ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : प्रोब्लम यह है कि १५ हजार रुपया गबन हो गया, सरपंच द्वारा गबन किया गया, सरपंच के द्वारा लोगों को मजदूरियां नहीं मिलीं, मस्टर रोल फर्जी बने, इन चीजों का निराकरण होकर फैसला हो। इसमें सरकार कुछ भी नहीं कर पाती। डूंगरपुर की म्युनिसिपैलिटी तो सुपरसीडेड थी। उन छोटे मोटे कर्मचारियों की मामूली-रद्दी बातें,....हम किसी का नुक्सान नहीं चाहते। वह सुपरसीडेड होने पर ई. ओ. साहब सर्वे सर्वा बन, गये तालाब के अन्दर की जमीनें बेच दीं ५ हजार का गबन किया, १० हजार की मोटर लेकर घोमते हैं, पता नहीं उनके कमरों में क्या क्या है, पर सरकार द्वारा कुछ भी नहीं किया जाता।

डूंगरपुर के सी. एम. ओ. के बारे में कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू १७ साल प्रधान मंत्री रहें, पर वे १८ साल से एक ही जिले में हैं, अगर आप इसे उचित समझते हैं तो ठीक है, नहीं हम तो कहते हैं कि तबादला कर देना चाहिये, कर देना उचित है, जनतन्त्र की परम्परा के अनुसार अगर इतने अर्से तक एक ही जगह रखना स्वस्थ है तो ठीक है, अगर आपको नहीं मानना है तो हमारा यहां रहना भी मखौल है, जो बातें हम यहां लाकर रखते हैं, जो मुद्दे यहां लाकर रखते हैं उनका क्या अर्थ है ?

वैसे ही सीमलवाड़ा के बी. डी. ओ. हैं वे अनक्वालिफाइड हैं, भीखाभाईजी जानते हैं, ७०—८० हजार का बांसवाड़ा में बंगला बना लिया, विरोधी पक्ष की एक बात नहीं सुनता, खुल्लमखुल्ला कांग्रेस का प्रचार करता है; इस बारे में जानकारी करके व्यवस्था नहीं करना चाहते तो हमारा यहां बोलना बकवास है, मखौल है।

श्री अब्दुलजब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : एक रोज महल में बुला कर दावत दे दें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : दावत देना भी बेकार है। यह तो नकटे, अंधे, गूंगे बहरों के सामने बकवास है।

इसी प्रकार सागवाड़ा म्युनिसिपैलिटी के लिये अजीब व्यवस्था की है, वहां बोर्ड की अवधि समाप्त हो गई तो मैं समझता हूं महीने, दो महीने की अवधि में चुनाव करा देते पर क्योंकि विरोधी पक्ष की म्युनिसिपैलिटी है इसलिये डूंगरपुर के एस डी. ओ. को वहां ई. ओ. बना दिया इतनी दूर। और चुनाव के सम्बन्ध में क्या कार्य हुआ यह पता नहीं।

तो मेरे ख्याल से जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा कि विजिलेंस कमिशन हमने स्थापित किया है, वह आपकी पायस होप है विजिलेंस कमीशन। विजिलेंस कमीशन स्थापित है तो उसका अस्तित्व कहां दिखता है ?

इन सब बातों को निवेदन करते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने में असमर्थ हूं।

Page No 70

श्री मुरलीधर व्यास : सभापति महोदया....

श्रीमती सभानेत्री : श्री विजयसिंह झाला।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : कोई ऑर्डर तय हो चुका है क्या ? यह किस आधार पर है।

श्रीमती सभानेत्री : मेरे ख्याल से समय के आधार पर है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : सभापति महोदया, जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया उसका मैं विरोध करता हूं और खास करके जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई सीमा पर स्थित गांव हैं, उन गांवों में जिस प्रकार की दुर्दशा है और जिस प्रकार की असुरक्षा है उसको देखते हुए मैं यह मानता हूं कि कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठता कि माननीय राज्यपाल को धन्यवाद दिया जाय। माननीय सभापति महोदया, वहां योजनाबद्ध सारा कार्य होता है और कुछ ऐसे संगठन बने हुए हैं जिन संगठनों के आधार पर पुलिस के सहयोग से कुछ आदमियों को पाकिस्तान ले जाया जाता है और पाकिस्तान से वापिस लाया जाता है।

कुछ पशुधन को पाकिस्तान भेजा जाता है और कुछ यहां की सारी की सारी खबरें ट्रांसमीटर के द्वारा पाकिस्तान भेजी जाती हैं। मैं उनको सोदाहरण सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा।

सभापति महोदया, वहां पर जलालुद्दीन नामक एक व्यक्ति है। यह व्यक्ति यहां से चन्दा इकट्ठा करके जो पीर-पगारों की ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग के लिए यहां से मुसलमानों को भेजते हैं, जो पहले जत्था गया था ४०० व्यक्ति गये थे और पांच-छः महीने के पहले जो दूसरा जत्था गया था उसमें २०० व्यक्ति थे और यह जलालुद्दीन नाम का व्यक्ति भी उसमें शामिल था और वह वहां से ट्रेनिंग पाकर वापिस आया है। यह जलालुद्दीन चौहटन तहसील का रहने वाला है। यहां के हिन्दुओं से वह चन्दा लेकर जाता है, अल्प संख्या में जो हिन्दू लोग इस सीमा क्षेत्र में रहते हैं उनसे पैसा लेकर जाता है, छापामारों की ट्रेनिंग, पीर-पगारों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में होती है, वह लेकर जाता है।

सभापति महोदया, इसी सदन में पाकिस्तानी साहित्य जो हमारे सीमा क्षेत्र में बंटता है उसका मसला उठा था। मैं समझता हूं कि अब भी उसी तेजी के साथ में पाकिस्तानी पुस्तकें इस सीमा-क्षेत्र में पढ़ायी जाती हैं। कहा यह गया है कि छः मौलवीयों को गिरफ्तार किया गया, उनको गिरफ्तार करने के बाद में उनका क्या हुआ, कितना साहित्य इकट्ठा हुआ और क्या आप यह आश्वासन दे सकते हैं कि जिनको गिरफ्तार किया गया है वहां इस प्रकार का साहित्य अब उन गांवों में नहीं पढ़ाया जाता ? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं हुई है और पुलिस के कब्जे में भी ऐसे नक्शे आये हैं जिनमें यह बताया गया है कि बाड़मेर का पूरा हिस्सा और जोधपुर का आधा हिस्सा पाकिस्तान में बताया गया है। मेजोरिटी में

(श्री विजयसिंह भाला)

वे ही लोग वहां आते हैं. कहा यही जाता है कि यहां भी पाकिस्तान बना कर छोड़ेंगे। इस प्रकार की हरकतों को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है और उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है।

चौकियों की जो हालत है और जिस प्रकार के साधन हैं उन साधनों से तो मुझे ऐसा आभास मिलता है कि किसी दिन पाकिस्तान ने हमला किया तो उससे हमारी सुरक्षा नहीं हो सकेगी। मैं कुछ उदाहरण सदन के सामने रखना चाहता हूं। हर एक चौकी पर पांच पुलिस के आदमी हैं। इनके बीच में एक एक राइफल और कहीं दो दो राइफलें हैं। एस० पी० के ऑर्डर्स है कि जब आवश्यकता होगी तो थाने से ले जा सकते हैं। अब आप ख्याल कीजिये कि एक चौकी से थाना २० मील दूर पड़ता है। यदि किसी समय राइफल की आवश्यकता पड़ेगी तो वह राइफल लेने के लिए बीस मील दूर थाने पर पहुंचेगा और राइफल लाकर किसी दिन आफत आने पर उसका मुकाबला करेगा ? यहां तक कि बिजराड़ नामक चौकी है वहां पर ७ पुलिस के सिपाही रहते हैं। वहां पर उनके पास एक भी राइफल नहीं है। इन चौकियों पर आपने आदमी लगा रखे हैं, इन पर सारा खर्चा किया जाता है, किन्तु सुरक्षा की दृष्टि से जो आपने साधन उनको दे रखे हैं वे संतोषजनक नहीं है। और जब आवश्यकता पड़ेगी तो हमारी सीमा की सुरक्षा कैसे हो सकेगी, यह आप ही सोच सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह से हमारी सुरक्षा नहीं हो सकती।

सभापति महोदया, मुझे यह कहते हुए बड़ी लज्जा आती है कि वहां सीमा क्षेत्रों में अल्प संख्यक हिन्दू हैं, वहां पर हरिजन जाति है, वहां पर मेजोरिटी वालों ने आंतक फैला रखा है। उनकी औरतों को रात को घरों में रखा जाता है मेजोरिटी वालों के और उनकी इज्जत लूटी जाती है। वे लोग आंतक से दबे हुए हैं। उन लोगों ने उन अल्प संख्यकों पर आंतक जमा रखा है। वे एक भी शब्द उनके खिलाफ नहीं कह सकते। वहां पर जो इस प्रकार की दुर्दशा है उसको देखते हुए यह कोई नहीं कह सकता कि वहां पर प्रजातन्त्र है। राजस्थान के वयोवृद्ध नेता, जो एम० पी० भी हैं, श्री माणिक्यलालजी वर्मा, वे भी इस सीमा-क्षेत्र का दौरा करके आये और उसके बाद मैं उनसे मिला। मैंने उनसे एक घंटे बातचीत की। उनकी बातचीत से मुझे यह स्पष्टतया मालूम है कि राजस्थान की सरकार ने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया है। राजस्थान की यह सरकार बिलकुल निकम्मी और अयोग्य है। इसने जनता की सुरक्षा की दृष्टि से और वहां रहने वाले अल्पसंख्यक यह महसूस कर सकें कि वे प्रजातन्त्र में रह रहे हैं, उन्होंने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया है।

इसके अतिरिक्त सभापति महोदया, दूसरा गैंग है जो कवास नामक स्टेशन से उठा कर लोगों को पाकिस्तान ले जाते हैं, किसी प्रकार की कोई इजाजत नहीं ली जाती। दो-चार दिन वहां रख कर वापिस कवास स्टेशन पर पहुंचा दिया जाता है। यह काम सीलिया नाम का आदमी करता है जिसके पास २५ ऊंट हैं और उनके आधार पर वह धन्धा करता है। वह सज्जन का पार नाम का गांव का रहने वाला

(श्री विजयसिंह झाला)

है। सीलिया मुसलमान है जिसके पास २५ ऊंट हैं। कवास स्टेशन है। वहां से जो लोग पाकिस्तान जाते हैं उनको वहां से रात में ले जाता है और वापिस पाकिस्तान से लाता है। इस प्रकार इन लोगों का एक संगठन बना हुआ है। आज तक जो ट्रांसमीटर चौहटन तहसील में लगा हुआ है जो गुप्त से गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान में देता है, उसका आज तक पुलिस पता नहीं लगा सकी है। चौहटन में जब झगड़ा हुआ तो कलेक्टर ने उसका फैसला दिया। दो बजे फैसला दिया और उसके तुरन्त बाद ही वह खबर पाकिस्तान पहुंच जाती है और शाम को छः बजे पाकिस्तानी रेडियो पर ब्रोडकास्ट हो जाती है कि इस प्रकार कलेक्टर ने फैसला दिया है। हर दृष्टि से मुसलमानों को उभाड़ा जाता है और हिन्दुओं को दबाया जाता है। एक घंटे में गुप्त से गुप्त बातें पाकिस्तान पहुंच जाती है। आखिर क्या आपने पता लगाया है कि ये सारी बातें क्यों होती हैं? आपके यहां का नहीं, वहां का सी० आई० डिपार्टमेन्ट चौकन्ना है। पाकिस्तान की सीमा में रहने वाले तमाम लोगों को शस्त्र सप्लाई किये हुए हैं, उनके यहां पर सीमा से लगी हुई सारी चौकियां पूर्ण रूप से साधनों से लेस हैं।

(घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य जो तथ्य रख रहे है वे महत्वपूर्ण हैं। यदि डिप्टी होम मिनिस्टर यहां आ सकें तो अच्छा हो।

(विरोधी पक्ष द्वारा हियर, हियर)

आप आरम्भ रखिये।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : मैं नोट कर रहा हूं, उनके नोटिस में मैं ले आऊंगा।

श्री विजयसिंह झाला : सभापति महोदय, तो उस प्रकार के जो संगठन बने हुए हैं और किस प्रकार योजनाबद्ध काम कर रहे है, कुछ उदाहरण मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किये हैं। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि हमारा गृह विभाग सोया हुआ है और हमारे मुख्य मन्त्रीजी के पास यह विभाग है।

जहां तक वहां पर सड़कों के निर्माण का प्रश्न है, एक बार सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि जो पाकिस्तान की सीमा से लगे बाड़मेर आदि गांव हैं, वहां की सड़कों का निर्माण तेजी से किया जायगा। लेकिन मैं देखता हूं कि उन सड़कों की बड़ी ही दुर्दशा है। बाड़मेर से चौहटन जाने के लिए जहां पहले बस दो घंटे लेती थी । ह अब ३।। घंटे लेती है। जब कभी सुरक्षा की दृष्टि से हमें आवश्यकता पड़ी तो हम किस प्रकार से जो चौकियां बनी हैं उन तक अपने शस्त्र और अन्य साधन पहुंचा सकेंगे? इसलिए सड़कों के निर्माण का जहां तक प्रश्न है उनकी दुर्दशा ही है और कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है।

सभापति महोदय, फलौदी तहसील में जितने जुलाहे लोग हैं वे सारे के सारे

(श्री विजयसिंह झाला)

पाकिस्तान में नौकरी करते हैं। पाकिस्तान की मिलों में नौकरी करते हैं और उनको उसका भुगतान होता है। फलौदी तहसील में रहने वाले कुछ मुसलमानों के द्वारा वे सारे साल पाकिस्तान में रहते हैं और जब जरूरत होती है तो वे फलौदी आ जाते हैं। उनको किसी प्रकार का आने-जाने का लाइसेंस नहीं मिला हुआ है।

इसके सिवाय भी, यह जाने दीजिये, राजस्थान में कितनी अवधि से कितने अवैध पाकिस्तानी नागरिक यहां रह रहे हैं इसका राजस्थान सरकार को कुछ भी पता नहीं है।

(३.०० म. प.)

एक बार एक विज्ञप्ति निकली थी उसके आधार पर सरकार ने कहा या किस आधार पर कहा हमें मालूम नहीं, कि अवैध रूप से कितने पाकिस्तानी नागरिक यहां रह रहे हैं। आपने कभी पता लगाया है कि कितने नागरिक यहां रह रहे हैं ? कुछ सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी बीवियां पाकिस्तान की नागरिक हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीड़वाना) : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, जो तथ्य आप कह रहे हैं उनका इन्टरनेशनल रूप में उपयोग हो सकता है। आपके पास कौन से आंकड़े हैं जिनके आधार पर आप यह कह रहे हैं, यहां पाकिस्तान के नागरिक अवैध रूप से इतने रह रहे हैं। कोई भी तथ्य आप रखें वह तथ्य प्रमाणित होना चाहिये क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय मामला है।

श्री विजयसिंह झाला : मैं सदन के सामने नाम रख रहा हूं। एक जलालुद्दीन नामक व्यक्ति है कि जिसका पाकिस्तान के गांव में नाम लिखा हुआ है।

श्री मोतीलाल चौधरी : आपने यह सब सूचना सरकार को दी है ? यदि दी है और सरकार कुछ नहीं कर रही है तो आप कहिये। केवल भाषण के दृष्टिकोण से ही कुछ कहना चाहें तो वह बात अलग है। हमारे प्रिविलेजेज अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में सीमित हैं।

श्री विजयसिंह झाला : मैं आपको नाम दे रहा हूं, किस गांव की मतदाता सूची में उनका नाम है।

श्री मोतीलाल चौधरी : आप हाउस में जो बात कहें, जिसका सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से हो, वह फेक्ट्स के आधार पर होना चाहिये।

श्री विजयसिंह झाला : मैं समझ नहीं पाया, आप क्या कहना चाहते हैं ? मैं जो बातें कह रहा हूं उसके तथ्य भी आपके सामने रख रहा हूं।

श्री मोतीलाल चौधरी : इस तरह से जनरल रिमार्क देने से कोई हल निकलने वाला नहीं।

श्री विजयसिंह झाला : मैं सदन से निवेदन कर रहा हूं कि किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से कौनसा गेंग कहां काम कर रहा है, कौन से गांव में रह रहा है, किस गांव का नागरिक है, मैंने नाम सहित

(श्री विजयसिंह झाला)

सूचना दी है। इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कई सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी बीवियां पाकिस्तानी नागरिक हैं। किस सरकारी कर्मचारी की बीबी है, यदि वह भी जानना चाहें तो वह भी बता सकता हूं।

श्री मोतीलाल चौधरी : जरूर बतलाइये। स्पष्ट रूप से बतलाना चाहिये।

श्री विजयसिंह झाला : उदयपुर के जियाउद्दीन हैं, जो सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के इन्जीनियर हैं, उनके घर में पाकिस्तानी बीबी है जो पाकिस्तानी नागरिक की हैसियत से रह रही है, क्या उसकी जांच किसी ने की है ? कई बार शिकायतें की गईं लेकिन जांच किसी ने नहीं की। यह भी जाने दीजिये, हमारे अजमेर के सरपंच हैं जिन्होंने पाकिस्तानी नागरिक होते हुए चुनाव लड़ा है। आज सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं हैं कि अवैध रूप से कितने पाकिस्तानी यहां रह रहे हैं और न कभी सरकार ने यह जानने की कोशिश की है। आज पाकिस्तान की सीमा पर इतना आतंक फैला हुआ है कि वहां कोई भी अल्पजाति वाले लोग सुरक्षा से नहीं रह सकते। इस बारे में एक स्थगन-प्रस्ताव भी दिया है कि एक व्यक्ति के वहां नाक-कान भी काट दिये। वहां के आस-पास के हरिजन डर के मारे भागकर फलौदी चले आये हैं। इसी प्रकार का एक किस्सा नाचना तहसील का भी है जहां के एक आदमी के नाक-कान काट दिये गये। इस गेंग ने इतना आतंक बना रखा है कि माइनोरिटी में जो लोग वहां रहते हैं उनका रहना दूभर हो गया है, उनसे पैसे लिये जाते हैं, उनकी औरतों को रात भर रखकर उनकी इज्जत लूटी जाती है। इतना होते हुए भी कोई भी शब्द वे नहीं कह सकते। ऐसी स्थिति में हमारी सुरक्षा की दृष्टि से वहां का नागरिक प्रजातन्त्रीय अधिकारों का उपभोग करता हुआ जिन्दा नहीं रह सकता।

माननीय सभापति महोदया, इसके अलावा एक-दो बातें और कहना चाहता हूं। उदयपुर जिले के अन्दर जो विरोधी राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के साथ में जिस प्रकार की हरकतें हो रही है वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। जब वर्तमान योजना मन्त्री गृहमन्त्री थे उस समय उन्होंने इसी सदन में यह आश्वासन दिया था कि किसी भी राजनैतिक कार्यकर्त्ता को बन्दी बनाया जायगा तो उसको हथकड़ियां नहीं डाली जायेंगी। वे सारी घोषणायें गृह विभाग, मुख्य मन्त्री के पास जाते ही ठण्डी हो गई। उदयपुर के अन्दर हमारे विधायक श्री जोधसिंहजी को गिरफ्तार किया गया और वह भी धारा १०७ के अन्तर्गत साधारण व्यक्ति को भी इस धारा के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है तो उसके भी हथकड़ियां नहीं डाली जाती हैं, फिर हमारे विधायक को गिरफ्तार करके हथकड़ियां डाली गई जो प्रजातन्त्र के खिलाफ है। इस बारे में मैं जब एस० पी० से मिला तो वे जेल अधिकारी पर डालते हैं और जेल अधिकारी एस० पी० पर डालते हैं। मैं समझता हूं पांच दिन तक विधायक को गिरफ्तार करके किस तरह से इनको पेशी पर ले जाया जाय, यही हिदायतें देते रहे।

(श्री विजयसिंह झाला)

वह केवल मात्र इनकी इज्जत लेने के लिए किया गया और इसी कारण विधायक के हथकड़ियां डाली गई। अभी पंचायत के चुनाव हुए, उसमें कोटडा पंचायत के सरपंच अब्दुल करीम को, जो सरपंच थे, उनको हथकड़ियां डालकर सरे-बाजार में घुमाया गया। आप आखिर क्या चाहते हैं ? एक डकैत को भी आप हथकड़ियां नहीं डालते वहां विधायक और चुने हुए आदमी के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं ?

मुख्यमन्त्री महोदय २८-२-६४ को कपासन पधारे, वहां पर राजनैतिक कार्य-कर्ताओं के साथ जो हरकतें हुईं वह आपको मालूम ही होंगी, उसको दोहराने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। काले झण्डे बताये गये कपासन के अन्दर, काले झण्डे बताने का जनता को अधिकार है। उस पर आपके अधिकारियों ने उनको धारा १०७ और १५५ के अन्दर गिरफ्तार किया। इन दो धाराओं का उपयोग करने का अधिकार एस० डी० ओ० और कलेक्टर को दिया गया है जो वे विरोधी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाने के लिए प्रयोग करते हैं, उनको इसके अधीन बन्दी बनाया जाता है। मैं समझता हूं, यह १०७ धारा प्रजातंत्र के लिए कलंक है, विरोधी पार्टी के लोगों की इज्जत लूटने के लिए इसको शस्त्र बना रखा है। वहां जनसंघ के कार्यकर्ताओं को पीटा गया। कुछ लोगों को गुण्डों द्वारा पिटाया गया। उनकी एफ० आई० आर० तक दर्ज ह। की गई।

राजसमन्द में विरोधी पार्टी की नगर–पालिका है, वहां के सात सदस्य हैं। उन सातों को धारा १०७ के अन्तर्गत गिरफ्तार करके जेल में रख दिया गया। आखिर ये सारी बातें क्यों होती हैं ? विरोधी पार्टी की जहां कहीं भी नगरपालिका चल रही है उन नगरपालिकाओं को आप भंग करना चाहते हैं। इसीलिये ये हथकंडे अपनाते हैं, अफसोस इस बात का है। मैं इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्रीजी से मिला कि वहां राजसमन्द नगरपालिका का जो सेक्रेटरी है वह नगरपालिका की गुप्त से गुप्त बात को आउट कर देता है। इसके लिए नगर–पालिका के सदस्यों ने प्रस्ताव भी पास किया कि इस सेक्रेटरी पर नगरपालिका का विश्वास नहीं है। उसके बारे में जांच करने का मुख्य मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया, लेकिन ६ महीने हो गये। वह आदमी उसी ढंग से काम कर रहा है, वह अध्यक्ष की बात नहीं मानता फिर भी उसको हटाया नहीं जाता। मन्त्री लोग इरादतन ऐसा करते हैं क्योंकि उस नगरपालिका को भंग करना चाहते हैं। जिस समय राजसमन्द नगर–पालिका के चुनाव हुए उस समय उपमन्त्री गृह वहां थे, उन्होंने नगरपालिका के अध्यक्ष को कहा अब देखता हूं, तुम कितने दिन टिकते हो। ऐसी हालत में मेरा आपसे निवे-दन है कि आपको इसी तरह से करना है तो कानून बना दीजिये कि किसी भी चुनाव में विरोधी पार्टी वाले खड़े नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में मेरा मुख्य मन्त्रीजी से निवे-दन है कि वे इस संबंध में जांच करेंगे, सदन को जानकारी अवश्य देंगे।

जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नति का सवाल है, उसके बारे में गांव वालों को बिजली उपलब्ध हो इसकी बराबर अवहेलना की गई है।

(श्री विजयसिंह झाला)

कई प्रकार की योजनाएं बनाकर सरकार को दीं। कहा गया कि इसके लिये चन्दा दो, हमने उसे मन्जूर किया। इतना रुपया दो, हमने वह भी माना। पर ऐसा लगता है कि कोई योजना सरकार के पास नहीं है जिसके आधार पर वे गांवों में कृषकों को बिजली दे सकें। गांवों के पास से बड़ी बड़ी लाइनें होकर निकली हैं। पर उन गांवों में अन्धेरा है, कूओं पर बिजली नहीं पहुंच पाई है। हमारे कृषि मन्त्री ने बताया कि पांच कूओं की तैयारी किसी गांव की होने पर उस गांव में बिजली दी जावेगी। तो हमने ऐसी भी योजना बनाकर दी। विद्युत् मन्त्री ने कहा कि इतना पैसा दो तो हमने पैसा देने के लिये बोण्ड लिखकर दिया। पर कोई कार्यवाही उस पर आज तक नहीं हुई।

जहां तक राजस्थान में हिन्दी भाषा का प्रसार का प्रश्न है इस बारे में भी २६ जनवरी, ६५ के बाद भी जिस ढंग से हमें आगे बढ़ना चाहिये था, हम नहीं बढ़ पाये हैं। जिन कानूनों का हिन्दी अनुवाद हो जाना चाहिये था, वह अभी भी नहीं हो पाया। कई ऐसे फॉर्म हैं जो आज भी अंग्रेजी में हैं। सारे अफसर दस्तखत अंग्रेजी में करते हैं। मैं समझता हूं कि ये सारी की सारी बातें अब तो बन्द हो जानी चाहिये। सड़कों पर मील के पत्थर हैं या नाम की प्लेटें हैं गांवों की वे भी आज हिन्दी में नहीं मिलतीं। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो हिन्दी प्रसार के लिये आवश्यक हैं।

सभापति महोदया, जहां तक संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने का सवाल है, उसको कब खोला जावेगा, यह मैं नहीं पूछता; पर यह जानना चाहता हूं कि जहां से अधिक धनराशि मिलेगी वहां खोला जावेगा या इसके खोलने का और कोई आधार होगा धनराशि के आधार पर खोलने का प्रावधान नहीं होना चाहिये। मैं इसमें नम्र निवेदन करता हूं कि नाथद्वारा ही एक ऐसा स्थान है जहां संस्कृत विश्वविद्यालय खोला जा सकता है क्योंकि वहां पर आज भी सांस्कृति की रक्षा होती है। जहां श्रीनाथजी की सेवा होती है और जिस प्रकार की संस्कृत की परिपाटी संगीत के आधार पर या साहित्य संस्कृति का आधार वहां उपलब्ध हो सकता है उस प्रकार का और कहीं स्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के लिये नाथद्वारा से अधिक उपयुक्त नहीं हो सकता।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : संस्कृत विश्वविद्यालय तो नाथद्वारा में खोल दो।

श्री विजयसिंह झाला : मेरी समझ में आप इसका समर्थन करेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : समर्थन कर दिया न उन्होंने।

श्री विजयसिंह झाला : पिछले साल बारिश की कमी थी, उसके बारे में स्थगन-प्रस्ताव रक्खा, बहुत से ग्रामों में पीने के पानी का अभाव है। पर इसके बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। लिखित रूप में भी मैंने मुख्य मन्त्रीजी को दिया कि इस प्रकार पक्षपात करने से काम नहीं

(श्री विजयसिंह झाला)

चलेगा। नाथद्वारा, मावली, गिरवा के ग्रामों में स्थिति खराब है। वहां पानी का प्रबन्ध होना चाहिये। इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : सभापति महोदया, राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में चर्चा चल रही है।

विगत वित्तीय वर्ष में जो कुछ भी राज्य सरकार के द्वारा कार्यवाही होती है उसका लेखा–जोखा जो है उसका वर्णन करते हुए यह आशा की जाती है कि राज्यपाल महोदय जो अभिभाषण दें उस पर धन्यवाद का प्रस्ताव पारित किया जावे। यह एक ऐसा अवसर होता है कि राज्य सरकार किस प्रकार अपनी शासन व्यवस्था में सफल रही है, किस प्रकार जनता को सही माने में राहत पहुंचाई है, उसकी सेवा करने के लक्ष्य को पूरा किया है और इस पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके द्वारा राजस्थान के मुख्य मन्त्री, जो एबिलेस्ट मिनिस्टर कहलाते हैं और अपनी काबलियत का सर्टिफिकेट भी जिन्होंने हासिल कर लिया है, उनके सामने स्थानीय और राज्य व्यापी समस्याओं को प्रस्तुत करना चाहता हूं और इसके पश्चात् उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे स्वयं फैसला करें कि गत वित्तीय वर्ष में राजस्थान राज्य में जनता के प्रति किस प्रकार का बर्ताव सरकार का रहा है और वह बर्ताव जिस प्रकार का रहना चाहिये वैसा सही माने में रहा है या नहीं या सरकार जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को सम्भालने में कामयाब रही है या नहीं, इसका फैसला वे स्वयं कर सकते हैं।

हमारे देश में और हमारे राज्य में भी खाद्य की समस्या बहुत भयंकर रूप में रही है। इस खाद्य समस्या के बारे में, सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह समस्या वास्तव में कोई प्रकृति के द्वारा दत्त नहीं है, बल्कि इन नेताओं और सरकार के उच्चाधिकारियों द्वारा निर्मित है। यदि हमने प्रारम्भ से इस प्रश्न पर सही दृष्टि से विचार किया होता और उसके बाद उसे सही माने में निष्ठापूर्वक निराकरण करने का प्रयत्न किया होता तो सम्भवतः यह समस्या उत्पन्न ही नहीं होती।

मैं याद दिलाना चाहता हूं इस सदन में, हम पहले भी खाद्य समस्या को डिस्कस कर चुके हैं। इस बारे में स्वयं खाद्य मन्त्री ने अपना स्टेटमेंट दिया था और आश्वासन भी दिया था और जनता के सामने भी यह कहा था कि आगे आनेवाले निकटतम समय में इस समस्या का बिल्कुल निराकरण कर दिया जावेगा। पर वह निराकरण उनसे आज दिन तक भी नहीं हो सका; बल्कि आज समस्या और विकटतर रूप में सामने आई है। आज लोगों को खाने के लिये अच्छी तरह से अन्न भी नहीं मिल रहा है और वितरण व्यवस्था में गड़बड़ियां और अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। इन की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

चाहता हूं और इस बारे में कुछ अपने सुझाव भी रखना चाहूंगा ।

यह बेसिक समस्या है । इसके हल के बिना देश की प्रगति नहीं हो सकती, जन-जीवन अस्त व्यस्त हो जावेगा, हमारी योजनाएं भी इस अस्त-व्यस्तता सेप्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकेगी । रात-दिन काम करने के जनता के तौर-तरीकों में भी बाधाएं उत्पन्न हो जावेंगी । आज हम प्रगति पर विचार नहीं कर सकते, शिक्षा में प्रगति नहीं कर सकते । हमारी सारी योजनाओं में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं अगर हमने खाद्यान्न की समस्या को हल नहीं किया तो ।

खाने को अन्न, पहिनने को वस्त्र और रहने को मकान नहीं मिलेगा तो प्रगति के प्रश्न पर विचार करना मृगमरीचिका है ।

जब आप जानते थे कि कुछ खाद्यान्नों की कमी हो रही है, और बाहर से अनाज मंगाने में कठिनाई हो रही है तो इसके बावजूद भी जो उपलब्ध है उसको ठीक, प्रेक्टिकल रूप में, प्रोक्टिकल आस्पेक्ट को लेते हुए वितरित किया जावे इस पर आपने ध्यान नहीं दिया । आप तो केवल आंकड़ों के आधार पर चलते रहे ।

इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं प्रस्तुत करता हूं । जयपुर शहर के पांच लाख आदमियों में अन्न वितरण करने का भार अपने अपने कन्धों पर लिया । आपने आंकडों में देखा कि एक आदमी को एक दिन में इतने अनाज की आवश्यकता होती है तो इस तरह से एक सप्ताह में, महीने में इतनी आवश्यकता होगी और जब आपको उतना कोटा नहीं मिला तो पहले तो कल्पना की कि इसके अन्दर इतना कट कर दो, पर फिर भी इसका प्रैक्टिकल आस्पेक्ट आपने नहीं देखा । अगर प्रैक्टिकल आस्पेक्ट में देखते तो आप वह भी अन्दाज लगा लेते कि गेहूं खाने वाली आबादी कितनी है और बाजरा, मक्की और ज्वार आदि मोटा अन्न खाने वाली आबादी कितनी है । बहुत अधिक लोग ऐसे थे कि जो बेजड़ खाकर रहना ज्यादा पसन्द करते हैं, बनिस्पत गेहूं के । पर आंकड़ों के आधार पर जब आपने हिसाब लगाना शुरू किया तो परिणाम इसका यह हुआ कि स्वेच्छा से जो गेहूं नहीं खाना चाहते थे उनको भी कहा कि तुम्हें गेहूं खाना पड़ेगा । इसका परिणाम यह हुआ कि जिनको गेहूं की आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने भी लिया और घोड़ों आदि को खिलाया । इसने उनकी आदत खराब की । अब जिनको गेहूं का अभाव रहता था उनको मजबूर न ब्लैक मार्केट में जाना पड़ा। लोगों में लालच का आना स्वाभाविक है । उधर चना महंगा हो गया । मोटे अनाज भी महंगे हो गये । तो चारों तरफ से ब्लैक मार्केट शुरू हो गया और इस तरह से लोगों को चरित्र से भी आपने गिराया । इस सब का उत्तरदायित्व सरकार पर है, प्रैक्टिकल विज़न नहीं होने के कारण ।

समझाने की बात उनको कही जाती है तो उत्तर मिलता है कि काबलियत का ठेका तो हमने ही ले रक्खा है, आपके सब सुझाव तो बेवकूफी के आते हैं । क्वालिफाइड आप हो सकते हैं, पर मैं यह कहूंगा कि जिस प्रकार एक स्टेटिस्टिशियन और

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

इन्जीनियर ज रहे थे, उनके साथ में फेमिली थी, नदी पड़ गई रास्ते में। नदी पार करनी है। अब इसमें से कार कैसे पास हो, यह सोचने लगे इंजीनियर साहब। अब उन्होंने आंकड़ों के हिसाब से एवरेज निकाला कि मोटर इसमें से पार हो सकती है या नहीं। डूब तो नहीं जावेगी ? अब उन्होंने नापा तो कहीं पानी तीन इन्च था, कहीं पांच इन्च या, कहीं आठ था, तो कहीं दस था। अब उन्होंने सारे का एवरेज निकाला तो ढाई-तीन इन्च का एवरेज आया। निर्णय निकाला कि इतने में तो कार नदी पार कर लेगी। यह है अन्तर आंकड़ों में डूबे रहने का और प्रेक्टिकल आस्पेक्ट नही देखने का।

आप विद्वान् बहुत हैं, हिसाब ठीक लगाते हैं। पर फिर भी नदी पार नहीं कर सके, मोटर भी बह गई और फेमिली भी उनकी बह गई।

लोगों ने पूछा कि आप तो इतने विद्वान् हैं; बाहर से शिक्षा प्राप्त करके आये हैं, दुनिया भर का अध्ययन आपने किया है फिर यह मामला कैसे हुआ ? तो उन्होंने दुबारा हिसाब लगाना शुरू किया तो फिर वही ढ़ाई फुट का एवरेज पड़ा। तो फिर समझ में नहीं आया कि वही का वही हिसाब, तो फिर कुनबा डूबा क्यो ? मैं कहता हूं कि इसके प्रेक्टिकल आस्पेक्ट को देखें तो सीधी और छोटी सी बात यह है कि छोटी सी प्रोब्लम को इतनी बड़ी राज्य सरकार हल नहीं कर पाई। एक ओर आप यह दावा करते हैं कि राज्य सरकार सारे अन्न को खरीद लेगी। राज्य सरकार इतनी सशक्त है, इतनी सम्पन्न है कि यदि किसी के पास अनाज है तो उसको राज्य सरकार खरीदने की क्षमता रखती है, मैं भी कहता हूं कि राज्य सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है। मैं निवेदन करता हूं कि हमारी राज्य सरकार बड़ी बड़ी योजनाओं में लाखों रुपया लगाती है, संस्थाओं के उत्थान के लिए अनुदान देती है तो क्या कारण है कि पब्लिक एक्सचेकर के इस रुपये में थोड़ा सा रुपया इस अनाज के खरीदने में ज्यादा पैसा लगाकर जनता को राहत देने का यत्न क्यों नहीं करती ? लेकिन आपका ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं होता कि पब्लिक को सही माने में और सही रूप से अनाज दिया जा सके, यह व्यवस्था आप नहीं करना चाहते हैं। कर तो सकते है लेकिन आपकी इच्छा नहीं है और उसका स्पष्ट कारण है वह भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। उसका कारण यह है कि मैं जानता हूं कि १५ वर्षो के शासन-काल में जिस प्रकार से जनता में असन्तोष आपके प्रति फैला है उसका दमन करने का कोई उपाय रह गया है तो यही रह गया है कि आप इस कोटा सिस्टम और परमिट सिस्टम और व्यापारियों के ऊपर पूरे नियन्त्रण को अपने हाथों से दूसरे हाथों में नहीं जाने देना चाहते हैं। यह व्यापारी जिसके ऊपर नियन्त्रण एक मात्र परमिट सिस्टम, कोटा सिस्टम के द्वारा और दूसरे सिस्टम के द्वारा कर सकते हैं यदि यह व्यवस्था हो जाती है तो उसमें आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि उत्तरदायित्व आपके ऊपर यह नहीं है कि आप अपने अधिकरों की रक्षा करते रहें

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

उत्तरदायित्व आप के ऊपर यह है कि आप जनता की सेवा करें। आप भी उसी रूप में जनता के प्रतिनिधि हैं। यह बात नहीं है कि आपके कानों तक आवाज नहीं पहुंचती है, यह बात नहीं है कि आपको दिखता नहीं है, लेकिन कुछ कारण ऐसे बने हुए हैं कि जिनके होते हुए आप इस व्यवस्था को सही माने में नहीं करना चाहते हैं। आप चाहें जब तो अन्न को बाहर निकालने के आदेश दे देते हैं और फिर बन्द कर देते हैं। मैं कहता हूं कि ऐसे सर्कुलर्स मैं आपको पचासों बताने के लिए तैयार हूं कि आप १ तारीख को तो निकासी के ऊपर प्रतिबन्ध लगाते हैं और एक सप्ताह के बाद ही उसको आप खोल देते हैं और फिर तीन दिन के बाद ही दूसरा प्रतिबन्ध लगा देते हैं और तीन-चार दिन के बाद उस प्रतिबन्ध को फिर खोल देते हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बातें हों लेकिन कॉमन सेन्स मुझे यह कहने के लिए मजबूर करती है कि दो ही कारण इसके हो सकते हैं—या तो आप में इतनी काबलियत नहीं है या तो आप सोच नहीं सकते कि इस प्रकार के आॅर्डर्स देने के अन्जाम क्या निकलेंगे या दूसरा कारण यह हो सकता है कि इसके पीछे कोई न कोई मोटिव हो जिसके द्वारा मजबूर होकर आपको इस प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। इसका स्पष्टीकरण तो आप देंगे कि किस मोटिव से ऐसा किया जाता है या कोई काबलियत के आधार पर किया जाता है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज आपके सामने आती हैं....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : आपने कहा कि मैं पचासों सर्कुलर्स बता सकता हूं वे जरा ५० छोड़ ५ तो बता दें कि कब ऐसा किया गया और कब नहीं किया गया। आप जैसे विद्वान् आदमी को जुबानी भी नहीं कहना चाहिए। जब आप कहते हैं कि ऐसे पचासों सर्कुलर्स बता सकते हैं तो आप अभी बता दीजिए। आप विद्वान आदमी हैं इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, वर्ना हर एक आदमी से तो कहता भी नहीं—एक तो सर्कुलर ऐसा बता दें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इन सब बातों के होते हुए भी मैं अपनी नियन्त्रित भाषा में यही कहता हूं कि कॉमनसेन्स मुझे यह कहने के लिए मजबूर करती है कि इसके दो ही कारण हो सकते हैं इस प्रकार के आॅर्डर्स देने के और इसका स्पष्टीकरण तो आप देंगे और यह सर्कुलर्स डिटेल में मैं आपको अभी देख कर दूंगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने ५० कहा तब मैंने कहा। मैंने किसी चीज को बन्द करके खोला हो, मुझे याद नहीं। आप ५० बता रहे थे इसलिए मैंने कहा है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : दूसरी बात आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स आपके पास हैं। आपके नोटिस में यह बातें आती हैं, आप एक डिस्ट्रिक्ट को सरप्लस डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करते हैं और दूसरे को स्केयर्सिटी डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करते हैं और जहां तक प्राईसेज़ के कन्ट्रोल का प्रश्न है, हो सकता है कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं—मैं विरोध नही करना चाहता हूं और उत्पादन की दृष्टि से और उत्पादनकर्त्ताओं को ठीक रूप से रुपया मिलता रहे

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

इस दृष्टिकोण से आप किसी भी प्राईस को फिक्स कर सकते हैं और ऐसा करने का आपको अधिकार भी है, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ये सारी बातें होने के बावजूद भी क्या कारण है कि राज्य सरकार के बाहर, यह जानते हुए कि हम अपने सरप्लस डिस्ट्रिक्ट से स्केयर्सिटी के दूसरे डिस्ट्रिक्ट को सप्लाई नहीं करें और इसके बजाय राज्य के बाहर भेज दें। इसके दूसरे कारण हो सकते हैं। न खुद ही खा सकें, न सेवा जगत की कर सकें - गया नहीं पाला कुनबा, जगत उससे पलेगा क्या ? आप अपनी जनता को तो ठीक रूप से अन्न नहीं दे सके और कहते हैं कि हमारे सामने मजबूरियां ऐसी आती हैं कि बम्बई को देना पड़ा, गुजरात को देना पड़ा। ये दूसरी समस्यायें हैं। मैं अपने लिए विचार करके चलता हूं, आप अपना उद्धार करने की चेष्टा कीजिए।

तीसरी बात इसी सिलसिले में जो मैं बताना चाहता हूं वह यह है कि आपने इस प्रकार का आदेश जारी किया और यह कहा कि हम अपने राज्य से बाहर भेजने की इजाजत दे सकते हैं, मगर उसी शर्त पर देंगे कि जो व्यापारी बाहर गल्ला ले जाना चाहेगा वह सरकार द्वारा निर्धारित किये गये भावों पर उतना ही गल्ला राज्य सरकार को मोल देगा जितना कि वह लेना चाहता है। जो गल्ला वह राज्य सरकार को देगा वह राज्य सरकार वितरित करने की व्यवस्था करेगी। सम्भवत: ऐसा आदेश चने के बारे में जारी किया गया। मैं आपको सुझाव देता हूं कि क्या सोचकर आपने यह आदेश जारी किया ? इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं; लेकिन मेरी बुद्धि में यह बात समझ में आई कि जिस समय आपने यह आज्ञा जारी की उसका परिणाम क्या हुआ ? इसका परिणाम हुआ कि इससे बेईमानी को ज्यादा बढ़ावा मिला और यह स्पष्ट है कि एक व्यापारी जो आपके राज्य से २०० मन गल्ला खरीदता है वह आंकड़े सरकार को सही नहीं दिखाता है। क्योंकि उसे आपको उतना ही गल्ला बेचना पड़ता है। चने का भाव आपने ५४ रुपया क्विंटल तय किया। अब उसको बाजार में इस भाव पर चना नहीं मिलता। वह व्यापारी बाजार में ६४ रुपये क्विंटल के भाव से खरीदता है। वह इसी कारण २०० मन गल्ला खरीदता है और १०० मन खरीदा हुआ अपने कागजों में दिखाता है। १०० मन इसलिए राज्य दिखाता है कि इसमें से ५० मन उसको सरकार को बेचना पड़ता है। जब वह ५० मन बाहर ले जाता है तो ५० मन खरीदा हुआ अपने कागजों में बताता है और इस तरह से १५० मन चना आपकी सीमा से बाहर निकाल लेता है। यह आज्ञा आपने दे दी, लेकिन आप पूरी तरह से नियंत्रण कर नहीं सके। उसका नतीजा यह हुआ कि विभाग के जितने भी उच्चाधिकारी हैं, अन्य कर्मचारी हैं, पुलिस विभाग के अधिकारी जो कि इस बात के लिए बोर्डर पर मुकर्रर किये गये हैं, वे एक दूसरे में भ्रष्टाचार को पनपाने में सहयोग कर रहे हैं। स्पष्ट है कि जो भाव यहां ६४ रुपये का बाजार में है और एक व्यापारी उसी ६४ रुपये के हिसाब से खरीदा हुआ चना वापिस ५४ रुपये में सरकार को बेचता

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

है तो वह घाटा कहां से खायेगा ? व्यापारी कभी घाटा नहीं खाता उसी गल्ले को वह व्यापारी बम्बई में या दूसरी जगह जहां१००-१२५ का भाव है, वहां वह आसानी से बेच रहा है। यह हो रहा है, यह आपकी निगाह में भी है, लेकिन कई मजबूरियां हो सकती हैं कि आप इसका नियन्त्रण नहीं कर सके। तो मेरा केवल आपको निवेदन करना यह था कि जो शासक या शासन का भार जिसके कन्धों पर रखा है उनका मूल उत्तरदायित्व यदि हो सकता है तो वह मूल उत्तरदायित्व यह हो सकता है कि अपने राज्य की जनता की सही माने में खाने की व्यवस्था कर सके। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि गत वित्तीय वर्ष में हमारी राज्य सरकार इसकी व्यवस्था करने में पूर्ण रूप से असफल रही है और उसका मूल कारण यह रहा है, मैं यह कहूंगा कि मैं आपकी एफिशियेन्सी की तारीफ करूं, धन्यवाद का जहां प्रश्न आता है तो मुझे जयपुर की कहावत याद आ जाती है कि—पांडेजी आशीश दो, तो वे कहते है कि जजमान मैं क्या आशीष दूं, आशीष तो मेरी आत्मा दे रही है। सारा राजस्थान आशीर्वाद कैसे देगा, यह तो उनकी आत्मा दे रही है आशीष आपको। विशेष मैं आपको कहना नहीं चाहता। अगर आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो वैसे काम करने की चेष्टा कीजिये। यह तो एक प्रश्न रहा आपकी खाद्य समस्या का।

दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह यह है कि दैनिक व्यवस्था की बहुत सी अनियमितताएं आपके यहां पर चल रही हैं। सबसे पहले चरित्र-निर्माण के आधार को लेकर यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो मनुष्य के जीवन में तीन बातों की प्रधानता मानते हैं-एक खाने की व्यवस्था होनी चाहिये, वस्त्र, दूसरी रहने की व्यवस्था होनी चाहिये और तीसरी बात प्रगति की ओर ले जाने वाली यदि कोई हो सकती है तो वह सद्शिक्षा होनी चाहिये। शिक्षा के क्षेत्र को आप ले लीजिये। आंकड़ों के अन्दर उन्नति दिखाने में चतुर जितनी यह सरकार रही है सम्भवतः अन्य कोई सरकार नहीं हो सकती। आप प्रगति के पूरे आंकड़े दिखा देंगे, आप यह दिखा देंगे कि आपने इतने प्राइमरी स्कूल खोल दिये, आप यह कह देंगे कि इतने प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल आपने बना दिया। कॉलेजेज खोल देने की बात कहते हैं, लेकिन इन सारे आंकड़ों को मिलाने के पश्चात् मैं माननीय मन्त्री महोदयों से और उच्चाधिकारियों से यह अपील करूंगा कि जब एड्मिशन का समय आता है उस समय स्कूल और कॉलेज जहां-जहां हैं उन बस्तियों और गलियों में जाकर एक आंख से देखिये तो यह उच्च प्रगति जो आप दिखा रहे हैं वह मृगमरीचिका साबित हो जायगी। उस वक्त नौकरी मिलना आसान हो सकता है, लेकिन एड्मिशन के टाइम पर उन विद्यार्थियों को एड्मिशन नहीं मिलेगा। यह प्रगति का प्रश्न है लेकिन इस प्रकार की प्रगति को हम चाहते भी नहीं हैं। आप केवल आंकड़ों में यह दिखा देंगे कि एक हजार विद्यार्थियों को हमने सुशिक्षित बना दिया, तो इससे काम नहीं चलेगा। चरित्र-निर्माण करने की चेष्टा कीजिये। कहा गया है कि—

"वरमेको गरणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि।

(श्रीदुर्गालाल बाढ़दार)

एकश्चन्द्र तमोहन्ति न च तारागणोअपि ।।"

यदि एक ही विद्यार्थी आप राजस्थान में ऐसा उत्पन्न कर सकते हैं जो विश्व में होने वाले कॉम्पीटिशन में जाकर मुकाबला करे, आपके राजस्थान का नाम उज्जवल करें तो मैं समझता हूं कि सही माने में राजस्थान सरकार प्रगति की ओर जा रही है। इस प्रकार से केवल सर्टिफिकेट और डिप्लोमा दे देने से आंकडों के अन्दर सैकड़ों और हजारों विद्यार्थियों को शिक्षित बना देने से राजस्थान सरकार सही माने में धन्यवाद की पात्र नहीं हो सकती।

मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी भी प्रगति आपने दिखलाई उनकी हालत मुलाहिजा फरमाइये। अब भी गांवों में मैं आपको दिखाऊंगा कि नीम के नीचे बिठाकर बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम भी नहीं है। मास्टरों की यह हालत है कि कोई मिडिल पास है या कोई मैट्रिक पास है, मैं किसी पर लांछन नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन मैं स्पष्ट स्थिति निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी क्वालिफिकेशन्स के बारे में, उनकी योग्यता के बारे में कभी जाकर विचार करें। यदि एक वाक्य शुद्ध हिन्दी में अध्यापक महोदय को लिखाना चाहें तो वह मास्टर लिखने में असमर्थ रहेगा। मैं सारे अध्यापकों के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन अधिकांश अध्यापकों की यह हालत है, मैं उन अध्यापकों के पास पढ़ा हूं जो विद्यार्थियों की नींव को मजबूती के साथ डाला करते थे, लेकिन आज नींव को जाकर देखते हैं तो उन बच्चों के साथ जिनमें से सारे देश को और सारे समाज को रिप्रेजेन्ट करनेवालेव्यक्ति उत्पन्न हो सकते हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। आपकी शिक्षा का ह्रास हो रहा है। मैं आपको कहूंगा कि छोटे-छोटे बच्चों को जिनको कि ओरीजिनल बेसिक एज्युकेशन ऐसी मिलनी चाहिये कि जिससे उनकी नींव मजबूत हो जाय।

(३. ३४ म. प,)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आप केवल कोरे कंकड़-पत्थर भरकर बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं तो इस देश का चरित्र-निर्माण कैसे होगा ? आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि १६५० से पहले वाले जो विद्यार्थी हैं, जो ग्रेजुएट हुए हैं उनके लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अपने गुरुओं के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा की भावना उत्पन्न होगी, लेकिन ५० के बाद जिन्होंने पढ़ना प्रारम्भ किया है उनमें विनम्रता नाम की वस्तु नहीं होती है। "विद्या ददाति विनयम्" विद्यार्थी का पहला गुण होता है, विनम्रता उससे पैदा होती है, लेकिन अखबारों में प्रकाशित होने वाली खबरें या आपके सामने आने वाली रिपोर्टें इस बात की द्योतक हैं, वे इस बात को बताती हैं कि जो यह उत्तेजना और जोश, जैसा कि आज विद्यार्थी वर्ग में फैला हुआ है, उसका मूल कारण क्या है ? उसका मूल कारण यह है कि शिक्षा पर नियन्त्रण आप नहीं कर सके। नियन्त्रण नहीं करने का परिणाम यह हुआ है कि हमारे देश के चरित्र का ह्रास हो रहा है। जहां स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश के उन्नति हो जानी चाहिए थी, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश की प्रगति की सीमा कहां से कहां

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

बढ़ आनी चाहिए थी उस सीमा पर नहीं जाने के बजाय आज हम दूसरे झगड़ों में भूले हुए हैं।

महाराजा कॉलेज में विद्यार्थियों ने एक फंक्शन किया और उस फंक्शन में कुछ आदमियों को बुलाया, मुझे भी आमन्त्रित किया गया था और वहां विचारने के लिए प्रश्न रखा "आज की खाद्य समस्या"। उस खाद्य-समस्या पर हुए विचार-विमर्श को देख कर सबसे बड़ा दुःख हुआ और मैंने विद्यार्थियों से निवेदन किया "मेरे भाइयो, आप कॉलेज के विद्यार्थी हैं और देश के नौजवान हैं। तुम्हारे सामने तो यह प्रश्न होना चाहिए था कि आज अमेरिका और रूस तथा दूसरे देशों के विद्यार्थी जो चन्द्रमा पर जाने की कल्पना कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक अविष्कार के द्वारा देश को उन्नत बनाने की कल्पना कर रहे हैं वहां आज हमारे देश के नौनिहाल हमारे सामने राज्य की समस्याओं पर, जवान कॉलेज के विद्यार्थी होकर खाद्य-समस्या पर, विचार कर रहे हैं, इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है, इसका क्या कारण है ?" इसके कारण पर गहराई से विचार करना चाहिए। कौन है जिम्मेवार इसके लिए ? हम हैं जिम्मेवार इसके लिए। वे व्यक्ति जिम्मेवार हैं इसके लिए जिनके कन्धों पर शासन का भार रखा गया है। तो विनम्रता के साथ, माननीय उपाध्यक्ष, आपके द्वारा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार कहा गया है कि दो समस्याएं हैं जिनका मनुष्य के जीवन से पूरा सम्बन्ध है, उन दोनों समस्याओं के बारे में आज यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि हमारी राज्य सरकार सही माने में उनको निभाने में असफल रही है।

तीसरी समस्या जो हमारे सामने उत्पन्न होती है, आदमी को यदि खाने को मिल जाय, आदमी को सही माने में शिक्षा मिल जाय तो उसको अपने व्यावहारिक ज्ञान के बारे में विचारने का सवाल पैदा होता है, उसके मूलभूत अधिकार की रक्षा का प्रश्न पैदा होता है और न्याय-व्यवस्था सामने आती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न्याय कहां से होगा ? जहां खाने की समस्या है, जहां पहिनने की समस्या है, जहां शिक्षा की समस्या है, उसके बारे में यदि न्याय की कोई गड़बड़ होती है, यदि न्याय-व्यवस्था का सही इन्तजाम नहीं हो सकता है तो मेरा कहना अपवादमात्र होगा और न आप उस चीज को मान सकेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने बजट के आंकड़ों को देख लें। योजनाओं पर करोड़ों रुपयों का प्रावधान आप करते हैं, मैं यह नहीं कहता कि योजनाएं बुरी हैं, देश की उन्नति के लिए आप इससे भी ज्यादा प्रावधान रखें और योजनाएं बढ़ाएं और देश को समृद्ध बनायें, देश को उन्नत बनायें, हमारा पूर्ण रूप से आपके साथ सहयोग है, लेकिन इसके साथ साथ आप यह क्यों विस्मरित कर जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं कि इस प्रकार की शासन-व्यवस्था के साथ न्याय-व्यवस्था सुचारु रूप से करनी चाहिए। राजस्थान के कौने कौने में चले जाइये, हर जगह आप देख लें ऐसी एक जगह नहीं बीसों जगह हैं

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

जहां कि जुडिशियल ऑफिसर्स की कमी है। उनकी कमी के कारण अगर १५-२० दिन के लिए कोई स्थानान्तरण हो जाता है या किसी वजह से किसी का ट्रान्सफर हो जाता है तो सीट को फिल-अप करने का सवाल पैदा नहीं होता है। मुकदमों की तारीखें पड़ती हैं तो पड़ती रहें, कोई विचार नहीं किया जाता है। एक कोर्ट में कितने कैसेज़ पेंडिंग हैं और एक केस के डिस्पोज़ल के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होती है, इस बात का भी कोई विचार नहीं किया जाता है। मैं तो जयपुर नगर के लिए आपसे बात करता हूं। आज जब से, इस जयपुर का दुर्भाग्य कहूं या यों कहूं कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी की प्रतिष्ठा के कारण यह प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हुआ, मैं यह कहूंगा उस आन्दोलन के पश्चात् न्यायालय या न्याय का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। कई बार यह कहा गया कि कोर्ट रूम्स में क्लाइन्ट्स के बैठने की जगह नहीं है. वकीलों के बैठने की जगह नहीं है. मूत्रालय नहीं हैं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, और भी पचासों बातें ऐसी हैं जो आपके नोटिस में लाई गई लेकिन आप क्यों उनकी ओर ध्यान देने लगे। आपने सोचा कि न्यायालय नाम की कोई वस्तु नहीं है, हमें तो योजना पर खर्च करना है, १० लाख रुपये खादी बोर्ड को ज्यादा देने हैं, पंचायतों और कोऑपरेटिव्ज़ में पार्टी बेसिस पर बहुत कुछ खर्च करना है, यह रुपया वहां चलाने की आवश्यकता है, यहां पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं है........

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : आप सुना किसको रहे हैं, वे लोग तो बातों में लग रहे हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह तो मैं जानता हूं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वह उन व्यक्तियों के सामने कह रहा हूं कि जिनके ध्यान में ये सारी बातें हैं लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो इस बात का है कि जो जानते हुए भी अनजान हैं, जो देखते हुए भी अंधे हैं, जो ज्ञानवान होते हुए भी अज्ञान का आचरण करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के सामने अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए कह रहा हूं। यह मैं जानता हूं कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपना उत्तरदायित्व समझता हूं कि इन बहरे कानों तक कोई न कोई बात पहुंचा सकूं और इसके लिए मैं यत्नशील रहूंगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये हालात हैं। एग्ज़ीक्यूटिव और जुडिशियरी का सेपरेशन कर दिया, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि प्रोसीक्यूशन ब्रांच के बारे में आपने क्या सोचा ? मुकद्दमें चलाने का सवाल होता है तो इन्वेस्टिगेशन प्रोपरली होता है या इम्प्रोपर होता है, इसमें अमुक कानूनी खामी के कारण चालान पेश होना चाहिए या नहीं, इसको देखने वाला नहीं। यदि राज्य सरकार चाहती है तो एग्ज़ीक्यूटिव के पूरे तबके पर अपना प्रभाव रखती है उनको प्रोसीक्यूशन और ओपीनियन का काम दे सकती है। यह क्या आपने सेपरेशन किया ? आप एक अंग पर अपना पूरा अधिकार रखते हैं और दूसरे अंग के बारे में विचार नहीं रखते, तो मैं कहना चाहता हूं कि यह फार्स

(श्री दुर्गालाल बाढ़बार)

है, ढोंग है और मैं यहां तक कहने को तैयार हूं कि यह आपकी सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है। मैं कहूंगा कि दूसरी जो समस्याएं हैं उन पर भी आपको विचार करना चाहिए, प्रोसीक्यूशन की ओर भी ध्यान देना चाहिए।

वेतन स्तर के बारे में सोचते हुं, वहां मैं कहूंगा कि जब कर्मचारियों के वेतन का प्रश्न आता है तो प्रश्न का उत्तर एक मात्र यह दे देते हैं कि राज्य सरकार के सामने योजना में भारी खर्चा होता है और योजना पर बहुत सा व्यय करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते। यह कोई छिपी हुई आवाज नहीं है बल्कि आपको सेक्रेटेरियट में ऐसा देखने में आया होगा कि सुबह शाम लोग रामधुन करते हैं। नियंत्रित रहने वाले व्यक्ति सहनशील व्यक्ति कितने ही दमन के पश्चात् कानून की अवहेलना नहीं करने वाले व्यक्ति, जिनके आधार पर आपकी मिनिस्ट्री चलती है, जिनके बल पर आपका सेक्रेटेरियट चलता है, जिनके द्वारा, जिनके आधार पर आपका सारा काम चलता है, उन व्यक्तियों के बारे भी आपने सोचने की कोशिश नहीं की है। वे कहते हैं कि और कुछ नहीं हो सकता तो सब को सम्मति दे भगवान्, आपकी लोगों को सम्मति दे भगवान; यह नारा आपके प्रति उनके द्वारा निकलता है। आप कह देते हैं कि हमने तनख्वाह में ५) रु० बढ़ा दिये, बहुत अच्छा, वे बेचारे आपके आभारी हैं। मुझे सूचना मिली है कि राजस्थान के वित्त मंत्री बालकृष्णजी कौल, से उनके प्रतिनिधि मिलने की कोशिश करने लगे, उस पर उनको उत्तर मिल गया कि हम तो तुमको यही पैसा देंगे, तुमको यहां रहना है तो रहो और अगर दूसरी नौकरी मिलती हो तो वहां चले जाओ। अरे भाइयो ! सोचो जरा। मालिक और नौकर का बाप-बेटे का संबंध होता है। आज छोटे छोटे कर्मचारियों के प्रति आप यह भावना रखते हैं कि हम इतना ही पैसा देंगे, रहना हो तो रहो, नहीं तो चले जाओ। क्या यह सही माने में बाप-बेटे का सा सद्–व्यवहार है ? क्या कोई भी धर्मशास्त्र इस बात को सहमति देने को तैयार हो सकता है ? मैं उनको भड़काने वाली बात नहीं कहना चाहता। मैं स्वयं न्याय और नियम में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूं और उसी आधार पर कहना चाहता हूं कि जब ऐसी गहन समस्या आती है तो उन पर गहराई से सोच-विचार करके कोई हल निकालने की कोशिश करनी चाहिये।

आप मंहगाई बढ़ने की बात कर रहे हैं, उनकी मांग यह नहीं है कि केवल रुपया ही बढ़ाया जाय। आप बढ़ती हुई मंहगाई पर नियंत्रण नहीं कर सकते। या तो आप मंहगाई पर नियंत्रण कर दीजिये या इस प्रकार की व्यवस्था कर दीजिये कि उनके जीवन की आवश्यकताओं का सम्पूर्ण रूप से पूरी करने का जिम्मा सरकार ले ले। यदि कोई कर्मचारी बीमार हो जाता है तो क्या इतने बेड्स आपके पास हैं कि सबको मिल जाएंगे ? क्या आप उनके छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था कर सकते हैं जब कि आपकी स्कूलों को एक एक क्लास में ६०-६० लड़के हैं ? मैं कहता हूं कि मास्टर

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

उनके नाम तक याद नहीं रख सकते तो उनके चरित्र, आदत और स्वभाव के बारे में कैसे ज्ञान रख सकते हैं ? उनके बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था आप नहीं कर सकते, आप उनका पेट नहीं भर सकते, वे बीमार हो गये तो उनके इलाज का साधन कहां से होगा ? हम कहते हैं कि उनको पैसा मत दीजिये, लेकिन यह व्यवस्था करिये कि उनको खाने को मिल जाय, बच्चों को पढ़ाने का साधन मिल जाय, पहिनने को वस्त्र मिल जाय तो हम आपके राज्य की सही माने में प्रशंसा कर सकते हैं। लेकिन आज इन बातों पर कोई विचार करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, उच्चाधिकारी इस प्रकार का साफ जवाब देते हैं कि हम तुमको कुछ भी देने को तैयार नहीं हैं, जाना हो जाकर दूसरी नौकरी करलो। उनको इस प्रकार का उत्तर मिलता है। यह महत्वपूर्ण और गहन प्रश्न है राज्य सरकार के सामने, जिस पर गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिये।

तीसरी बात, स्थानीय समस्याओं के के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और याचना करूंगा कि आप उनकी ओर ध्यान दें। जनता की कठिनाइयों को आपके सामने रखना अपना कर्त्तव्य समझता हूं। उनका निराकरण होगा या नहीं, यह भविष्य के गर्भ की बात है। विश्वास आप में मुझे कम होता है। यदि आश्वासन आप दे भी दें तो भी उनको पूरा कर सकेंगे या नहीं, इसमें मुझे संदेह है। लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि आप सन् ५० के बाद इस जयपुर शहर की स्थिति के बारे में विचार कीजिये। इस जयपुर के लिए आपने टाउन इम्प्रूवमेन्ट की बहुत सी योजनाएं बनाई हैं, बहुत सी बस्तियों का निर्माण किया है, बहुत से प्लॉट अलॉट किये हैं। योजनाएं बनाते समय यह सोचा था कि सड़कों का भी प्रावधान होगा, बिजली और पानी का का भी प्रबन्ध कर दिया जायगा लेकिन आप विचार करें, मुझे काबलियत की तारीफ करनी पड़ती है – या तो आपके जितने पढ़े–लिखे विद्वान् हैं वे केवल पढ़े-लिखे हैं, लेकिन उनको प्रेक्टिकल एक्सपीरियेन्स नहीं है, उसके अभाव में २२५ साल पहले जिन्होंने जयपुर शहर बसाया था उन्होंने ऐसी व्यवस्था रखी थी कि चाहे मूसलाधार पानी बरस जाय पानी की एक बूंद भी जयपुर की सड़कों पर नहीं दिखाई देगी। इस प्रकार की ड्रेनेज २५० साल पहले पढ़े हुए इंजीनियर्स ने की थी। आज बड़े बड़े इंजीनियरों ने ये बस्तियां बसाई हैं, आप आदर्श नगर और तिलक नगर में चले जाइये, मोटर से जाकर देखिये, आपकी मोटर कीचड़ के अंदर फंस जायगी और आपको कादे (कीचड) के अंदर होकर जाना पड़ेगा। ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था आप सुचारु रूप से नहीं कर सके, गटर लाइन की व्यवस्था आप ठीक नहीं कर सके। मैं यह ईर्ष्या की दृष्टि से नहीं कहता किन्तु इस राजस्थान में क्या दूसरे ऐसे नगर नहीं हैं जिनमें पिछले दस सालों में लाखों और करोड़ों रुपया बाहर से अनुदान के रूप में लाकर और इस सरकार के खजाने से लेकर व्यय करके उन नगरों को चमन बनाने की कोशिश की है ? फिर

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

कौनसा अन्याय हो गया है इस जयपुर नगर का आपके प्रति कि इस पर आप दो रुपये भी खर्च नहीं करना चाहते हैं ? जयपुर की बस्तियों में आप मेरे साथ घूम कर देखिये । वहां आपको बिजली की बत्तियां बन्द नजर आयेंगी और रियासत के जमाने के महाराजा रामसिंहजी द्वारा लगाये हुए नल थे उनमें से बहुत सी जगह के नल बन्द कर दिये गये हैं । चांदपोल में सैकड़ों व्यापारी और गांव के किसान गल्ला बेचने आते हैं, लेकिन वहां पर एक भी पब्लिक टेप नहीं है, वहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं । और जो पीने के पानी की व्यवस्था है वह इस प्रकार की है कि ग्यारह बजे के बाद वे नल बन्द हो जायेंगे । अब वे लोग पानी पीने के लिए कहाँ जायेंगे ? कूओं पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं है । आपके राज्य के अन्दर जहां पीने के पानी के मिलने पर भी नियंत्रण हो और जहां पीने के लिए पानी भी इन्सान को नहीं मिले वहां फिर आप हमसे कैसे आशा करते हैं कि आपके धन्यवाद के प्रस्ताव के ऊपर हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करें...

एक माननीय सदस्य : बाहर जनता चिल्ला रही है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं एक चीज और महत्वपूर्ण आपके सामने इस नगर के सिलसिले में बतलाना चाहता हूं । यहां की पॉपूलेशन, जिसके ऊपर हमारे नेता भी बहुत कुछ कह चुके हैं, के विषय में मैं विशेष रूप से नहीं कहना चाहता हूं । लेकिन यह बात सही है कि पॉपूलेशन बढ़ रही है । इस बढ़ती हुई पॉपूलेशन के साथ साथ आपको यह भी व्यवस्था करनी चाहिए कि रहने के लिए मकान के लिए भूमि देने की व्यवस्था हो जाय । लेकिन राज्य सरकार ने कुछ ऐसी नीति बना रखी है यहां की नगरपालिका के साथ...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : पॉपूलेशन में आपका योगदान कितना है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्षमा कीजिये, किसी के मुकाबले में कम नहीं रहूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : जिस चीज को आप कन्डेम कर रहे हैं उसमें आपका कितना योगदान है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं अपने अनुभव के आधार पर दूसरों को सुझाव दे रहा हूं कि ऐसी गलती न करें ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : यह गलती मत करना ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पॉपूलेशन की समस्या...

श्री भैरोंसिंह : बारह में कितने कम हैं, वह बता दें ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : पौन दर्जन तो समझ लीजिये ।

मेरा निवेदन करना यह था, राज्य सरकार द्वारा यह व्यवस्था करना कहां तक उचित है कि नगरपालिकाओं को जमीन बेचने का कोई अधिकार नहीं है । आप

Page No 89

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

विचार करके देखिये, एक ओर इन्सान को रहने के लिए जमीन चाहिए, दूसरी ओर राज्य सरकार इस प्रकार की पाबन्दी लगाती है कि नगरपालिकायें जमीन नहीं बेच सकतीं और उन नियमों में आप ज्यादा से ज्यादा कई प्रकार की तरमीमें और तब्दीली करना चाहते हैं तो शौक से कर सकते हैं। इतना आप कह सकते हैं कि मर्जी के मुताबिक अलॉटमेंट नहीं किये जायं, उसके बजाय नीलाम किये जायं या और कोई व्यवस्था की जाय। जितना आप उसमें प्रिकॉशन लेना चाहते हों वह ले सकते हैं-इसमें हमें आपसे कोई विरोध नहीं है; लेकिन हम निवेदन करना चाहते हैं, यह कौनसा न्याय है कि एक तरफ इन्सान को रहने के लिए जमीन चाहिए और आप दूसरी तरफ इस प्रकार की पाबन्दी लगाते हैं कि नगरपालिकाओं को जमीन देने का अधिकार नहीं है ? आखिर इन्सान जाये तो कहां जाये ? यह किस कारण से हुआ ? यह इस कारण से हुआ कि हजारों गज जमीन राज्य सरकार की है जिसके ऊपर एन्क्रोचमेंट हो गया है, जिस पर नाजायज़ कब्जा हो गया है, जिस पर मकान नाजायज़ रूप से बन गये हैं, लेकिन राज्य सरकार को उसका पता नहीं है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि राज्य सरकार की बिल्डिंग्ज़ तक पर नाजायज कब्जा कर लिया गया है और जिसकी ओर आपका, आपके अधिकारियों का ध्यान नहीं है, आपके कर्मचारियों का ध्यान नहीं है। इसके मैं कॉन्क्रीट इन्स्टान्सेज़ दे सकता हूं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। हमें तो यह सोचना पड़ेगा कि यह सबसे बढ़िया पोल का जमाना है, ऐसी बेवकूफ सरकार कब हाथों में आयेगी, जिस पर चाहो कब्जा कर लो, कोई पूछने वाला नहीं है। यह स्थिति क्यों हुई ? अगर यह आपकी काबलियत में आती है तो हम मानने के लिए तैयार हैं। मेरा निवेदन करना यह है कि ऐसी बहुत सी स्थानीय समस्यायें हैं, सारे राज्य-व्यापी बहुत सी समस्यायें हैं। इन समस्याओं पर सही मायने में विचार करते तो आज विचार करने की जरूरत नहीं होती। अगर इस पर ध्यान देने का प्रयत्न करते तो सम्भव है कि ये प्रश्न यहां आपके सामने नहीं उठते। इस पर आप स्वयं विचार कर सकते हैं...

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, यह 'बेबकूफ' शब्द कहा है यह अनपार्लियामेंट्री है। इसे निकाल देना चाहिए।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : 'अनपार्लियामेन्ट्री' और 'पार्लियामेन्ट्री' इन्टेन्शन पर डिपेन्ड करता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : वैधानिक या अवैधानिक ?

श्री दुर्गालाल बाड़दार : मैं उसके लिए ही निवेदन करना चाहता हूं। शब्द के अर्थ निकालने के तीन तरीके हैं-अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये तीन दृष्टिकोण हैं। मैं इसे एक्स्प्लेन करना चाहता हूं, देखिये-रेश एण्ड नेग्लीजेन्ट ड्राइविंग-लॉ में एक जगह यूज़ किया गया है...

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने ठीक यूज़ किया बिल्कुल !

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : ठीक कहा है तभी सुन रहे हैं। इसीलिए सुन रहे हैं कि ठीक कहा है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : Don't be impatient.

I shall explain.

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : थोड़ा सा दो-तीन विषयों के सम्बन्ध में कहने के बाद मैं अपनी स्पीच को कन्क्लूड करने की चेष्टा करूंगा।

योजनाओं का जहां तक प्रश्न है, सैद्धान्तिक रूप से उनका विरोध करने या उनसे सहमत होने के प्रश्न को न लेकर मैं यह बताना चाहता हूं कि योजनाबद्ध कार्य के द्वारा कार्य करने में हमारे राज्य ने सम्भवतः यह भावना रखी थी कि इन योजनाओं से देश में प्रगति होगी और इस प्रगति के द्वारा जब कभी भी हम उन्नति करेंगे तो इनका आउट-पुट जो हमको मिलेगा उस आउट-पुट के द्वारा हम उन्नति के मार्ग पर चल पायेंगे। लेकिन जिस मायने में और जिस रूप में योजनाओं को लेकर चले, उनसे जो आउट-पुट हुआ, उसके विषय में मैं छोटी सी बात, क्योंकि समय का अभाव है, उस रूप में अर्ज करना चाहता हूं। सरकार ने बिजली-वितरण के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया और बिजली के उत्पादन के विषय में वह आश्वासन दिलाया गया था कि जब यह बिजली तैयार हो जायगी तो सम्भवतः जनता को सस्ती बिजली मिलेगी। लेकिन जब आंकड़े और हिसाब लेकर बैठे तो इस नतीजे पर पहुंचे कि उत्पादन करने में इतना खर्च हो गया, जो आयोग बनाया, इसके अधिकारियों की तनख्वाह पर इतना खर्च हो गया, दूसरे कार्यों के ऊपर इतना खर्च हो गया कि सस्ती बिजली मिलने के बजाय मंहगी बिजली हो गई। मैं कहना चाहता हूं कि बिजली, पॉवर उत्पादन की योजनायें बढ़ाते रहिये लेकिन यह सोच कर चलियेगा, देखिये, सिंचाई के लिए छोटे छोटे बांध, छोटे छोटे साधन, छोटी छोटी नदियां पहले भी राज्यों में चली आ रहीं थीं, लेकिन उनको आज सम्भालने वाला कोई नहीं है। वे फूटते चले जा रहे हैं। जो नहर बीस साल पहले की बनी हुई है उसके ऊपर एक पैसा भी खर्च नहीं किया है, जो छोटी छोटी योजनायें हैं जिनका आउट-पुट सस्ता से सस्ता मिल सकता था उनके ऊपर विचार नहीं किया और करोड़ों रुपया देश की इन बड़ी बड़ी योजनाओं पर खर्च किया। उन योजनाओं का परिणाम निकालते हैं कि पांच साल के बाद आशा करते हैं कि उससे उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन छठे साल रिपोर्ट मिलती है कि वह बांध टूट गया। सातवीं साल यह रिपोर्ट मिलती है कि उसमें पानी ज्यादा आ गया इसलिए बिजली नहीं मिल सकती। क्या करें ? इस तरह की योजनाओं पर किस तरह विचार करके चलते हैं। अगर आप उनकी जगह छोटे छोटे बांध बनवाते तो उनमें खर्च भी कम होता और आउट-पुट भी जल्दी मिल जाता और ये सब दिक्कतें नहीं आतीं। मैं कहना चाहता हूं कि आपका मोस्ट अम्प्लान्ड प्लानिंग है। मैं इसका अक्षरशः विरोध करता हूं और इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इन बड़ी बड़ी योजनाओं को बनाने के

(श्री दुर्गालाल वाढ़दार)

साथ यह मत भूलिये कि ये छोटे छोटे काम करते चले जायेंगे तो उनसे आउट-पुट जल्दी मिलता जायगा और जिससे प्रगति के रास्ते पर बढ़ते जायेंगे और देश की तरक्की होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास !

मैं स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से यहां पहले रिवाज रहा है, संशोधनों का तारतम्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हो रहे वाद-विवाद में नहीं रखा जायगा और पार्टियां का जो समय निश्चित है उसी प्रकार से पार्टियां अपना अपना समय लेंगी। इसमें संशोधनों के तारतम्य का प्रश्न नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास।

(श्री मुरलीधर व्यास भाषण देने के लिए खड़े हुए)

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : यह पहले हो जाता तो काम ठीक चलता।

(४.०० म. प.)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत है उस पर जब मैं सोचता हूं तो सबसे पहले इस धन्यवाद के प्रस्ताव पर नजर डालने के साथ साथ राज्य की जनता की तरफ नजर डालता हूं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि सारे राज्य में चारों ओर बड़ा भारी हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ अनाज की मंहगाई है और दूसरी तरफ विधान सभा के चारों तरफ बाहर हजारों कर्मचारी मंहगाई के लिये अपनी आवाज को बुलन्द कर रहे हैं। उधर से रिक्शावाहक जिनको रोजी-रोटी नहीं मिल रही है और दूसरी तरफ जो उनके मालिक हैं उनका शोषण कर रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तीसरी तरफ राज्य की जो मूलभूत समस्या है उस पर राज्यपाल महोदय ने कोई ध्यान दिया हो, ऐसी बात नजर नहीं आती। आज हमारे सामने कोई सब से बड़ी समस्या है तो वह अनाज की है और यह अनाज की समस्या एक ज्वलन्त समस्या हमारे सामने है। लेकिन हम देखते हैं कि राज्यपाल महोदय के भाषण में योजनाओं का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या टार्गेट किया और चौथी पंच वर्षीय योजना में क्या करने जा रहे हैं, परन्तु इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि आज राज्य की जो स्थिति है, लोग मंहगाई से परेशान हैं उनको हल करने के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है। इस सम्बन्ध में आगे सरकार की क्या नीति है, मैं कहूंगा कि जहां जनता की मूलभूत समस्या पर सरकार की कोई बात नहीं हो और फिर धन्यवाद के लिए प्रस्ताव रखा जावे तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है और मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव पर कोई भी विरोधी दल की तरफ से समर्थन नहीं करते हैं। सरकार उसका समर्थन करती है। उनके पक्ष की तरफ से तो इसका समर्थन करना ही है। विरोधी पक्ष में से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इसका समर्थन करेगा।

(श्री मुरलीधर व्यास)

दूसरी बात हमारे यहां पर चुनावों के सिलसिले में बहुत विरुद्ध बातें कही गई, परन्तु गवर्नर के भाषण में राज्यपाल महोदय ने पंचायतों के चुनावों के सम्बन्ध में कोई शब्द नहीं कहा। आज हमारे राज्य में सबसे पहले विकेन्द्रीकरण प्रारम्भ किया गया। चुनाव हुए, इन चुनावों में किस प्रकार की बातें हुईं उसके बारे में मेरे से पूर्व वक्ता ने उल्लेख किया है और चूंकि उनका उल्लेख हो चुका है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि लोकतन्त्र, जो हमारे समाजवाद की बुनियाद है, अगर उस लोकतन्त्र की जड़ में कोई आघात होता है तो समाजवाद कैसे पनप सकता है? गवर्नर महोदय ने कहा है कि हमारा समाजवाद प्राप्त करने का लक्ष्य है। मगर मैं यह कहूंगा कि जहां लोकतन्त्र की जड़ों पर ही प्रहार होता है तो वह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आपने पंचायतों के चुनाव कराये, मगर पंचायतों के चुनावों में आपने डी. आई. आर. में बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया, आपने चाहे उन्हें किसी प्रकार से गिरफ्तार किया हो, आपने मोडसिंहजी को गिरफ्तार किया। अगर आप उनको गिरफ्तार नहीं करते तो सिर्फ उनकी वजह से चूरू के चुनावों पर उनकी वजह से कांग्रेस पर बुरा असर होता। इसी तरह से मोहनलाल सारस्वत को भी गिरफ्तार किया जो गरीबों के लिये रोटी और रोजी को लेकर, कुम्भारामजी ने लाखों का घोटाला किया और जहां अनाज की समस्या को लेकर चिल्लाता रहा और वहां कुम्भारामजी को या आनेवाले मंत्री को काले झन्डे दिखाये तो कोई जुर्म नहीं किया, उन्होंने अपना राजनैतिक कार्य पूरा किया। तो मैं यह कहूंगा कि पंचायतों के चुनावों का जो रवैया सरकार ने रखा है वह बुरा रहा है। और इसमें लोगों पर बहुत जुल्म हुए हैं।

श्योपतसिंह को आपने गिरफ्तार किया। श्योपतसिंह बुरी तरह से कुम्भारामजी को परास्त करता। उसको गिरफ्तार किया। आपने चुनावों के सिलसिले में डी.आई. आर. की आड़ लेकर लोगों को गिरफ्तार किया और उनको छोड़ा नहीं।

(व्यवधान)

आपने उनको छोड़ा नहीं और जेल के सीखचों में बन्द रखा और आप फिर कहते हैं कि हमने अच्छी तरह से चुनाव कराये। मैं यह कहूंगा कि पंचायतों के चुनाव हुए वे लोकतन्त्र की हत्या करके कराये गये और दूसरी परिस्थितियों का लाभ उठा कर चुनाव किये गये हैं ओर यह बहुत बुरा हुआ है। इसके अलावा दूसरी ओर आपको इससे सबक भी लेना चाहिये कि हमारे यहां डाइरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इसमें बहुत थोड़े लोगों को वोट देने का अधिकार होता है। इसके अलावा वे शक्तिशाली लोग और दूसरे लोग जिनके पास धन है, एक जगह लोगों को बन्द करके रख लेते हैं और उनके वोट उनको बन्द करके हांसिल कर लेते हैं। इस प्रकार की कार्यवाहियों से जो परिणाम निकलते हैं उससे हमको सबक सीखना चाहिये और चुनावों के तरीकों में भी आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिये। इसके लिये मैं यह कहूंगा कि एम. एल. ए. और एम. पी. और

(श्री मुरलीधर व्यास)

पंचायतों के चुनाव एक साथ ही होने चाहिये जिससे न तो लोगों का ज्यादा धन खर्च हो और जो लोग पैसे के बल पर चुनावों में कामयाब होते हैं उनको सफलता न मिले। मैं यह कहूंगा कि मौजूदा जो पंचायतों के चुनावों की प्रणाली है वह खराब है और इसमें सुधार होना चाहिये। मौजूदा प्रणाली है इससे न तो समाजवाद ही पनपेगा न लोकतन्त्र ही पनपेगा।

अब मैं दूसरे मुद्दे पर आना चाहता हूं मैं समझता हूं कि अगर किसी अच्छी हुकूमत पर जिम्मेदारी होती है तो वह यह कि सबसे पहले यह देखा जाए कि वहां किस प्रकार से न्याय और व्यवस्था रहती है? वहां सुरक्षा लोगों की किस तरह से होती है ?

हमने देखा है कि गवर्नर के भाषण में जो दिया गया है उसमें लिखा है कि हमारे यहां विधि और व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि आप कहते हैं कि गत वर्ष से इस वर्ष स्थिति संतोषजनक रही है वह मैं नहीं समझता कि आप किस आधार पर उसको तोलते हैं। मेरे पास में राष्ट्रदूत पत्र है। उसमें लिखा है कि राजस्थान में अपराधों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। ये बयान श्री संतरामजी के हैं। राजस्थान पुलिस की अपराध-शाखा के उप-महानिरीक्षक का बयान है उसमें उन्होंने कहा है कि राज्य में अपराधों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। सन् ६३ में राज्य में विभिन्न अपराधों से सम्बन्धित २७,५०२ मामले दर्ज किए गए, जब कि १९६४ में २९,९६५ मामले दर्ज हुए। इस प्रकार अपराधों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, वे इस प्रकार से कहते है। जब सन् ६३ में अपराधों की संख्या २७,००० थी और अब सन् ६४ में ३०,००० हो गई तो निस्सन्देह अपराधों की संख्या ३ हजार बढ़ी ही है। इसमें चोरियां, गबन, हत्याएं, धोखादेही की संख्या बढ़ी है और संपत्ति विषयक अन्य अपराधों की संख्या भी लगातार बढ़ी है। इससे स्पष्ट है कि अपहरण, हत्याएं, चोरियां और लूट की संख्या गत वर्ष से बढ़ी है और हमारे गवर्नर महोदय यह सर्टिफिकेट दे दें कि अब गत वर्ष से स्थिति संतोषजनक रही तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बुरा रिमार्क है। यह सूचना अखबार में आज से ७ दिन पहले ही छपी है और दूसरी ओर हमारे गवर्नर का यह रिमार्क है तो अखबार में जो छपवाया गया है वह झूठ और गुमराह करने के लिये समाचार दिया गया है।

इसके अतिरिक्त मैं विधि और व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा की जो हालत है उस पर प्रकाश डालना चाहूंगा। १२.१२.६४ को आवा गांव में डाकू, जिनके नाम हैं रघुनाथ विश्नोई और दूसरे का नाम है रावतखां, इन दोनों डाकुओं ने बकायदा इन गांव के लोगों को पत्र दिया। वे पत्र देते हैं और पत्र में कहते हैं कि तुम्हारे यहां डाका डालेंगे। एक दफा पहले पत्र देते हैं और फिर दूसरा पत्र देते हैं जिसमें वे चैलेंज के साथ लिखते हैं कि कांग्रेस की सारी हुकूमत का जोर लगा कर देख लें डाका नहीं रुक सकता, इसके बाद डाका हुआ और इस पत्र के बाद में वे

(श्री मुरलीधर व्यास)

डाका डाल जाते हैं और उस हल्के में होता क्या है? इस डाके में वहां पर मोतीलाल आत्मज खीयाराम मेघवाल और दूसरा काछुराम आत्मज गुणेशराम और दूसरा एक १३ साल का बालक जिसका नाम है मांगूराम, इन तीनों के नाक, कान काट लिये जाते हैं, भुजाएं काट ली जाती है और चैलेंज देकर डाका डाला जाता है। इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और जनता परेशान और भयभीत होती है। उन गरीबों के नाक, कान और भुजाएं काट ली जाती हैं। मैं वह कहना चाहता हूं कि यह उन गरीब मेघवालों की नाक-कान नहीं कटी, यह राजस्थान के गृहमन्त्री, मोहनलाल सुखाडिया की नाक कान कटी है। मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार की जो यह घटना हुई है ऐसी घटना इतिहास में कहीं भी आपको और नजर नहीं आएगी।

आप कहते हैं कि हमारी शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है, हम जनता की सुरक्षा करते हैं, यही है आपका सुरक्षा रखने का तरीका! सीमा पर जनता असुरक्षित है। एक साथी ने कहा कि वहां रहने वाले गरीबों की मां-बहिनों का धर्म बदला जाता है, उनके चरित्र भ्रष्ट किये जाते हैं। इसके बावजूद भी आप कहते है कि हमारा शासन बहुत अच्छा है, हम जनता की सुरक्षा करते हैं। मुख्य मन्त्री जो कि गृह मन्त्री हैं उनमें अगर जरा भी लाज है तो मैं कहता हूं कि हमारे गृह मन्त्री को इस बात पर त्याग-पत्र दे देना-चाहिए, यह कोई छोटी बात नहीं बहुत वड़ी बात हुई है, इस बात को लेकर त्याग पत्र दे देना चाहिये।

दूसरा, मैं यह बताना चाहता हूं कि इस पुलिस राज्य में क्या हो रहा है? यह एक पत्र है जो सब एम. एल. एज़. के नाम आया है, जो जोधपुर के एस. पी. गुप्ता, के सिलसिले में है कि उन्होंने कितने गांवों में जाकर कितनी महिलाओं का अपहरण किया है, कितनों की इज्जत पर डाका डाला है, इसमें नाम लिख कर तारीख-वाइज़ बताया है कि किस तरह किस किस ढाणी में, किस किस तारीख की किन किन महिलाओं को थाने में बुला कर उनकी इज्जत का अपहरण किया गया है। मैं पढ़कर सुनाता हूं। उसकी तारीखें बताई हैं, ६-२-६४ को बदफेली की है, एक नहीं दो नहीं, नाम दे दे कर किसी कुम्हार, किसी जाट, सब तरह के लोगों के यहां जाकर इस प्रकार के काम किये। इतने काम करने के बाद भी वह एस. पी. के पद पर बैठा है। एक माया नाम की महिला का यह पत्र मेरे पास है, जिसने गवर्नर को पत्र लिखा है कि आप मेरे पिता हैं, गवर्नर ने जो जवाब दिया है, सम्पूर्णानन्दजी ने जो जवाब लिखा है वह भी इसमें है, श्री गुलजारी-लाल नन्दा को पत्र लिखा है कि हमारे साथ क्या क्या किया एस. पी. ने। रात को एक महिला को थाने में बुलाया, आप कहेंगे जायज़ है, मैं कहता हूं कि इससे बढ़ कर अन्याय और कोई नहीं कि एक महिला को रात को थाने में बुलाया जाय। इतना बड़ा अन्याय करने के बाद भी वह एस. पी. की कुर्सी पर बैठा हुआ है। मुख्य मन्त्री और गवर्नर को पत्र दिया, एक पत्र गृह

(श्री मुरलीधर व्यास)

मंत्री श्री नंदा को भेजा है। २६ जनवरी को वहां से जवाब लिखा है वह इसमें है। लिखा है, "महोदया, मुख्य मंत्री से सम्बन्धित इस पत्र की १० जनवरी की प्रति केन्द्रीय गृह मंत्री के नाम से प्राप्त हुई, वह उन्हीं से सम्बन्धित है अतः उन्हीं को प्रेषित की जाती है, कृपया उन्हीं से पत्र व्यवहार करें।

गवर्नरजी ने लड़की को जो पत्र लिखा वह भी मौजूद है।

एक महिला, जिसकी यह सरकार सुरक्षा नहीं कर सकी, वह ऊपर तक चली जाय और उसका कोई नतीजा नहीं निकले तो फिर उसकी कौन सुरक्षा करेगा ? यह बुनियादी मसला है. इसको हल नहीं कर सके, आप नाकामयाब हो चुके हैं।

दूसरी ओर अनाज का मामला है। हर आदमी राजस्थान में अनाज के मामले को लेकर आवाज उठाता है। इस मसले को लेकर रतनगढ़ में लोगों ने काले झंडे दिखाये, मैं मुख्य मंत्रीजी के पास गया, मैंने खुद ने देखा है जो पुलिस ने जुल्म ढाये। आम सभा में भाषण होता है। एक तरफ से पुलिस की लारी आती है, पुलिस वालों के हाथ में डंडे होते हैं, दूसरी सड़क से पुलिस की लारी आती है, पुलिस के हाथ में डंडे होते हैं, दोनों तरफ से जनता को घेर कर पुलिस लाठी चलाती है। लोगों के लाठियों से सर फूटते हैं, लोगों के सिर में टांके लगे हैं। मुख्य मंत्री को कहा जाता है तो मुख्य मंत्री पर कोई असर नहीं होता, जैसे उनके कान कटे, इनके कान जैसे बन्द हो गये। इन्हें कोई परवाह ही नहीं। इतने दिनों के बाद भी कुछ नहीं करते। अगर आपका राज्य, नियम का राज्य है, मैं झूठ नहीं कहना चाहता, रतनगढ़ में गिरफ्तारी के बाद में कुछ छात्रों ने पत्थर फेंके, एस. डी. एम. के घर को घेरा भी पर ११–१२ साल के स्कूल के बच्चे थे, दूसरे गिरफ्तार हो चुके थे। नरेन्द्रपाल चौधरी राजस्थान प्रान्तीय संसोपा पार्टी के मंत्री हैं, एस. डी. एम. के यहाँ से जब आते हैं तो पुलिस के आदमी डंडे लेकर जाते हैं, हम दोनों खड़े रहे, आते ही पुलिसवाले नरेन्द्रपालसिंह के कन्धेपर डंडा मारते हैं। मैं पूछता हूं वहां कौनसा मजिस्ट्रेट था जिसने हुक्म दिया, पर बिना किसी हुक्म के डंडा मारा। आप इन्कार कर सकते हैं। जहां न किसी प्रकार का मजिस्ट्रेट का हुक्म, जहां पुलिस का राज्य चले, मन मानें ढंग से लाठी चार्ज हो जाय, कोई देख–रेख नहीं तो कौन न्याय करेगा ?

जैसा कि विरोधी पक्ष के नेता ने कहा सत्ताधारी दल विरोधी पक्ष की बात नहीं सुनता। गृह मंत्रीजी कहते हैं, कलेक्टर कार्यवाही करेगा इस मामले में। चूरू के कलेक्टर की जांच तो करें किस प्रकार नाच-गानों में बैठते हैं किनके साथ शराब पीते हैं, एस. पी. साथ में बैठता है, साथ में बैठने वाले के खिलाफ कैसे रिपोर्ट करेंगे। कलेक्टर को इतना पॉवर दे दिया है जो वह चाहे सो करे।

मैं मुख्य मंत्रीजी से कहता हूं कि रतनगढ़ में चलें जावें, वहां की ३५ हजार जनता में से दस–पांच आदमी ऐसे निकाल लें, नहीं तो सब यह कहेंगे कि किस प्रकार

(श्री मुरलीधर व्यास)

दोनों तरफ से घेर कर जनता को लाठियों से मारा गया, लोगों के सिर फूटे, कोई मजिस्ट्रेट नहीं था, बिल्कुल घिरी हुई भीड़ पर लाठी चार्ज किया। यह आपका कानून है, यह आपकी सुरक्षा है और यह है शासन की सुव्यवस्था ! और यह कहना पड़ेगा कि यह मोहनलाल सुखाड़िया का राज्य लाठी गोली का राज्य है, यह जनता की सेवा का राज्य नहीं है।

चूरू में एक आदमी गोपाल नाम का लाठी से मारा गया। उस पर डंडा पड़ा और वह बेहोश हो गया, उसको वहाँ से उठा कर दूसरी जगह ले जाया गया, उसका कोई था नहीं, दूसरे दिन वह मर गया। यदि किसी को भेज कर सी. आई. डी. से जाँच कराओ तो पता चलेगा कि आपकी पुलिस ने गोपाल नाम के व्यक्ति को लाठी मार कर मार डाला।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : (मुख्य मंत्री से किसी को बात करते हुए देख कर) आप इनसे बात करते हैं, यही विनाशक है चूरू जिले के।

श्री मुरलीधर व्यास : आपके राज्य में जो जो हो रहा है, डकैतियों के मामलों, दूसरों के मामले में, मैं कहना नहीं चाहता पर आपके राज्य में तस्करियों को पूरा प्रोत्साहन मिल रहा है। आप कहते हैं २०० डाकुओं पर हमला किया, हमने डाकुओं को मार दिया, पर ये डाकू कहां से आये, ये सब आये अव्यवस्था के कारण। आज सारी व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो रही है।

एम. एल. ए. को एस. पी. डंडा मार दे, पर मोहनलाल सारस्वत का भाई जो कभी राजनीति में नहीं रहा, उसको बड़ी बुरी तरह से मारा गया। अस्पताल में से खींच कर लाया गया, आखिर डॉक्टर ने सर्टिफिकेट देकर अस्पताल में भर्ती किया, उसको। मोहनलालजी ने दस-दस ग्यारह-ग्यारह साल के साले, जिनका कोई नहीं, उनको अपने घर पर रख रखा था, उनको भी जेल में बन्द कर दिया गया, इनके परिवार के लोगों को जेल में बन्द किया। इसी को राज्य करना कहते हैं ? करिये, आपका जमाना है। पर वह दिन बहुत जल्दी आयेगा कि इस प्रकार के निर्दयी, जो अमानवीय तरीकों से जनता पर दमन करते हैं, उनको कुर्सियों पर नहीं रहने दिया जायगा, उन्हें जनता निकाल देगी। लॉ एन्ड ऑर्डर के मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं ?

अनाज की, महंगाई की समस्या पर आज इस गवर्नर के भाषण में कौनसी बातें बताई गई हैं ? इस मंहगाई को कम करने के लिये, जनता को अनाज देने के लिये हमारे पास यह व्यवस्था है ! आज लगातार ३ साल से जनता चिल्ला रही है, विधान सभा में स्थगन-प्रस्ताव पेश करके चर्चा हो रही है, पर मंहगाई को रोकने के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया। कहा गया अनाज इक्ट्ठा करेंगे, रकम बता दी कि इतने का अनाज खरीदेंगे पर आज न अनाज है न रकम है, जनता पिसती जा रही है और भविष्य के लिये भी कोई योजना नहीं है।

अगर आप इस प्रकार कुर्सी पर बैठ रहे,

(श्री मुरलीधर व्यास)

हो सकता है कि आपकी कुर्सी बहाल हो, लेकिन नैतिक दृष्टिकोण से, कर्त्तव्य के दृष्टिकोण से आप कुर्सी हार चुके हैं, इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप इतनी भयंकर महंगाई को नहीं रोक सके। गवर्नर साहब कहते हैं कि हम न्यूनतम वेतन लागू कर रहे हैं, यह आप कब से घोषणा कर रहे हैं और कब से लागू कर रहे हैं। इतने से ही काम नहीं चलेगा। इसके साथ साथ आपको समाजवाद के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिकतम वेतन निर्धारित करना पड़ेगा। आज इतनी महंगाई के अन्दर शिक्षक चिल्ला रहे हैं, पढ़ाने वाले, कर्मचारी चिल्ला रहे हैं। आपने घोषणा की कि इतनी महंगाई में, लो तुम्हारे २०-२५ रुपये बढ़ाते हैं? अगर आज सरकार १७ साल के बाद न्यूनतम और अधिकतम वेतन को निर्धारित नहीं कर सकती और उसके अनुपात को निर्धारित नहीं कर सकती, वह सरकार समाजवादी हो नहीं सकती, उसका दावा बिल्कुल गलत है। आपको १:१० का अनुपात करना चाहिए। दूसरे आपको इस अनाज की समस्या के लिए आमूल परिवर्तन करना चाहिए कि जमीन जोतने वालों की है, जो जमीन जोतेगा वह मालिक होगा। यह नहीं कि नाथूरामजी ने जोधपुर के पास १०० बीघा जमीन ले ली और अंगूर की बेल लगा रहे हैं ! पहले मुख्य मंत्री लगाते थे। लोगों को अनाज नहीं मिलता !

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : हमारे बाप-दादों ने जमीन जोती है।

श्री मुरलीधर व्यास : मंत्री की कुर्सी पर बैठकर जब जमीन ले लेते हो तो कहता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मोल ली है। हमारे बाप-दादों ने जमीन जोती है।

श्री मुरलीधर व्यास : किस आधार पर ली है, वह मैं जानता हूँ। आपने बहुत रुपया जमा कर लिया है, वह दो नंबर का पैसा काला पैसा है; अब बतायेंगे कि जमीन के अंदर इतना रुपया लगा है। अब सरकार दो नम्बर के पैसे की जांच कर रही है और आपके पास उसकी कमी नहीं है। चाहे ट्रांसपोर्ट में रह कर, चाहे दूसरी तरह से जो पैसा कमाया, वह चीज सामने आ रही है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि राजस्थान के मंत्री-मंडल में बैठकर अगर कोई मंत्री कहे कि मैं जमीन लेता हूं और जब कि दूसरे लोगों के पास नहीं है ऐसी परिस्थिति में अगर लेता है तो मैं समझता हूं कि उनका पतन है; चाहे एम० एल० ए० हो या और कोई हो। इस जगह पर आने वालों को नया आधार निर्धारित करना पड़ेगा, पद का दुरुपयोग नही करेंगे। मैंने गत समय मुख्य मंत्री के बारे में भी कहा था कि उन्होंने उदयपुर में गुराबाद के पास ली है और दीनूभाई, बसंतखान, मुन्नालाल आर्य, शकुंतला और ७-८ लड़के लडकियों को ग्रो मोर फूड के लिए वहां जमीन दिलवाई, कुछ तो सरकारी मुलाजिम भी रहे हैं....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : पहले भी आप कह चुके हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : पहले का सवाल नहीं है, नीति का सवाल है। आज मुख्य

(श्री मुरलीधर व्यास)

मंत्री के लिए भी कहना चाहता हूं उस जमीन के लिए। वहाँ मैं जाकर आया हूं। रघुनाथपुरा गांव के अंदर जाकर देखा, किसानों से पूछा कि यह जमीन किसकी है ? तो कहा गया कि यह महारानी की है मुख्य मन्त्री की पत्नि की है, मुख्य मन्त्री का कोई नाम नहीं लेता। गुरावाद का पानी उन्हीं की जमीन के आसपास आता है जहां गन्ने कीखेती होती है। एक बीघे के अंदर ढाई हजार का गन्ना पैदा होता है। ३०० बीघा पर मुख्य मन्त्री कम से कम ५-५ लाख की आमदनी कर रहे हैं। यह रुपया किसके पास आता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : मैं इसका जवाब अपने जवाब में दूंगा, लेकिन यहां इतना कहना चाहता हूं कि यह सब निराधार है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं। श्री रामनाथ पोद्दार का फार्म....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर मेरी पत्नी के पास जमीन होती तो उदयपुर में बैठ कर नहीं जोतती ?

श्री मुरलीधर व्यास : इसका फायदा आप और आपकी पत्नी ले रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सरासर गलत है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं प्रमाणित कर सकता हूं, ५-५ लाख सालाना की आमदनी हो, फिर आप कहें कि जमीन जोतने वालों को देंगे ! आज एक महिला कह रही थी कि उसे एक बिस्वा जमीन भी नहीं मिली। मेरी मान्यता है कि जमीन जोतने वाले की हो, जमीन की सीमा निर्धारित हो और उसके साथ ही साथ जिसके पास अनार्थिक जोत है, एक बीघा जमीन या आधा बीघा जमीन, उन लोगों से किसी प्रकार का लगान न लिया जाय। आज अगर आप छोटे लोगों को राहत देना चाहते हैं तो जिनके पास अनार्थिक जोत है वहां पर लगान का कानून माफ होना चाहिए। अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके ऊपर लगान माफ करना पड़ेगा। जमीन जोतने वाले को देनी पड़ेगी, सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी। ये बड़ी बड़ी जमीनें लोगों ने ले रखी हैं, चाहे किसी नाम से मैकैनाइज्ड फार्म या दूसरे इन सब को किसानों को देना पड़ेगा। व्यक्तिगत मुनाफे को हटाना पड़ेगा, बिचोलियों को हटाना पड़ेगा, तब जाकर समाजवाद के रास्ते पर आएंगे। दूसरी बात अनाज की समस्या को हल करना पड़ेगा। जब अनाज किसान के पास से निकलता है तो एक रुपये डेढ़ सेर बिकता है, उसके बाद एक रुपया चार पैसे से ज्यादा कीमत नहीं होनी चाहिए नहीं तो ६०-७० रुपये पाने वाले जी नहीं सकेंगे। अनाज के भाव नियत कर आपको वितरण की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर इस मामले में सरकार की नीति स्पष्ट नहीं आएगी तो याद रखिए कि बहुत जल्दी परिस्थितियां पैदा हो जायेंगी जो आपके लिए अच्छी नहीं होंगी।

आपने कहा योजना के बारे में, तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना....

श्री मोहनलाल सारस्वत : (मुख्य मन्त्री के बाहर चले जाने पर) मुख्य मन्त्री को बुलाइये ।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कहा कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय हो जायगी ४१८ रु० १९७०-७१ के अन्दर । ६५ में कितना है, यह बताया नहीं । ३५५ तो ६१ तक की है । ६१ के भाव में और आज के भाव में बहुत अन्तर हो चुका है । प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ाना है तो आपको मंहगाई और भावों पर नियन्त्रण करना पड़ेगा । भाव बढ़े हुए होंगे तो प्रति व्यक्ति की आय बढ़ेगी नहीं, किन्तु वह तो घटेगी । एक रुपये में दो सेर बाजरा कोई लाता था वह १॥ सेर लायेगा तो आय में भी नुकसान होगा । आपने कहा कि उसके बावजूद आपके भाव बढ़ते रहे । प्रति व्यक्ति आमदनी ६१ के भाव से नहीं बढ़ाई । आय बढ़ाने के लिए कन्ट्रोल करना पड़ेगा ।

दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जो आप यह कहते हैं कि हमारी जो चौथी योजना है उसमें आपने खर्चे का प्रावधान ज्यादा रखा है । यह ४३८ करोड़ रुपया कहां से, किस प्रकार से लायेंगे, इसका कोई उल्लेख नहीं है । राज्य की माली हालत और मंहगाई की जो परिस्थिति है और किससे वसूल करेंगे ? ऐसी हालत में उस गरीब से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर लगा कर करेंगे, गरीब मारा जावेगा । इस पर आपको लक्ष्य करना चाहिये ! नहीं तो मंहगाई का हल नहीं होगा ।

कुछ बातें उद्योगों के सम्बन्ध में कहूँ । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आपको भविष्य में समाजवाद का निर्माण करना है तो आपको पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अन्तर करना पड़ेगा । आजहम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर पर हावी होता जा रहा है । चौथी योजना में ४३८ करोड़ दिखाये हैं तो ४०० करोड़ का खर्चा आकर ८३८ करोड़ की बात कह गये हैं । जो दूसरा खर्चा होगा वह पब्लिक सेक्टर में न होकर प्राइवेट सेक्टर में होगा और उससे ज्यादा खर्चा होने से पब्लिक सेक्टर कमजोर हो जायगा और इससे समाजवाद की योजना पिछड़ जावेगी । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस ओर ख्याल रखें ।

पलाना के लिग्नाइट की बात लगातार कहते जा रहे हैं, लेकिन काम कब शुरू होगा, यह आपने कुछ नहीं कहा । राज्यपाल महोदय अभी भाषण देते हैं तो पुराने भाषणों में जो उन्होंने बातें कहीं हैं वे उनको भूल जाते हैं, उनको देखते ही नहीं, नहीं तो उनका भी उल्लेख आता । पुरानी बातें खड्डे में चली जाती हैं और नई बातें आ जाती हैं । मैं ऐसी सरकार को जिनके राज्य में रोज नयी बात आये कोई योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाली सरकार नहीं कहता, योजनाबद्ध विकास में नीतियां परिवर्तित होती रहें । आप अपने मतलब से नीति बना लें । पहले ढाबरियाजी कहते थे कि बनेड़ा को तहसील बनाया जाय । वहां पर तहसील नहीं बनायी । अब जनता के वोट देने के लिए, पंचायतों में कामयाब होने के लिए बनेड़ा में तहसील बना दी ।

(श्री मुरलीधर व्यास)

अपने अपने मतलब से काम करने से राज्य की तरक्की नहीं होती है। मैं तो यह समझता हूँ कि यह आपका पतन है। यदि आप बनेडा को तहसील उसी समय बनाते तो हम समझते कि आपने जनता की आवाज को सुना है। स्वार्थ के आधार पर नीतियां पतिवर्तित नहीं होती हैं और यदि होती हैं तो मैं कह सकता हूं कि समाजवाद वहां कभी आ नहीं सकता, आप उसे ला नहीं सकते। घोषणाएं जरूर कर सकते हैं। कुछ समय तक जिस भूमि देने के मामले में बार बार परिवर्तन करके कभी जागीरदारों को, कभी राजाओं को प्रलोभन दिया उनको खुश करने के लिए कहा कि इसमें आ जाओ सीमा निर्धारण नही करेंगे, उस कानून को डिले कर दिया और जनता को मार दिया। बसेज़ का राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन उसको बीच में ही छोड़ दिया। उसके साथ साथ यातायात के साधन हैं, जैसा राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि समाज की आर्थिक व्यवस्था ठीक प्रकार से हो, इसलिए यातायात का ठीक प्रबन्ध करना पड़ेगा।

तस्करी होती है और अन्य कई दिक्कतें पैदा होती हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि गुड्स ट्रांस्पोर्ट का माल लाना और ले जाने की व्यवस्था का भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। एक बिचौलिये को हटा कर समाज के लिए दृढ़ता से काम नहीं करते तो समाजवाद नहीं आ सकता। १७ साल से समाजवाद को आपने गड्ढे में डाल दिया। आपकी करतूतों से समाजवाद नहीं आया। पूंजीपतियों, जागीरदारों और बड़े-बड़े राजा-महाराजाओं से समय समय पर सहयोग लेकर आपने अपनी कुर्सियां बनाए रखीं और समाजवाद का काम नहीं हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे राज्यपाल महोदय ने बार बार समाजवाद का अपने भाषण में उल्लेख किया है, उसके पीछे एक ही भावना है। उन्होंने कह दिया है कि समाजवाद नहीं आया है। उन्होंने कई बातें और तरीकों से कही हैं, उससे साफ है कि हम समाजवाद से बहुत दूर हैं। उन्होंने इशारा जरूर किया है, लेकिन सरकार ने आज तक इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया है।

मैं दूसरे मुद्दों पर, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या और कोई, इस समय कुछ नहीं कहना चाहता। मैं नीति सम्बन्धी मामले पर ही कुछ कहना चाहता हूं। समाजवाद को लाने के लिए आपको अपनी नीति में बुनियादी परिवर्तन करना पड़ेगा। और अगर यह नहीं करेंगे तो जनता परेशान होगी और समस्या का समाधान नहीं होगा। आज जो हाहाकार हो रहा है उससे चौगुना हाहाकार होगा और वह हाहाकार आपके इस लोकतन्त्र को नष्ट कर देगा और जिस लोकतन्त्र की बदौलत आप इस गद्दी पर बैठे हो एक दिन वह आवेगा कि आपको इस कुर्सी से हटा कर दूर करेंगे। लोकतन्त्र कहां लाते हैं? आप अपने तरीकों से लोकतन्त्र को बदनाम करके, यदि आपके पीछे आने वाले और कोई तरीका निकालना चाहेंगे तो आप उनके मार्ग को भी कठिन कर देंगे। माथुर साहब, मैंने आपके भाषणों को

(श्री मुरलीधर व्यास)

पढ़ा है। भाषणों से काम नहीं होने वाला है। आपने भाषण, उद्घाटन और चाटन; यह तो अपना धन्धा बना लिया है।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मन्त्री): भाषण तो आप भी देते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : हम देते हैं तो हम कहना चाहते हैं कि एक दिन सरकार हमारी हो जाय तो हमारा पहला हुक्म ही यह होगा कि १ और १० का अन्तर होगा लेकिन यह आप नहीं कर सकते। आप तो नौकरशाही के पीछे पले हुए हैं। आपके पीछे लाल फीताशाही है, बड़े बड़े अफसर हैं। उन्होंने, मैंने पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी में देखा है कि बड़ी बड़ी तनख्वाहें बिना सरकार की अनुमति के ही ले ली हैं। बिना अनुमति के ही प्रमोशन्स ले लिए हैं। १२०० के १५००) और १८००) करा लिये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी में किनको देखा है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की बात यहां बतायी नहीं जाती।

श्री मुरलीधर व्यास : ५७ की रिपोर्ट है और मेरा चैलेन्च है इसको कल स्वीकार कर लेना देख कर।

आज सिंचाई के मामलों में और सामुदायिक विकास योजनाओं के मामले के अन्दर हमें एक नया ट्रेन्ड देना पड़ेगा। हमारा आज प्रति एकड़ उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। जमीन बढ़ा कर प्रोडक्शन हो गया तो उसको सामुदायिक विकास योजनाओं के कारण नहीं मानता। हम तो पहले जितनी जमीन है उस पर प्रोडक्शन बढ़ा कर पर-केपिटा इन्कम बढ़ायी है; उसको मानते हैं; । जमीन से कहां उस हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ाया है ? सामुदायिक विकास योजनाओं पर करोड़ों और अरबों रुपया खर्च कर दिया, ग्राम इकाइयों का सबसे बड़ा वह माध्यम था वह पीछे रह गयी और वह कामयाब नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि देश के विकास की दृष्टि से सोचिये।

राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देने के लिये जो प्रस्ताव यादव साहब ने रखा है, हम उनको किस लिये धन्यवाद दें ? आज जयपुर में जिस प्रकार का हाहाकार मच रहा है उसके बारे में एक शब्द नहीं, मंहगाई के बारे में शब्द नहीं, बेकारी को दूर करने के बारे में एक भी शब्द नहीं, इसके बारे में आपकी क्या योजना है उसका कुछ उल्लेख नहीं, तो आखिर किस बात का धन्यवाद दें ? हम तो चाहते हैं आपकी इस सरकार को हटा कर नई समाज निर्माण की घोषणा हो; तभी जाकर धन्यवाद के पात्र हो सकते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): उपाध्यक्ष महोदय...

कुछ माननीय सदस्य : श्री सारस्वत जी को बोलने दिया जाय।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं सारस्वतजी को बोलने देने के लिए बैठ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल सारस्वत।

कुछ माननीय सदस्य : आप तो मारवाड़ी भाषा में बोलिये।

श्री मोहनलाल सारस्वत : जैसी आपकी आज्ञा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): गालियां तो मारवाड़ी में ही चोखी लागे।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राज्यपाल महोदय को अभिभाषण आद्योपान्त पढ़ो। पढ़ने र बाद ओ स्पष्ट हो गयो कि माननीय राज्यपाल को यो अभिभाषण एक तरह से राज्य सरकार की तैयार करयोड़ी सरकारी रिपोर्ट मात्र है, जिके में सरकारी नीति ने पुष्टकरण के अलावा और कोई सार व तथ्य नहीं है। अनियमितता, त्रुटियां व बेकायदगियां कराणे की आदि ई राज्य सरकार की एक भी त्रुटि को ई अभिभाषण में उल्लेख नहीं हैं। ई भाषण में जगह जगह समाजवाद की दुहाई दी गई है सो बिलकुल गलत है। कांग्रेस राज्य में समाजवाद नाम री कोई वस्तु नहीं ल्याई जा रही है बल्कि समाजवाद री जगह तानाशाही री ओर कांग्रेस जा रही है। कोऑपरेटिव न ले ल्यो चाहे, पंचायतां न ले ल्यो चारों तरफ भ्रष्टाचार रो बोलबोलो है। इसी सूरत में ई अभिभाषण रो मैं विरोध करू हूं। वीं तरफ बैठा कांग्रेसी सदस्य बापड़ा समर्थन करणो नहीं चाव है, चाहे कोई बात गलत हो चाहे सही, वान तो समर्थन करनो ही पड़सी।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आप 'बापड़ा' शब्द कैसे कहते हैं 'बापड़ा' शब्द निकाला जाय।

(अश्रव्य-व्यवधान-शोरगुल)

श्री मोतीलाल चौधरी : (डीडवाना) उपाध्यक्ष महोदय, बापड़े को बोलने दिया जाय।

एक माननीय सदस्य : पापड़ का अपभ्रंश है बापड़ा।

श्री मोहनलाल सारस्वत : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान री स्थिति सारा प्रांतां स्यु डावाडोल है। यहां शासन कर्ता री कमजोरी र कारण लालफीताशाही शासन पर हावी हो चुकी है, नौकरशाही रो बोल बालो है। मंत्री लोग तो हस्ताक्षर करण री मशीन मात्र रह गया है, जो कागज सचिव वणा र भेज देव बी पर मंत्रीगण न लाजमी तौर स्यु हां करके दस्तखत करना पड़े चाहे वो कागज कितनो ही जन विरोधी तथा समाजवाद विरोधी क्यों न हो।

ई कारण स्यु जनता अत्यन्त दुःखी है। चारों तरफ त्राहि त्राहि मची हुई है। जनता री वास्तविक आवाज लालफीताशाही अव्वल तो मन्त्रियां तांई जाण देव नहीं यदि मंत्रियां तक आवाज पहुँच भी जाय तो वे लोग भी नौकरशाही के दवाव के कारण कानों में उंगली देकर बैठ जाते हैं। ई वास्ते मंत्रीगण जनता में अप्रिय होता जा रहा है, रात दिन चुनेड़ा प्रतिनिधियां र साथ आ सरकार अन्याय कर है। उदयपुर डिविजन स्यू आयोड़ा श्री जोधसिंहजी रो वृतान्त सुण र स्वयं आश्चर्य शब्द न भी आश्चर्य आव। उदयपुर

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

में सरकार लकड़ियां काटन री मनाही करदी जीं स्यु मरेड़ा मुर्दा बोलण में तकलीफ होण लागगी। माननीय सदस्य के पास जनता जब आई उन्होंने वहां के अधिकारियां न ईं बात स्यु सूचित किया पर अधिकारियां ईं महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया। मुर्दा पड़या सीड़ण लाग्या तो माननीय सदस्य सम्बन्धित जनता ने लकड़ी काटकर मुर्दा ने जलाण री कहदी। ईं पर माननीय सदस्य ने गिरफतार करो गया। हथकड़ियां लगाई गई। बांर साथ दुर्व्यवहार करो गयो और आज भी सरकार री तरफ स्यु अन्याय करण हारा लोग देस में जनतांत्रिक शासन की दुहाई देव है यो दुहाई देणो पवित्र जनतंत्र प्रणाली रो अपमान है राजस्थान में जनतंत्र नाम री कोई चीज नहीं है। भूठो समाजवाद रो ढिंढोरो पीटकर शासन करता लोग जनता ने धोखो देवें है। ईं भ्रष्ट सरकार के समय में जनतंत्र पनप नहीं सक, बल्कि जनतंत्र रो गलो घोटो जा रयो है। समाजवाद की दुहाई देण वाली सरकार जनता र चुनेड़ व्यक्तियां र खिलाफ ईं प्रकार रो अन्याय अत्याचार क्यों कर है ?

हां, सरकारी पक्ष के लोग इस अन्याय को सुणकर हंस रहे हैं, यह उनकी ना समभी है; एक दिन आवगो यह हंसी गम में परिणत हो जावेगी जिस दिन आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार होगा आप रोयेंगे समय का इन्तजार करो, वो दिन दूर नहीं है आज आप लोभ के वशीभूत होकर हां में हां भर लेते हो और न्याय अन्याय कुछ नहीं समभकर इन्हें वोट दे देते हो।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपका भाषण तो मारवाड़ी में ही अच्छा लगता है।

श्री मोहनलाल सारस्वत : आप परवाह मत करो; मैं चाहे मारवाड़ी में बोलूं, चाहे हिन्दी में; आपरो काम पक्को है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपके हिन्दी में बोलने से सब लोगों को आनन्द नहीं आ रहा है।

श्री मोहनलाल सारस्वत : उपाध्यक्ष महोदय, सितम्बर सन् ६४ में संयुक्त समाजवादी पार्टी की ओर स्यु सार देश में भारत वन्द अन्दोलन चलोया गया बी सिलसिले में ही चुरू की संयुक्त समाजवादी पार्टी चुरू में पब्लिक मीटिंग करण को एलान करो और मीटिंग रो कार्यक्रम प्रारम्भ होणें स्यु पहलां ही बां लोगान पकड़ लिया गया। ईं बात स्यु दुःखी होकर मैं तथा म्हारा साथी चुरु आया और चुरु में ईं अन्याय को विरोध करयो, अधिकारियां जनता र साथ जो अन्याय करो जकी बात राजस्थान र मुख्य मंत्री श्री सुखाड़ियांजी न म्हें जयपुर आकर कही जिका भूठा मुकदमा लोगां खिलाफ बनायेड़ा है बांन उठान रा वचन सुखाड़िया जी दिया पर बी पर व कायम नही रया आज बां लोगा रो चालाण दियो गयो है। मुकदमे चलाने वाली सरकार तथा उसके अधिकारी आज तानाशाह बने हुए है उनके शासन में न्याय नाम की कोई चीज नहीं है आज राजस्थान में इस प्रकार का पंगु शासन है जिसकी शानी कभी देखने में नहीं आई। चुरु र अन्दोलन में म्हे लोग जिको साथ चुरु री जनता न दियो बींरी कसक चुरु जिला

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

स्तरीय अधिकारियां र ही । वो बदलो लेण तांई जिला स्तरीय अधिकारियां २५-१२-६४ को जद चौधरी कुम्भाराम आर्य, माल मंत्री, राजस्थान राज्य रतनगढ़ आया वां स्यु सांठ गांठ करके स्थानीय जनता पर लाठियां वरसाई जिस्यू अनेक व्यक्तियां र चोटां आई; जनता अन्न तथा खांड री कमी व स्थानीय अभाव-अभियोग रो मांग-पत्र बनाकर मालमन्त्रीजी न जुलूस के रूप में देण न आई ही; मांग पत्र की मांगा सुणन की बजाय जनता न लाठियां स्यु पीटा गया ।

कुछ दिन पलां रतनगढ़ में जनता र साथ इस जालिमाना सरकार ने अन्याय और अत्याचार करा । वीं सम्बन्ध में मेरे पूर्व वक्ता सदस्यों ने प्रकाश डाल्यो है । षड़यन्त्र पूर्ण ढंग स्यु मेरी तथा मेरे परिवार की गिरफ्तारी हुई और सार परिवार न १५ दिन जेल में रख्यो बींरो मन में कोई अफसोस नहीं । मुझे एक दफा नहीं दस दफा गिरफ्तार कर लो, मन कोई चिन्ता नहीं । मैं आज भी अपण विचारां पर अडिग हूं, बुराई को विरोध करनो मेर जीवन को परम लक्ष रहो है ।

आज राजस्थान में भ्रष्टाचार को बोल बालो है जो व्यक्ति गुड़ घोटाला में क्रय विक्रय संघ के अध्यक्ष के रूप में एक करोड़ बीस लाख रुपयां को भ्रष्टाचार करो बीं ने पुरस्कार स्वरूप राजस्व मन्त्री की कुर्सी पर बैठायो गयो ।

(माइक के नीचे गिरने पर)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : १.२० लाख तो नीचे पिचक गया ।

श्री मोहनलाल सारस्वत - ई प्रकार तो भ्रष्टाचारी व्यक्ति चाहे वो मन्त्री हो चाहे और कुछ हो किसी भी शहर में आवे तो जनता वी शख्स ने घृणा की दृष्टि स्यु देखे बिना नहीं रवा । जब वो व्यक्ति रतनगढ़ में २५-१२-६४ को आयो तो जनता वीं र विरोध में जुलूस निकाल्यो और जुलूस में हजारों आदमी इकट्ठा होया ।

(फिर माइक गिर गया)

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो झूठ का फल है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसको भी शरम आ रही है ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : नगर पालिका में राजस्व मन्त्री जी पहुंचते हैं और स्थानीय अध्यक्ष नगरपालिका माइक द्वारा एलान करता है कि मालमंत्रीजी को मान पत्र दिया जायगा, जनता भीतर आ जावे; इस एलान पर जब जनता गढ़ के बाहरी दरवाजे में प्रवेश करती है तो चौधरी कुम्भाराम और दौलतराम के इशारे से पुलिस लाठी चार्ज करती है ।

श्री दौलतराम सारण (उप-मंत्री स्वायत्त शासन) : यह गलत है ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : आप तो गलत कहो ही ला, जो पाप करता है वो हां थोड़े ही मरता है । राजकीय कुर्सी का ठप्पा आपके लग गया इसलिए आप गलत कह सकते हैं; पर याद रखो यह जाते देर नहीं लगेगी । जिस दिन कुर्सी से उतर जाओला ठडिया ही कोनी थंपला ।

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

मैं उस दिन बाहर खड़ा था बिना किसी चेतावनी के लाठी चार्ज किया गया और तुरन्त ही तीन व्यक्तियों को पुलिस जीप में बैठाकर गिरफ्तार करके ले गई।

इन तीन गिरफ्तारियों के तुरन्त बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब गिरफ्तारियां षडयन्त्र पूर्ण ढंग स्यु चौधरी कुम्भाराम व दौलतराम के इशारे से हुई। और ये दोनों रतनगढ़ सूं रवाना होन स्युं पूर्व स्थानीय अधिकारियां न सार को सारो आगे को प्लान बनाकर दे गया; आज सारण साहब कह रया है 'गलत'।

उक्त गिरफ्तारियों के बाद बनाये हुए प्लानिंग के अनुसार मेरे परिवार के १५।१६ आदमी २५–१२–६४ की रात्रि में ही थाने में बुला बुलाकर गिरफ्तार कर लिए गये। मेरे परिवार के क्या छोटे और क्या बड़े सब व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया मेरे जंवाई, मेरे दो साले मेरे दो भतीजे तथा अन्य मेरे निकटतम मित्रों को गिरफ्तार किया गया।

इस अन्याय और अत्याचार से शहर में चारों तरफ अशान्ति फैल गई। २६-१२-६४ को बाजार बन्द रयो तथा स्कूलां क छात्रा ने भी हड़ताल कर दी।

२६–१२–६४ न शाम न चोपड़े बाजार में घंटाघर के पास श्री ख्यालीरामजी गौतम की अध्यक्षता में २५–१२–६४ न हुई गिरफ्तारियां क विरोध में मीटिंग को आयाजन होयो; ८–१० हजार व्यक्ति मीटिंग में उपस्थित हुआ, मीटिंग समाप्ति पर थी उस समय पुलिस क जवान स्युं भरेड़ो एक ट्रक चुरु स्युं आयो और तीन जीपां में स्थानीय पुलिस रो ए० एस० पी०, थानेदार तथा पी. एस. आई. न पुलिस का जवान मीटिंग स्थल पर पहुंच्या और जनता न लाठियां स्युं पीटनो शुरू कर दियो। पुलिस को ए. एस. पी. जनता में फोस गालियां देव हो और पुलिस न कवहो 'मारो' 'मारो'। उस वक्त मीटिंग स्थल की बिजली बन्द करवा दी गई ताकि लोग आसानी से जा नहीं सकें। पुलिस ने चारों तरह स्युं जनता न घेर ली और बहुत बुरी तरह से लाठियों से पीटा। एक तरफ चुरु स्युं आयेड़ा जवान खड़ा था बान पिटाई करन की आज्ञा दे दी और तीन तरफ तीनुं जीपां लगाकर ए. एस. पी. मोर्चो ले लियो, मीटिंग स्थल पर पिटाई के बाद ए. एस. पी. ने अपन साथ पुलिस की एक टुकड़ी ले ली और जीप की लाइट स्युं फरलांगा तक लोगा ने मारया-पीटिया। इतनो करने पर भी उन नृशंस अधिकारियों न सन्तोष नहीं हुयो। जो लोग डर का मारा दुकानां में छतां पर तथा ऊपर कमरा में लुक गया बान भीतर घुस घुसकर बठे ही पीट्या तथा पिटाई की चोटां छिपान वास्ते पुलिस पीटेड़ा लोगों न जीप में भर भर कर पुलिस थाने में ले गई और घंटों बैठाने के बाद उन लोगां न छोड़ा। उस दिन लोगों को बुरी तरह स्युं पीटो गयो। सामान लूटो गयो, रुपया छीन लिया गया। इस पिटाई में लोगों के सांघातिक चोटां आई। अनेक लोगों के टांके लगे हड्डियां टूट गई। पिटाई में पुलिस ने किसी के साथ विवेक

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

से काम नहीं लिया। उस दिन राहगीर पीटा गया, छोटा मासूम बच्चा पीटा गया, बाल तथा वृद्ध पीटा गया। यहां तक कि बिजली घर के कर्मचारी अपनी ड्यूटी देने के बाद घर आ रहे थे उनकी भी पिटाई हुई। शाम के ६॥–७ बजे लोग भोजन के उपरान्त पान खाने बाजार में आये थे उनकी पिटाई हुई। उस दिन ५००–७०० आदमियों के लाठियों की चोटें आई। एक घंटा तक यह नरसंघार बाजार में होता रहा तथा इसके बाद दुकानों में छतों पर व कमरों में होता रहा। बाजार के पास वाले मकानों की छतों पर पिटाई किए हुए लोग तथा पिटने के भय से २०-२०, २५-२५ फुट की ऊंचाई से बिल्ली कुत्तों की तरह कूद रहे थे। आगे जाने पर भी रास्तों पर पुलिस के जवान उन्हें तैयार मिलते थे और वहां उनकी पिटाई करते थे। उस दिन इस कांड के करने में कम स्युं कम पुलिस का २००-२५० जवान संलग्न हा।

उपाध्यक्ष महोदय, बीं दिन की हालत वर्णन नहीं करो जाव। ईं तरह स्युं मीटिंग में आयोड़ी-निरीह जनता न घेर कर बुरी तरह स्युं पिटाई करी गई। ईं पिटाई क आगे जलियाना वाला बाग को अत्याचार फीको पड़ ज्याव है। जलियान वाला बाग में अन्याय और अत्याचार करण वाला अंग्रेज जद जनता पर लाठी चार्ज करवायो उस वक्त जनता ने चेतावनी तो दी ही पर म्हारी आ जालिम सरकार और बींका अत्याचारी अधिकारियां आ भी नहीं करी। उस दिन जनता को उन अत्याचारियों ने मूंज की तरह पीटा। उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन चूरू जिले का कलेक्टर तथा एस. पी. भी रतनगढ़ में मौजूद था। इस प्रकार के अत्याचारी जिस जिला के इंचार्ज हों वहां जनता के साथ इस प्रकार का व्यवहार न हो तो क्या हो?

उस दिन बेगराज जोशी दूकानदार को कमरे के जबरदस्ती किवाड खुलवाकर पीटा। सिर फूट गया ६ टांके आये। श्री शिव भगवान हेड क्लर्क नगरपालिका रतनगढ़ जो पंचायतों के चुनाव में ड्यूटी पर लगा था दर्जी से कपड़े लेने बाजार में आया था उसे लाठियों से दर्जी की दुकान में पीटा। उसी दुकान में दीपचन्द चौधरी रतनगढ़ के प्रसिद्ध व्यवसायी को पीटा। शंकरलाल टेलर मास्टर को छत के ऊपर उसकी दुकान के किवाड़ तोड़कर पीटा, घसीट के थाने ले गये उसके सिलाई पर आये हुए कपड़े पुलिस ले गई। परमेश्वरप्रसाद सर्राफ कपड़े के प्रसिद्ध व्यवसायी को उसकी दुकान से निकालकर पीटा। ओंकारमल जी सारस्वत जो मेरे बड़े भाई हैं उनको दूकान में जाकर ए. एस. पी. मीणा पी. एस. आई, तथा थानेदार पुलिस ने पीटा। रामेश्वर धानुका प्रसिद्ध व्यवसाई को उसकी दूकान के आगे पीटा। हापला कसाई बाजार से घर जा रहा था उसे बुरी तरह से पीटा वो बाजार में ही बेहोश हो गया, उसके ७५ रुपये जेब से निकाल लिए गए। बीड़ी का कारखाना ऊपर छत पर है उसमें बैठे हुए सत्यनारायण खेताण गीगराज डीडवाल, मालीराम सुरेका कपड़े के व्यवसायी, चतुरभुज सिन्धी तथा अनेक व्यवसायियों की पिटाई हुई। सन्तलाल नाई, चोथमल केड़िया, अनेक सब्जी वाजे सिन्धी, दीनदयाल, रामलाल विद्यार्थियों के चोटें

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

आई। श्री पूनमचन्द ओसवाल वैद मालिक राजस्थान इलेक्ट्रीक स्टोर जयचन्दलाल साइकिल वाले को उसकी दुकान में जाकर पिटाई की। बनवारीलाल भरतिया अपने मेडिकल स्टोर से घर आ रहा था उसे थाने की कुछ दूरी पर घेर लिया, बुरी तरह से पिटाई की, रुपये छीन लिये, घड़ी छीन ली गई, थाने में ले जाकर बैठायो। संतरी न कुछ प्रलोभन देकर पिंड छुड़वाकर घर आयो। उपाध्यक्ष महोदय, चोट्यां लाग्योड़ा किताक व्यक्तियां रो नाम आपर सामण राखु। सैंकड़ों व्यक्ति पीटा गया। पिटाई के बाद अस्पताल गया तो डाक्टर भटनागर (ज्युरिस्ट) ने दवाई नहीं लगाई। सर्टीफिकट देने के बजाय गालियां दीं।

(कुछ कांग्रेसी सदस्यों द्वारा व्यंग करने पर)

आप रोइये, यह व्यंग का विषय नहीं है।

श्री अब्दुल जब्बार : ये तो पड़ौसी हैं। भीलवाड़ा में, सुवाणा में इन्होंने तो लोगों को जिन्दा जला दिया था।

श्री मोहनलाल सारस्वत : ई तरह स्यु मीटिंग स्थल पर बाजारां में, दुकानां में तथा छतां क ऊपर क कमरा में तथा छतों पर गलियां में घंटा तक पुलिस पिटाई करके जनता न भयभीत कर तो लोगां न थाने ले जाती और बैठे धमका कर छोड़ देती पुलिस। को पूरो राज कायम हो गयो। इतने करने पर भी स्थानीय एस. डी. ओ. भटनागर तथा ए. एस. पी. मीणा न सन्तोष नहीं हुयो। प्रातः २७-१२-६४ न लाठीधारी पुलिस की गस्ती टुकड़ियां बाजार में तथा शहर में घूमणी शुरू की गयी, आर. ए. सी. का टोपी धारी जवान ट्रकां में भर भर कर रतनगढ़ पहुंच गया और शहर न पूरो आतंकित कर दियो।

२७-१२-६४ न पुलिस को दमन चक्र बराबर चल रयो हो। स्कूल क छात्रां क घरां पर थानादार पुलिस की फौज ले लेकर पहुँच्यो। छात्रां न उनाक माता पिता क सामन अश्लील गालियां दीं, मार पीट करया और छात्र जी स्थिति में घर पर बैठा हा बान मारपीट करता, अशलील गालियां देता थान में लाया ई। तरह स्यु अनेक छात्रां न थान में लाकर बैठा दिया और दो दिनां तक ओ काम चालू रयो। छात्रां क साथ साथ और भी अनेक व्यक्तियां न पुलिस थान में लाकर बैठाव ही और आतंकित करक छोड़ देव ही। अनेक बाजार के सम्भ्रान्त व्यापारियां ने बुलाया गया, बां पर मुकदमा बनाया गया, मुकदमा बणान के बाद जब व आतंकित हो गया तो बांन मुकदमा स्यु बचा दिया गया ताकि वे लोग पुलिस जुल्म के खिलाफ आगे कुछ नहीं बोलें। बाजार क २५-३० मुखिया व्यवसायियां की लिस्ट बना कर बान आतंकित करण ताईं समाजद्रोही तत्वां स्यु प्रचार करवायो गयो क थां लोगां न पकड़ा जासी। अनेक लोगां न थाने में बुला बुलाकर घण्टों तक बैठाकर धमका धमका कर छोड़ा गया। घंटाघर के पास तोलाराम घड़ीसाज जो कि टी. बी. का रोगी है को दवा लाते को गिरफ्तार कर लिया गया। २६-१२-६४ की पिटाई के बाद मेरे बड़े भाई डाक्टर से चोटों पर दवा लगाण ताईं

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

अस्पताल गया हा पुलिस उनके पीछे पहुँची । अस्पताल से बिना दवा लगाये ही बान पुलिस घसीट्यो । डाक्टर लोगां पर पुलिस को पूरो आतंक हो । वां पुलिस न कुछ नहीं कह्यो । बिना दवाई लगाये ही बान पुलिस थाण में लियाया । अस्पताल क बाहर लातां ही रास्त में लात घूंसां से वां की बुरी तरह स्यु मार पिटाई की और हवालात में बन्द कर दिया । २७-१२-६४ को उक्त टी. बी. का रोगी तोलाराम तथा श्री ओंकारमलजी मेरे बड़े भाई को थाने से जेल भेज देने पर जब दोनों व्यक्तियों की हालत खराब जेलर ने देखी और डाक्टर को सूचना दी तो डाक्टर ने उन दोनों को रुग्ण अवस्था में अस्पताल में भरती कर लिया । अस्पताल में २७-१२-६४ की रात्रि में पुलिस की गार्द ने इन दोनों व्यक्तियों के दोनों हाथों में हथकड़ियां लगा कर पलंग से बांध दिये और गार्द के लोग आराम से सो गये । इन लोगों ने हथकड़ियां खोलने के लिए पुलिस को बार बार कहा, पर उन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया; दोनों व्यक्ति रात भर कराहते रहे । प्रातः मुझे पता लगने पर मैंने एस. डी. ओ, ए. एस. पी. तथा सम्बन्धित अधिकारियों को कहलाया, लिखित प्रार्थना पत्र दिया पर उन्होंने हथकड़ियां नहीं खुलवाई अस्पताल के डी. एम. एच. ओ. ने रोगियों की बुरी हालत देखकर अपनी जिम्मेवारी से २८-१२-६४ को हथकड़ियां खुलवाई ।

इस प्रकार का अत्याचार, अन्याय देखकर संसोपा के नेता श्री मुरलीधर व्यास रतनगढ़ स्यु जयपुर राजस्थान के गृह मन्त्री तथा मुख्य मंत्री सुखाड़ियाजी कन जयपुर आया और रतनगढ़ में होण वाल अन्याय और अत्याचारां री कहानी बान सुनाई । सुखाडियोजी जांच क वास्त श्री सन्तरामजी डी. आई. जी. गुप्तचर विभाग जयपुर न ईं री जांच र वास्त नियुक्त करा । मुख्य मन्त्रीजी री आज्ञा डी. आई. जी. कन पहुंचा बिना ही खतम कर दी गई। जयपुर बैठा ही एस.पी.. चुरु और कलक्टर चुरू कन स्यु जयपुर रा अधिकारियां रिपोर्ट मंगाली और बां लोगां आ रिपोर्ट करदी क रतनगढ़ में कोई लाठी चार्ज नहीं होयो । मुख्य मंत्रीजी की आज्ञा तथा आश्वासन मिलन पर श्री व्यास रतनगढ़ आ गया और जांच अधिकारि री जांच पर आण री इन्तजार करता रया । पब्लिक मीटिंग में एलान कर दियो क जनता घबराव नहीं, जांच अधिकारी जयपुर स्यु आ वगो । पुलिस को अन्याय तथा अत्याचार बराबर चलतो रयो; तरह तरह स्यु लोगां न धमकाणो, पकड़नो, पकड़कर छोड़नो, पुलिस की टुकड़ियां रो गस्त रात दिन शहर मांय चालु रहयो । शहर मांय पुलिस रो पूर्णतया राज स्थापित हो गयो । समाजद्रोही तत्वां र साथ पुलिस तथा मजिस्ट्रेट र मिलन स्यु तो हर क्षेत्र में प्रलय रो दृश्य उपस्थित हो जाव है, रतनगढ़ में भी उनाही बात हुई । शहर की गिरती हुई हालत पुलिस क अत्याचार अन्याय न देखकर बहिन कान्ताजी उपाध्याय, मेरी भतीजी शान्ता तथा चन्द्रकला मणोत व गीता गौड़ ने औरतों में जागृति उत्पन्न की और औरतों का जुलूस २६-१२-६४ को निकलवायो । इं जुलूस पर भी पुलिस तथा सामाजद्रोही तत्वां अशलील शब्दां की तथा गालियां की बौछार करवाई तथा औरतां री मीटिंग नहीं होवण दी । पर वे साहसी

Page No 109

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

औरतां अपण कर्तव्य पर डटी रहीं और घर घर दूकान दूकान फिर फिर कर लोगां पर स्यु पुलिस को आतंक मिटायो। तीन चार दिना मांय लोग इधर उधर फिरण लाग्या और जनता की सामान्य दिनचर्या वापस चालू हुई।

श्री सन्तरामजी के मौके पर न पहुंचन सयु जनता मांय एक चर्चा रो विषय फिर हो गयो, सन्तराम जी मौक पर कियां पहुंचता; श्री सुखाड़िया साहब रो स्वभाव आपां जोणो ही हां व तो हंस हंसकर अगलरा प्राण लेण रा आदि है। सन्त व्यास न हंसकर जांच को आश्वासन दे दियो और अधिकारियां न टेलीफोन कर क कुछ भी नहीं हुआ कि रिपोर्ट मंगवाली। बीकानेर र डी. आई जी. तक वहां बैठा ही लिख दियो कि वहां पर कुच नहीं होयो।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सन्तरामजी तो यह बात नहीं लिख सकते थे।

श्री मोहनलाल सारस्वत : श्री सन्तरामजी के लिखने का प्रश्न ही कोनी उठावे तो वहीं रह जाते हैं। जनता पर अत्याचार करने वाला ए.एस.पी., एस. डी. ओ., रतनगढ़, कलक्टर, एस. पी. चुरू तथा डी. आई. जी. पुलिस बीकानेर इस प्रकार की झूठी रिपोर्ट देते है। श्री व्यास रतनगढ़ स्यु फिर दौड़क जयपुर आव और श्री सन्तरामजी स्यु जनवरी क पहल सप्तहा में मिल है तो सन्तरामजी कव है क मेरे पास तो कोई आज्ञा मुख्य मंत्री जी की नहीं पहुँची। श्री व्यास पुनः सम्बन्धित अधिकारियों से मिलते है और उनसे श्री सन्तरामजी को भेजने का कहते है। श्री सन्तरामजी को १२–१–६५ को रतनगढ़ पहुंचने का आश्वासन दे देते है।

अत्याचारी अधिकारी बीयां ही अन्याय तथा अत्याचार की चक्की में जनता को पीसते रहते हैं; उनके तरह तरह के षड़यन्त्र जनता को कुचलने के रतनगढ़ में चलते रहते हैं। आपके सामने वहां के अधिकारियों की एक षड़यन्त्र पूर्ण कुचक्र की घटना राखु। रतनगढ़ जेल में चौरी को एक मुलजिम हों वींरी शनाख्त करण तांई सेला गांव का दो किसान आया। तहसीलदार नियमित शनाक्त करवा क जेल स्यु चल्यो गयो। बाद में थान में जाण क बाद ए. एस. पी. मीणो तथा डाक्टर भट्टनागर स्थानीय थानदार पी. एस. आई. तथा एस. डी. एम. भट्टनागर बैठ क षड़यन्त्र कर है और वां भोल भाल किसानां स्यु मेर तथा पेर चार वरिष्ठ साथियां क खिलाफ मार कुटाई को मुकदमों के जुर्म जो दफा ३४१–१४७, ३२३ I.P.C. को बनाव है। डाक्टर झूठो शर्टीफिकेट दे देव है, पुलिस मुकदमों बनालेव है, जेलर, वार्डर, जेल क सिपाहियां न झूठी गवाही देन वास्त मजबूर करा जाव है व लोग वांको होयो ही नहीं; ई तरह का बयान देव है, आज भी इस षड़यन्त्र पूर्ण मंत्रणा रो चालान करन में बैटराधिकारी रात-दिन सचेष्ट है।

उपाध्यक्ष महोदय, रतनगढ़ में अत्याचारी शासन को दमन चक्र २५–१२–६४ न चालनो शुरू होव है और ८–१–६५ तक बराबर शहर में अनार की वणी रही ई कलंकी अन्यायी सरकार कन संसोपा का नेता मुरलीधर दो बार आव है और रतन—

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

गढ़ क अन्याय की तरफ बार बार ध्यान बटाव है पर राज्य का वरिष्ठ अधिकारी तथा मंत्रियां र कान तक जूं ही नहीं रंग। वां लोग न बड़ा बड़ा भाषण उद्घाटन तथा चाटए कांग्रेस अधिवेशन पंचायत चुनाव में जाण रो समय है पर ईं प्रकार स्युं जनता क साथ अन्याय होव बीं जंगा खुद जाणन समय नहीं है। ईं अन्याय री जांच करन वास्त १२-१-६५ न २०-२५ दिना र बाद बरावर चेष्टा करन पर श्री सन्तरामजी रतनगढ़ पहुंचया। श्री मुख्य मंत्रीजी न हनुमानगढ़ क चुनाव में तथा पंचायत क चुनावा में घर घर बोटां की भीख मागण रो तथा तिकड़म भिड़ाणा रो और जनता न झूठा झांसा देन रो समय है पर ईं प्रकार र अन्याय अत्याचार री जांच करन रो समय कठ स्युं मिल क्योंकि जनता तो सिर्फ वोटां क वक्त ही मंत्रियां न याद आव है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): आपसे तो नहीं भीख मांगी।

श्री मानसिंह महार (आमेर): पंडितजी तुम भी हारे हुए हो।

श्री मोहनलाल सारस्वत: इस प्रकार का अन्याय अत्याचार किसी राजतंत्रिय व एक तंन्त्रिय शासन मुगलिया साम्राज्य वा अंग्रेजो के समय में भी हुआ हो ऐसा सुनने में नहीं आया। रतनगढ़ की घटना अक्षरश: सत्य है, इसको कोई भी गलत सिद्ध कर दे तो मैं धारा सभा से तुरन्त त्यागपत्र दे सकता हूं।

(हियर हियर की आवाज)

आगे और सुणिये।

श्री मानसिंह महार: लिख कर दो।

श्री मोहनलाल सारस्वत: श्री लाल-बहादुर शास्त्री बार बार कहते हैं कि मंत्रियों को इस मंहगाई के समय में कोई स्वल्पाहार या मान-पत्र के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। श्री आर्य साहब को चुरु जिला की जनता आखों से देखना नहीं चाहती थी। रतनगढ़ प्रवेश से पूर्व सुजानगढ़ व छापर की जनता उनकी मिट्टी पलीत करके अपना उग्र असन्तोष व्यक्त कर चुकी थी, इतना होने पर भी वे रतनगढ़ में अपने मंत्रित्व की शान जमाने के लिए स्वल्पाहार लेने से बाज नहीं आये और रतनगढ़ की भूखी गरीब जनता द्वारा मांग-पत्र दिये जाने की प्रार्थना पर उस पर लाठियां चलवाई। क्या यह शास्त्री जी की आज्ञा की स्पष्ट अवहेलना नहीं है। आज भी पुलीस रतनगढ़ की जनता पर अन्याय के पहाड़ इस पंगु सरकार के इशारे से ठहा रही है। रतनगढ़ के लोगां पर १५ दिन तक अन्याय किये, उनकी पिटाई की ओर आज भी तरह तरह के पांच झूठे मुकद्दमें बनाकर ७२ व्यक्तियों का चालान पुलिस ने कर रखा है और दो दो, चार चार दिन के फासले से तारीख डलवाई जाती है पेशी में गये लोगों को १०॥ बजे से ४ बजे शाम तक बैठाकर परेशान किया जाकर तारीखें डलवाई जाती हैं। यह है हमारी लोकतांत्रिक सरकार की न्यायप्रियता और समाजवादी समाज-निर्माण का कार्यक्रम! सदन में बैठे हुए मंत्रीगण, मुख्य मंत्री इस अन्याय को सुनकर त्यागपत्र देने का साहस करेंगे, यदि

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

उनमें थोड़ी सी मानवता व लोकतंत्र की भावना अब तक जीवित होती तो वे ऐसा अवश्य करते; पर यह दोनों बात आज इनसे लुप्त हो चुकी हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पांच मिनट और चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, अभी यह तो चलेगा । यह तो सुखाड़िया राज्य के अनेक दमन प्रकरणों में ही एक महत्वपूर्ण प्रकरण है जिसकी शृंखला पता नहीं कब समाप्त होगी क्योंकि अभी सुखाड़िया राज्य की दसवीं बरसी ही उनके भक्तों द्वारा मनाई जा रही।

श्री उपाध्यक्ष: सदन का समय समाप्त हुआ। सदन की बैठक कल ११ बजे सुबह तक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५ बजे, कल दिनांक २६ मार्च, १९६५ के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(समयाभाव केकारण प्रश्न- समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

भूतपूर्व मेवाड़ सरकार की तोपें

१५. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवां) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भूतपूर्व मेवाड़ सरकार की उन तोपों को जो माछले मगरे और बड़े पुरोहितजी के मकान पर पड़ी थीं, कटवा कर बेचने से सरकार को कितनी आमदनी हुई ?

(२) क्या इन पुरानी और ऐतिहासिक तोपों को किसी अजायबघर व अन्य किसी उचित स्थान पर नहीं रखा जा सकता था ?

(३) क्या अन्य किसी भूतपूर्व स्टेट की तोपें भी इस प्रकार बेची गई हैं ? यदि नहीं, तो केवल इन तोपों को ही क्यों बेचा गया ?

उत्तर

१. राज्य कोष में रु० १२५६४–५६ पैसे व सैल्स टैक्स रु० ३६२-६७ पैसा जमा हुए हैं।

२. जी नहीं। क्योंकि ऐसी कटी हुई तोपें (Obsolete Cannons) को किसी ऐतिहासिक स्थान पर या अजायबघर में रखने के काबिल नहीं होने की वजह से बेची गई थीं।

३. जी हां। प्रश्न ही नहीं उठता है।

जिला जालोर तथा बाड़मेर की तहसीलों में ऋण की वसूली हेतु कुर्कियां

१६. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तकावी तथा बीज हेतु दिये गये ऋण आदि के बकाया की वसूली भू-राजस्व की तरह की जाती है ?

(२) क्या यह सही है कि भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत ऋणी की वे वस्तुयें जो सिविल प्रोसीजर-कोड की धारा ६० के अधीन कुर्क किये जाने से विमुक्त हैं, भू-राजस्व की वसूली हेतु कुर्क किये जाने से भी विमुक्त की हुई हैं ?

(३) क्या यह सही है कि जिला जालोर तथा बाड़मेर की सारी तहसीलों में तकावी ऋण की वसूली हेतु तहसीलदार तथा पटवारी काश्तकारों के बैल, भैंस, दूध देने वाले पशु, कृषि उपकरणों, बर्तन तथा मकान आदि कुर्क कर रहे हैं जब कि ऐसी

वस्तुओं को कुर्की से विमुक्त किया हुआ है ?

(४) यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, तो सरकार राजस्व विभाग के ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध जिन्होंने काश्तकारों के साथ कठोर व्यवहार किया है, क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? कृपया ऐसे मामलों की पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(५) क्या सरकार जिलों के समस्त जिलाधीशों को भविष्य में ऐसी अवैधानिक कुर्कियां करने से परिवर्जित रहने के आदेश देगी ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं, जिला बाड़मेर में केवल कुछ मामलों में दीगर जरिया वसूली न होने से मकान कुर्क करने की स्वीकृति दी गई है। जिला जालौर में तहसीलदार ने गाय व भेंस आदि कुर्क करने की कार्यवाही की थी मगर उनको नीलाम नहीं किए गये और आयन्दा ऐसा न करने की हिदायत कर दी गई थी। राज्य सरकार से भी परिपत्र सं० एफ ११ (१६१) रा. ख–६४ दिनांक २०–१–६५ द्वारा काश्तकारों के खेत कुर्क न करने बाबत आदेश दे दिये गये हैं।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्व मण्डल कार्यालय

१७. श्री पोहूमल ईसरदास (अजमेर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार राजस्व मण्डल कार्यालय को अजमेर से जयपुर स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ?

(२) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(३) क्या यह सही है कि राजस्व मण्डल कार्यालय राव समिति द्वारा की गई सिफारिशों के फलस्वरूप अजमेर में लाया गया था ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) जी हां।

जसवन्तसागर बांध से पानी का वितरण

१८. श्री चन्द्रसिंह वर्मा (बिलाड़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् ६१–६२ में जसवन्त सागर बांध (पिचियाक) से किन किन ग्रामों को कितना कितना पानी दिया गया ?

(२) वर्ष सन् ६१–६२ में जल वितरण कमेटी की बैठकें कब कब हुईं व बैठकों में क्या निर्णय लिये गये ? प्रतिलिपि व सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(३) क्या कपास की फसल में पानी देना वर्जित है ? यदि नहीं, तो कमेटी का ऐसा करना कहां तक उचित था ?

(४) इस बांध के बनने के बाद से किन किन ग्रामोंको कपास की फसल के लिए पानी मिलता रहा है ? क्या ऐसा रकबा गेहूं की फसल को क्षेत्र में से काटने का प्रावधान है ? यदि नहीं, तो क्या यह उनके अधिकारों पर आघात नहीं है, जो कि पुरानी शैली को तोड़कर १९६१–६२ से ऐसा किया गया है ?

(५) सन् ६१–६२ में हुई प्रथम जल वितरण कमेटी की बैठक में ग्रामवासियों से पानी देते समय कोई इकरार लिया था ? यदि हां, तो इकरार की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे ?

(६) क्या दिनांक २-१–६२ की कार्यवाही का सिंचाई विभाग ने पूर्णतया पालन किया ?

उत्तर

(१) कृपया संलग्न सूची (क) का 'अ' वलोकन करें।

(२) जल वितरण की बैठक दिनांक १६-१०-६१, ३१–१०–६१ व २–१–६२ को हुई उनमें लिये गये निर्णयों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई हैं।

(३) जी नहीं। रवी की फसल को प्राथमिकता दी जाती है। वरसे हुए पानी को ही खरीफ (कपास इत्यादि) में दिया जा सकता है।

(४) सूची (ख) का अवलोकन करें, जल वितरण कमेटी स्थिति देख कर निर्णय लेती है और उसी पर अमल किया जाता रहा है।

(५) जी नहीं।

(६) जी हां।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बागीदौरा तहसील में भूमि का आवंटन

१६. श्री नाथूराम (बागीदौरा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला बांसवाड़ा की बागीदौरा तहसील में सन् १९६२–६३, १९६३–६४ व ६४ ई० में अब तक भूमिहीन किसानों के भूमि एलाटमेन्ट के सम्बन्ध में कितने प्रार्थना-पत्र पेश हुए हैं ?

(२) भूमि वितरण कमेटी की बैठक उक्त समय में कितनी बार कहां-कहां रखी गई है और कितने प्रार्थना-पत्रों पर कितनी भूमि एलॉट की गई और आज तक कितने प्रार्थना-पत्र पेंडिंग हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि भूमि वितरण कमेटी की बैठक की सूचना कमेटी के सदस्यों को समय पर नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ? और नहीं तो इस वर्ष में मीटिंग किन-किन तारीखों में हुई थी और सूचना कब दी था ?

उत्तर

(१) जिला बांसवाड़ा की बागीदौरा तहसील में सन् १९६२-६३ में कोई प्रार्थना-पत्र भूमि एलॉटमेंट रूल्स, १९५७ के अन्तर्गत पेश नहीं हुए हैं।

सन् १९६३-६४ व १९६४ ई० तक ८०३ प्रार्थना-पत्र पेश हुए हैं।

(२) भूमि वितरण कमेटी की बैठक को उक्त समय में ५-५ बार बुलाई गई। इनमें चार बार तहसील मुख्यावास पर एवं एक बैठक पटवार मंडल भूखिया तहसील बागीदौरा के स्थान पर बुलाई गई। ८०३ प्रार्थना-पत्र पर निर्णय लिये गये और इनमें से २६५ व्यक्तियों की २९०.६३ एकड़ भूमि आवंटन की गई और ५३८ व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र कमान्ड एरिया, वन अधिवस्त भूमि व चरागाह की मांग होने से खारिज किये गए। कोई प्रार्थना-पत्र विचाराधीन नहीं है।

(३) जी नहीं। भूमि वितरण कमेटी के सदस्यों को कृषि भूमि आवंटन नियम १९५७ की धारा १३ (२) के अनुसार सूचना दी जाती है। उपरोक्त वर्षों में कमेटी की बैठक दिनांक १४-५-६४, २९-६-६४, २३-९-६४, १।२-१२-६४, ५।६।७ व १२-६४ को रखी गई जिसके सूचना पत्र कमेटी के सदस्यों को २८-४-६४, १०-६-६४, २०-८-६४, २३-११-६४ व २३-११-६४ को जारी किये गए।

जिला सवाई माधोपुर में महकमें जागीर विभाग के कर्मचारी

२०. वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या जिला सवाई माधोपुर में महकमें जागीर में कर्मचारियों को कम कर दिया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि यहां का जागीर सम्बन्धी कार्य अभी तक अपूर्ण है ? यदि हां, तो वहां के कर्मचारियों को कम करने का क्या कारण है ?

(३) क्या यह सही है कि इस कमी के कारण लोगों को परेशानी रहती है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी हां। प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सांचोर के अधीन उप-केन्द्र

२१. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि अभी तक सांचोर में "प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र" के नीचे एक भी सब-सेन्टर नहीं खोला गया है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(२) सांचोर "प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र" के अधीन कुल कितने सब-सेन्टर्स खोले जावेंगे ?

(३) कुल सब-सेन्टर्स कब तक खोल दिये जावेंगे ? योजना के अनुसार "प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र" खुलने के कितने अर्से बाद तक सब-सेन्टर्स खुल जाने चाहिये ? निश्चित अवधि में यह कार्य पूरा न होने के क्या-क्या कारण हैं ?

(४) क्या यह भी सच है कि सब-सेन्टर्स के लिये जन-सहयोग की रकम पंचायत समिति ने मन्जूर करदी है ? अगर हां, तो सरकार अब सब-सेन्टर्स के लिये शीघ्र भवन बनवा कर सब-सेन्टर्स का कार्य क्यों नहीं चालू करती है ?

उत्तर

(१) जी हां । अभी तक पंचायत समिति ने सांचोर "प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र" के उप-केन्द्र खोलने का निर्णय नहीं लिया ।

(२) तीन उप-केन्द्र खोले जायेंगे जिनके स्थानों का चुनाव पंचायत समिति करेगी ।

(३) पंचायत समिति के प्रस्ताव आने पर तीनों सब-सेन्टर्स खोल दिये जायेंगे । सब-सेन्टर्स खोलने की कोई निर्धारित अवधि नहीं होती है । उप-केन्द्र (सब-सेन्टर्स) "प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र" के खोलने के साथ-साथ ही खोले जा सकते हैं, यदि पंचायत समिति द्वारा स्थान चुन लिया जाये । पंचायत समिति के प्रस्ताव न आने पर उप-केन्द्रों के खोलने में विलम्ब हो रहा है ।

(४) यह पंचायत समिति के प्रस्ताव आने पर ही संभव हो सकेगा ।

भूमि अवाप्ति की कार्यवाही में विलम्ब

२२. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

चक ३९ आर. बी. व चक ४० आर. बी. जिला गंगानगर में पक्की सड़क से चक ३९ आर. बी. को मिलाने के लिये भूमि अवाप्ति की कार्यवाही कब शुरू की गई और कब तक पूरी होने की सम्भावना है ?

उत्तर

इस सम्बन्ध में भूमि अवाप्ति सम्बन्धी कार्यवाही दिनांक १३-११-५९ को प्रारंभ हुई थी किन्तु यह कार्यवाही पूर्ण होने से पहले ही श्री अजायबसिंह द्वारा हाईकोर्ट में इस कार्यवाही के विरोध में रिट पिटीशन नं० ४५३।६२ पेश करने तथा उस पर स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) होने के कारण यह कार्यवाही अधूरी रह गई । जब तक रिट पिटीशन का निर्णय नहीं हो जाता है तब तक इस बारे में निश्चित रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

इसका उत्तर प्रश्न के खण्ड (१) में दिया जा चुका है ।

श्री मेघनाथ जी महाराज के मठ की मौजा गोरखाना में जागीर की भूमि

२३. श्री मानिकचन्द सुराना (कोलायत): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि श्री मेघनाथजी महाराज के मठ की मौजा गोरखाना, तहसील नोहर, जिला श्री गंगानगर में ३७११)४ बीघा आराजी की जागीर थी ?

(२) क्या यह सही है कि सन् ५७ में यह जागीर कलेक्टर गंगानगर ने पुनर्ग्रहण

करली थी और महन्त प्यारेनाथ को १९-०५।)१ बीघा आराजी खुदकाश्त के लिए कलेक्टर गंगानगर ने मन्जूर कर दी थी ?

(३) यदि हां, तो क्या जब कि महन्त केकब्जे काश्त में असलियत में १९०५।)१ भूमि नहीं थी तब उसे १९०५।)१ भूमि क्यों खुदकाश्त के लिए स्वीकार की गई ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त महन्त ने और अधिक खुदकाश्त भूमि मन्जूर करवाने के लिए कलेक्टर के यहां दरख्वास्त पेश की थी जो उक्त अफसर ने दिनांक २७-७-६१ को नामन्जूर कर दी थी ?

(५) क्या यह सही है कि कलेक्टर के उक्त आदेश के बावजूद भी पटवारी, गिरदावर हल्का गोरखाना व सेक्रेट्री व सरपंच ग्राम पंचायत गोरखाना ने मजीद १०७९) बीघा भूमि का इन्तकाल नं० १९० ता० ४-१-६४ को महन्त प्यारेनाथ के नाम बतौर खुदकाश्त खातेदारी दर्ज कर दिया ?

(६) क्या यह सही है कि इन्तकाल नं० ९९ ता १०० दिनांक २४-११-५९ के जरिये जागीर खालसा की गई और केवल १९०५।)१ बीघा महन्त की खुदकाश्त खातेदारी दर्ज की गई ?

(७) क्या उक्त इन्तकालात व हुक्म कलेक्टर गंगानगर के मौजूदा होते हुए पटवारी व गिरदावर व ग्राम पंचायत की कार्यवाही वैधानिक है और यदि नहीं है, तो सरकार इस इन्तकाल को रद्द करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

(८) क्या यह सही है कि ता० ४-१-६४ को ही उक्त १०७९) बीघा भूमि में से करीब ४००) बीघा आराजी के इन्तकाल वक्त अफसरान माल व ग्राम पंचायत ने दीगर लोगों के नाम बतौर खरीदारान दर्ज कर दिया ?

(९) क्या इन खरीदारान में उक्त अफसरान परोक्ष रूप में सम्मिलित हैं ?

(१०) इन अफसरान के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां। १९०५।)१ बीघा भूमि श्री प्यारेनाथ की निजी सम्पति घोषित की गई।

(३) जांच के पश्चात् १९०५।)१ खुदकाश्त की मान कर निजी सम्पति घोषित की गई।

(४) जी नहीं।

(५) जी हां।

(६) जी हां।

(७) जांच की जा रही है, जांच के पश्चात् उचित कार्यवाही होगी।

(८) १०७९) बीघा में से १९६।।)२ बीघा भूमि की बेचान के इन्तकाल हुए है।

(९) जांच हो रही है।

(१०) जांच होने के पश्चात् ही कार्यवाही हो सकेगी।

Page No 118

नगरपालिका दौसा में अनियमिततायें

२४. श्री मूलचन्द चौधरी (दौसा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि नगरपालिका दौसा में सैकड़ों रुपयों का गबन है जिसकी जांच एस० डी० ओ० दौसा व कलेक्टर द्वारा की जा चुकी है ?

(२) क्या यह सही है कि वहां की ऑडिट रिपोर्ट में भी गबन का उल्लेख है ?

(३) क्या यह सही है कि चेयरमैन ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है जिसे कलेक्टर व एस. डी. ओ. ने भी माना है ?

(४) उपरोक्त तथ्यों के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

उत्तर

(१ व २) यह सही नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट वर्ष १९६१-६२ में नाकेदार, श्री घमनलाल के विरुद्ध ६ नये पैसे की तीन रसीदों की रकम न जमा कराने का उल्लेख किया गया है, जो मालूम पड़ने पर उक्त नाकेदार से जमा करा ली गई है।

उक्त नाकेदार के अतिरिक्त रु० १०.९० पैसे की राशि कम जमा कराने की बाबत १९६१ में श्री जगदीश नारायण, अकाउन्टेन्ट के विरुद्ध रिपोर्ट में हवाला दिया गया था—यह राशि भूल से जमा होने से रह गई थी जो दिनांक २४-१२-६२ को जमा करवा ली गई है।

(३) यह सही नहीं है।

(४) स्थिति उपरोक्त उत्तर में स्पष्ट है।

हिन्डौन सब-डिविज़न में हुई चोरियां

२५. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) हिन्डौन सब-डिविजन में सन् १९६३-६४ में कितनी चोरियां हुई तथा कितनी चोरियां बरामद हुई हैं ?

(२) क्या यह सही है कि ग्राम मऊ व सूरोठ की चोरियों का माल बरामद होते हुए भी चोरों को छोड़ दिया गया है ?

(३) क्या यह सच है कि चोरी के माल को पुलिस थाना हिन्डौन हजम करना चाहता है ?

(४) क्या यह भी सच है कि कुछ माल जो चोरों द्वारा किसी दूसरी जगह बताया गया था वह अभी तक बरामद नहीं किया जा सका है ?

(५) यदि हां, तो सरकार सम्बन्धित पुलिस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(१) सब-डिवीजन हिण्डौन में अप्रेल १९६३ से अप्रेल १९६४ तक ८८ नकबजनी ८२ सरका सादा, व ११ सरका मवेशी की रिपोर्ट हुई जिनमें से १२ नकबजनी २९ सरका सादा, व ५ सरका मवेशी का पता लगा उनमें मुल्जिमान के खिलाफ चालान अदालत में पेश किये जा चुके हैं।

(२) ग्राम मऊ व सूरोठ की चोरियों

का कुछ माल बरामद हुआ और मुल्जिमान गिरफ्तार शुदा से माल बरामद करके चालान पेश किया जा चुका है। यह सहीनहीं है कि मुल्जिमान को जिससे माल बरामद हुआ, छोड़ दिया गया हो।

(३) जी नहीं। माल बरामद शुदा फरयादियान ने अपना होना शनाख्त कर लिया है जो अदालत में जमा है।

(४) जी नहीं, जितना माल मुल्जिमान ने बताया वह सब बरामद किया जा चुका है।

(५) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

सीकर जिले में ट्रैक्टरों का उपयोग

२६. श्री दुर्गालाल बाद़दार (हवा-महल, जयपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सीकर जिले में कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कितने और कब कब किन किन व्यक्तियों और किन किन पंचायत समितियों को ?

(२) सरकार की ओर से दिये गये ट्रैक्टरों द्वारा किस किस व्यक्ति ने और किस किस पंचायत समिति ने कितनी कितनी भूमि कृषि योग्य बनाई और कितनी भूमि में सुधार किया ? भूमि का विवरण कृपया सदन के समक्ष रखें।

(३) क्या सरकार को विदित है कि कृषि-उन्नति कार्य के लिए दिये गये ट्रैक्टरों का दुरुपयोग हुआ है और इनसे कुट्टी काटी जाती है या पत्थर ढोये जाते हैं ?

उत्तर

(१) जी हां। ७ व्यक्तियों को दिये गये हैं। सूचि संलग्न है। पंचायत समितियों को कोई ट्रैक्टर ऋण स्वीकृत नहीं किया गया।

(२) सूचना संलग्न है।

(३) केवल गोविन्दराम पुत्र किसनाराम जाट सा० दौलतपुरा द्वारा ट्रैक्टर कृषि कार्य के अलावा अन्य कार्यों में भी उपयोग में लिया जाता रहा है। शेष समस्त ट्रैक्टर कृषि उन्नति के लिये ही उपयोग में आते हैं। इनसे पत्थर नहीं ढोये जाते हैं और नाही कुट्टी काटी जाती है।

सूची

क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम	दिनांक	ट्रेक्टर भूमि कृषि योग्य बनाई	भूमि में सुधार किया
	१	२	३	४
१–	श्री गोपीराम रामलाल पुत्र श्री धन्नाराम निवासी जानकीपुर।	१३–३–६३	२० एकड़ किराया लेकर	२०७ एकड़ किराया लेकर

१		२	३	४
२.	श्री बिजेन्द्रसिंह पुत्र सुरेन्द्रसिंह खाचरियावास।	२३-१२-६३ ६-१२-६३	३०० बीघा २०० बीघा	–
३.	श्री प्रतापसिंह पवार।			
४.	श्री लादूराम बालूराम चौधरी गोर्धनपुरा	१५-५-५६	—	८० बीघा ६ बिस्वा स्वयं की
५.	श्री हनुमानसिंह पुत्र पनेसिंह सा. डूधिया	६-१०-६१	१५०० बीघा किराये से	१७० बीघा २ बिस्वा स्वयं की
६.	श्री गोविन्दराम पुत्र किशनाराम जाट सा० दौलतपुरा	३१-३-६१	१०४ बीघा ४ बिस्वा	–
७.	श्री दशरथसिंह पुत्र मेघसिंह नि० देवाराला	२३-३-६२		३० बीघा अपनी भूमि के अलावा किराये पर दूसरों की भूमि भी सुधार करने हेतु दिया जाता है।

दूनी के कंजरों पर छापा

२७. श्री भैंरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु०) : क्या गृह मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे:—

(१) पुलिस थाना सवाई माधोपुर के थानेदार ने अमला लेकर २२-१२-६२ को दूनी के कंजरों पर छापा मार कर किस किस जगह कितनी कितनी चोरी का माल बरामद किया ?

(२) क्या थानेदार सवाई माधापुर ने महिलाओं के साथ कुकर्म, मारपीट तथा रिश्वत लेने की शिकायतें मुख्य मन्त्री, गृह मन्त्री, होम-सेक्रेटरी आदि को भेजी थीं ?

(२) क्या यह सही है कि थानेदार सवाई माधोपुर द्वारा निरअपराध लोगों को मारने पीटने और रिश्वत लेने की एन्टी-करप्शन के थानेदार भीलवाड़ा द्वारा जांच कराई थी ? यदि हां, तो क्या ६ हजार की रिश्वत लेना पाया गया था ?

उत्तर

(१) सी० आई० व एस० एच० ओ० सवाई माधोपुर ने ता० २२-१२-६२ को दूनी के कंजरों के घरों पर छापा मार कर सवाई माधोपुर की तीन नकबजनियों का माल बरामद किया।

(२) जी हां। किन्तु इन शिकायतों में केवल मारपीट व रिश्वत लेने के ही आरोप थे। महिलाओं के साथ कुकर्म करने का कोई उल्लेख नहीं था।

(३) जी। रिश्वत लेने के आरोप के सम्बन्ध में अधीक्षक आरक्षी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग भीलवाड़ा ने जांच की थी जिसमें उप निरीक्षक श्री लक्ष्मणसिंह एवं सिपाही श्री जयसिंह के विरुद्ध २००) रु० १००) रु० की रिश्वत लेना पाया गया। न कि ६०००) रु० की रिश्वत लेना। मारने पीटने के आरोप के सम्बन्ध में गुप्तचर विभाग के एक अधिकारी ने जांच की जिससे ये आरोप सिद्ध नहीं हुए।

जोधपुर अस्पताल के कॉटेज वार्ड में रहे व्यक्ति

२८. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) महात्मा गान्धी अस्पताल जोधपुर में कुल कितने कॉटेज वार्ड्स है ?

(२) १ जनवरी १९६०, से लेकर ३१ दिसम्बर, १९६४ तक उक्त कॉटेज वार्ड्स में कितने व्यक्तियों को रखा गया व उक्त समय में कॉटेज वार्ड्स में रहने हेतु कितने प्रार्थना-पत्र आये ?

(३) उक्त समय में कॉटेज वार्ड्स में रखे गये रोगियों में से कितने सरकारी कर्मचारी या उनके कौटुम्बिक सदस्य थे व कितने दूसरे नागरिक थे ?

(४) प्रश्न के भाग नम्बर (२) में बताये गये कॉटेज वार्ड्स लेने हेतु आए हुए प्रार्थना-पत्रों का किस प्रतिशतता का अनुपात प्रश्न के भाग नम्बर (३) में बताये गये रोगियों का है ?

उत्तर

(१) १५

(२) ११५४ व्यक्तियों को रखा गया।

१५४२ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए।

(३) ३५३ सरकारी व उनके कौटुम्बिक सदस्य।

८०१ दूसरे नागरिक।

(४) प्रार्थना-पत्र कुल १५४२ आये जिनमें से ३५३ व्यक्ति सरकारी कर्मचारी जिनका प्रतिशत ३०.०५ है और दूसरे नागरिक जिनका प्रतिशत ६९.०५ है अतः इनका अनुपात १:२ रहा।

तहसील सलूम्बर में भूमि पर काबिज लोगों को हटाकर अन्य लोगों को एलॉटमेन्ट

२९. श्री मावा (सलूम्बर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सलूम्बर तहसील में ऐसे व्यक्तियों के कब्जे हटाए जा रहे हैं जो दो साल से उस जमीन पर काबिज थे और उस जमीन पर दूसरों के नाम एलॉटमेन्ट किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों और क्या यह नियमानुकूल है ?

उत्तर

जी नहीं ।

मौजा रूपपुरा में भूमि आवंटन में अनियमिततायें

३०. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि मौजा रूपपुरा (छोटी नादोली) तहसील मावली के लोगों के पास या तो जमीन नहीं है और यदि है, तो बहुत ही कम ?

(२) क्या यह भी सही है कि यहां के पटवारी ने ढूंढीया (तहसील मावली) के काश्तकारों को जो सब भूमि वाले है और जिनके पिता के नाम पर जमीन दर्ज है उनसे रुपए लेकर उन लोगों को जमीन बतादी है और उन्होंने जमीन हांकना शुरू कर दिया है व काश्त शुरू करना चाहते हैं ?

(३) क्या उन्हें जमीन, भूमि एलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा, एलॉट की गई है ?

(४) यदि नहीं तो क्या सरकार इसमें हुई घोर अनियमितता की जांच करवाने और दोषी पटवारी और तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी नहीं । कुल ३१ परिवारों में से २२ खातेदार हैं जिनके पास औसतन ३२ बीघा की खाता भूमि है, ९ परिवार भूमिहीन हैं जिनमें से २ परिवारों को भूदान समिति से व ४ को एलॉटमेंट कमेटी से भूमि मिल चुकी है । २ परिवारों के नादोलीकलां में, जो पड़ोस में ही है, खाता है । १ परिवार नयायन आकर आबाद हुआ है उसके पास भूमि नहीं है, उसने प्रार्थना-पत्र पेश नहीं किया है ।

(२) जी नहीं । ग्राम नादोली की भूमि ढूंढीया के काश्तकारों को एलॉटमेंट से ५ व्यक्तियों को व भूदान से २२ व्यक्तियों को दी गई है जिनमें ४ व्यक्तियों के पिताओं के पास क्रमशः ६)४, ७)२, ६।)२, १६।)४ बीघा भूमि है जो पिताओं से अलग-अलग रहते हैं और खेती भी अलग-अलग करते हैं, इनको भूमि भूदान में दी है । पटवारी ने रुपये लेकर किसी को भी भूमि नहीं बताई है । वेही लोग काश्त कर रहे हैं जिन्हें भूमि दी गई है ।

(३) एलॉटमेन्ट द्वारा ४२।) बीघा व भूदान द्वारा १९४) बीघा भूमि दी गई है ।

(४) भूमि एलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा नियमानुसार एलॉट की गई है अतः पटवारी व तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता । भूदान समिति द्वारा जो भूमि दी गई है उसकी जांच के लिये एस. डी. ओ. को लिखा जा चुका है ।

शुद्धि-पत्र

(गुरूवार, दिनांक २५ फरवरी, १९६५)

स्कम्म संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१-२	शीर्षक	वृतान्त	वृत्तान्त
२९	६	टी० बा० अस्पताल	टी० बी० अस्पताल
,,	१०	(डूंगरपुर	(डूंगरपुर—
३१	२	ग्र ाधुनिक	आधुनिक
३२	अन्तिम से ५	आपते	आपने
३३	१९	लड्ढा) आगे प्रश्न	लड्ढा आगे के प्रश्न
३४	१८	आवट	आवंटन
३६	२४	आने	न आने
३९	२	था बह	था, वह
४३	अन्तिम	रैवेन्यू	रेवेन्यू
४६	१०	वंठाता	बैठता
४७	शीर्ष	(श्री रामनन्द अग्रवाल)	(श्री रामानन्द अग्रवाल)
५७	शीर्षक	२५ फरवरी. २५	२५ फरवरी, ६५
,,	१५	११ । नम्बर	११ नम्बर
६०	शीर्षक	ताराकित	तारांकित
६९	५	खनिज	खनिज
७०	२२	कब्जों । का	कब्जों का
७४	अन्तिम से ४	अनुपथिस्त	अनुपस्थित
,,	,, ,, ३	प्रश्नोक्षर	प्रश्नोत्तर
७६	१५	उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष,
८७	शीर्ष	अब्दुलजब्बार)	(श्री अब्दुलजब्बार)
८८	२२	श्री बरकत्तु ल्ला खां	श्री बरकतुल्ला खां
८९	२	में	मैं
,,	७	कानिधन	का निधन
९०	१५ के बाद	—	सदन की मेज पर रखे गए पत्र
९५	शीर्ष		(श्री अमृतलाल यादव)
११५	शीर्षक	भहोदय	महोदय
,,	९	श्रीं	श्री
११६	शीर्षक	अभिमाषय	अभिभाषण

Page No 124

१	२	३	४
११८	,,	वाद बिवाद	वाद-विवाद
१२१,१२५	,,	भहोदय	महोदय
१३०	२०	महोदयाँ	महोदयों
१३३	१७	में	मैं
१३४	शीर्षक	वाद-विवान	वाद-विवाद
१४०	अन्तिम से ६	चुनाव में हमारे देश	चुनाव हमारे देश में
१४३	शीर्षक	२५ फरवरी, ६४	२५ फरवरी, ६५
,,	१२	श्री रघुनाथ विश्नोई	श्री रघुनाथ बिश्नोई
१४८	१०	आँकड़े	आंकड़े
१४६	४	पसेन्ट	परसेन्ट
१५६	शीर्ष	(महारावल ओ लक्ष्मणसिंह)	(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
१६१	शीर्षक	राजस्थान	राज्यपाल
१६३	६	प्रोब्लैम	प्रोब्लम
१६७	शीर्ष	(ओ विजयसिंह झाला)	(श्री विजयसिंह झाला)
,,	१५	ऑ र्स	ऑर्डर्स
१७५	१	वश्यकता नहीं	आवश्यकता नहीं
१७६	अन्तिम से २	बजली	बिजली
१७७	,, ,,	भापति महोदया	सभापति महोदय।
१८१-१८२	शीर्षक	अभिभापण	अभिभाषण
१८१	२२	प्रेक्टिक्ल	प्रेक्टिकल
१८२	५ व ६	,,	,,
१८३	प्रथम	ज रहे	जा रहे
१८६	शीर्षक	बाद–विवाद	वाद-विवाद
१८७-१८८	,,	२५ फरवरी, ६४	२५ फरवरी, ६५
१६४	१२	चारता हूं	चाहता हूं
२०५	शीर्षक	भाषण के बार	अभिभाषण पर
२०८	,,	अभिभासण	अभिभाषण
२२६	अन्तिम से ६	बोल बोलो	बोलबाला
२२६-२३०	शीर्षक	राज्यपाल महादय के ....भाषण के बाद	राज्यपाल महोदय के ...अभिभाषण पर
२३०	५	: (डीडवाना)	(डीडवाना) :
२३४	अन्तिम से६-८	(उप-मन्त्री स्वायत्त शोसन)	(उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन)
२५१ से २७४ तक	शीर्षक		परिशिष्ट